लोक-सभा

गुरुवार,
१ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3.4.9
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१--सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९-७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८-८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर---

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३-८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९-१५००

अंक २२--मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१-४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४-५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७-७२

अंक २३--बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३-२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९-६८

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९-१७०९

१७०९-११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११-१६

१७१६-२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३-१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३-७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८-८८

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९-१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९से १२८३, १२८८से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुक्रवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ांकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७—मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५–४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२–५६

अंक ३८—बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८–२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२–२२

अंक ३९—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५–८२

अंक ४०—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३–२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७–६०

अनुक्रमणिका . १–१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक सभा

गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मध्य-आय वर्ग आवास योजना

*१३०३. **श्री राधा रमण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १२ मार्च, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य-आय वर्ग आवास योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) बीमा समवायों के सहयोग से सरकार जिन सिद्धान्तों के अनुसार योजना शुरू करना चाहती है, वे सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४१]** योजना के विस्तृत संचालन नियम बनाने के लिये बीमा समवायों से प्राप्त उत्तरों पर विचार किया जा रहा है।

श्री राधा रमण : सरकार २५ : ७५ के अनुपात से जैसा कि विवरण में बताया गया है, इस योजना में कुल कितनी राशि लगाना चाहती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री राधा रमण : सरकार ने किन बीमा समवायों से प्रार्थना की है और किन समवायों ने इस योजना में सम्मिलित होना स्वीकार किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बहुत से बीमा समवायों से कहा गया है और अभी सब के उत्तर प्राप्त नहीं हुए ।

श्री राधा रमण : प्रार्थना पत्र लेने, उनकी जांच करने और उन्हे स्वीकार करने के लिये, राज्य स्तर पर सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : राज्य स्तर पर कोई व्यवस्था करने का विचार नहीं है और वास्तव में योजना के अधीन बीमा समवाय ही प्रार्थनापत्र मांगेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि सरकार लो इनकम ग्रुप के लिये हाऊसिंग के वास्ते जो रुपया देती है उसके लिये बहुत अर्जियां आ चुकी हैं लेकिन रुपया मिलने में कठिनाई होती है ? अगर यह सच है तो क्या इसके लिये सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है कि यह रुपया जल्दी मिल सके ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जब तक कोई खास केस नोटिस में न लाया जाये, तो इस तरह का ब्राड स्टेटमेंट मान लेना मेरे लिये मुश्किल है ।

आश्रम और अपाहिजगृह

*१३०६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह। । की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९५५ से पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के आश्रमों और अपाहिजगृहों के काम के पुर्नविलोकन के लिये श्रीमती ए० जान मठाई की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें सरकार ने क्रियान्वित कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो कौन सी मुख्य सिफ़ारिशें क्रियान्वित की गई हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के पत्र संख्या १५(७) (१) ५४—आर० एच० सी०, दिनांक १५ मार्च, १९५५ की एक प्रति, जिसमें आश्रम पुनर्गठन समिति (होम्स रीआरगेनाइज़ेशन कमेटी) की सिफ़ारिशों के बारे में किये गय निर्णय दिये गये हैं, सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखो गई। देखिये संख्या एस—२९२/५५]** ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन आश्रमों और रुग्नालयों में कुल कितने व्यक्ति प्रविष्ट किये गये हैं और सरकार ने कुल कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह बताना बहुत कठिन होगा कि पिछले गत वर्षों में कुल कितने व्यक्ति प्रविष्ट किये गये हैं, किन्तु मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं । ३१ दिसम्बर, १९५३ को इन म २८,८५५ व्यक्ति थ और ३१ मई, १९५५ को २५,३०६ व्यक्ति थे । १९५३-५४ म हम ने ११४ लाख रुपये खच किये थे, १९५४-५५ में ११४ लाख रुपये और इस वष हमारा १ करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : सरकार का इन आश्रमों को कब तक जारी रखने का विचार है ?

श्री जे० के० भोंसले : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है । केवल इतना कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे निराश्रित बूढ़े और निर्बल व्यक्ति हैं जिनकी देखभाल करना, उस समय तक जब तक कि वे इस स्थिति में हैं, सरकार का कर्तव्य है । जहां तक अन्य व्यक्तियों का सम्बन्ध है, जब ये विभिन्न व्यवसायों की कलायें सीख लेंगे जो हम उन्हें सिखाते हैं, तो इन्हें शनैः शनैः आश्रमों से बाहर भेज दिया जायेगा ।

दिल्ली में भू-गत जल

*१३०७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २४ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में भू-गत जल को पम्प द्वारा निकालने के प्रभाव को देखने के लिये अब तक जो प्रयोग किये गये हैं, उन का क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : भू-गत जल को पम्प द्वारा निकालने के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये प्रयोग अभी जारी है और कुछ नलकूपों के चलाने के फलस्वरूप अब तक जो जानकारी इकट्ठी हुई है उस से पता चलता है कि मिट्टी ठोस बनावट की है जिस में से पानी आसानी से नहीं गुज़र सकता । इस कारण नलकूपों में से कम पानी निकलता है और इस का प्रभाव केवल लगभग ५०० फ़ुट तक पहुंच सकता है ।

श्री झूलन सिंह : क्या हम यह समझ सकते हैं कि ससद् भवन के ढांच की ओर देश के इस भाग को इस समय कोई खतरा नहीं है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : डर की कोई बात नहीं है ।

भारत काफ़ी बोर्ड (इंडिया काफ़ी बोर्ड)

*१३०९. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भारत काफ़ी बोर्ड (इंडिया काफ़ी बोर्ड) द्वारा अपने कुछ केन्द्र बन्द किये जाने की प्रस्थापना का विरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) भारत काफ़ी बोर्ड ने ३१ मार्च, १९५५ तक कितने काफ़ी केन्द्र खोले थे; और

(घ) इन में से कितने स्थायी रूप से चलेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने काफ़ी बोर्ड को यह सलाह दी है कि वह इस मामले में जल्दी न करे, ताकि श्रमिकों को कठिनाई न हो । उसे यह भी कहा गया है कि वह नये इंडिया काफ़ी हाऊस खोलने की संभाव्यता पर विचार करे ।

(ग) ६५ भारत में और २ ऐसे स्थानों पर जो अब पाकिस्तान में हैं ।

(ख) कोई निश्चित संख्या बताना संभव नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या कोई काफ़ी केन्द्र बन्द किया जा चुका है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में मैसूर में केन्द्र बन्द कर दिया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : परन्तु क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री दामोदर मेनन : क्या नये बनाये गये काफ़ी बोर्ड से इस मामले में परामर्श किया गया है ?

श्री करमरकर : केन्द्र नये काफ़ी बोर्ड के बनने से पहले बन्द कर दिया गया था ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : केन्द्र बन्द करने के लिये केवल मैसूर को क्यों चुना गया है ?

श्री करमरकर : इसे इसलिये बंद किया गया था कि यह लाभ पर नहीं चल रहा था; संभवत: वहां घरों में बनाई गई काफ़ी केन्द्र में बनाई गई काफ़ी से अच्छी होती है ।

श्री पुन्नूस : इस केन्द्र के बन्द होने से कितने श्रमिकों और कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा और क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि उन्हें नये खोले जाने वाले केन्द्रों में लगाया जायेगा ?

श्री करमरकर : मैसूर में केन्द्र बन्द कर दिया गया है और दूसरों के बारे में हमने काफ़ी बोर्ड से कहा है कि वह जल्दी न करे ।

श्री पुन्नूस : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है और क्या सरकार यह कह सकती है कि जब कोई नया केन्द्र खोला जायेगा, तो इन लोगों को उसमें नियुक्त किया जायेगा ?

श्री करमरकर : काफ़ी बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई तदर्थ समिति की सिफ़ारिश यह थी कि मैसूर, मदुरई और आगरा के इंडिया काफ़ी हाऊसों को बन्द कर दिया जाये । मैं नहीं कह सकता कि इन तीन स्थानों पर कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है । जहां तक इन्हें काम देने का प्रश्न है, मेरे माननीय मित्र अनुभव करेंगे कि जब किसी स्थान पर काफ़ी हाऊस बन्द किया जाये और दूसरा न खुले, तो किसी अन्य नगर में उन श्रमिकों को काम देना कठिन है ।

पत्रिकायें

*१३१०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २५ फरवरी, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से "भारतीय समाचार" और "इंडियन इनफार्मेशन" के प्रकाशन को फिर से आरम्भ करने के बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रकाशनों के कब तक फिर से आरम्भ किये जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). एस्टीमेट्स कमेटी से सलाह लिये जाने तक यह प्रश्न स्थगित रखा गया है ।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न पर काफी लम्बे समय से विचार हो रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि मुख्य कारण क्या है जो यह अब तक टाला गया है ?

डा० केसकर : विचार तो बहुत दिनों से हो रहा है । एस्टीमेट्स कमेटी ने यह सलाह दी थी कि सिद्धान्त से उनको कोई एतराज़ नहीं है कि भारतीय समाचार को फिर से शुरू किया जाय । लेकिन वह चाहते हैं कि हमारे यहां जो दूसरे पीरियाडिकल्स और मैगजीन्स हैं उनमें से किसी को बन्द कर के जो पैसा बचे उससे यह भारतीय समाचार शुरू किया जाय । इस प्रश्न पर विशेष तौर पर विचार हो रहा है और हम इस मामले में फिर से एस्टीमेट्स कमेटी की सलाह ले रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि युद्ध के जमाने में यह भारतीय समाचार और इंडियन इनफार्मेशन बहुत लोकप्रिय थे और अभी भी इनके लिये जनता की बहुत मांग है ?

डा० केसकर : जी हां, मैं यह जानता हूं, और जानता ही नहीं बल्कि विशेष तौर पर यूनीवर्सिटियों और कमर्शियल बाडीज़ से हमारे पास बहुत बड़ी मांग आयी है कि इनको फिर से जारी किया जाय ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि जो पबलिकेशन डिवीज़न के और हिन्दी के समाचार पत्र निकल रहे हैं, जैसे आजकल आदि, उनमें से कुछ को बन्द करके भारतीय समाचार का प्रकाशन जारी किया जाय तो यह कार्य उचित होगा ?

डा० केसकर : इस मामले में हम एस्टीमेट्स कमेटी से सलाह लेने का विचार कर रहे हैं । आशा है कि एस्टीमेट्स कमेटी हमको उचित सलाह देगी ।

कपड़ा

*१३११. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन को भारतीय कपड़े का निर्यात बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण; और

(ग) जब से ब्रिटिश कपड़े पर से आयात शुल्क घटाया गया है, भारत में ब्रिटिश कपड़े के आयात की क्या स्थिति है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) जनवरी से मार्च, १९५५ तक की तिमाही की तुलना में अप्रैल से जून तक की तिमाही में ब्रिटेन को भारतीय मिल के सूती कपड़े का निर्यात कुछ कम हो गया है । अतः अभी कोई कारण नहीं बताया जा सकता ।

(ग) जनवरी–जून १९५५ की अवधि में, गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में

ब्रिटेन से सूती कपड़े के आयात में कमी हुई है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सूती कपड़े के निर्यात में कमी हो जाने का कारण यह है कि इंग्लैंड में इस आयात को बन्द करने के लिये आन्दोलन हो रहा है ?

श्री करमरकर : हम ब्रिटेन में किसी ऐसी प्रवृत्ति की आशा नहीं करते, क्योंकि, जैसा कि मेरे मित्र जानते हैं, भारत से इंग्लैंड को निर्यात किये जाने वाले कपड़े में से ६० प्रतिशत कपड़ा तैयार करने के लिये और विदेशों में भेजे जाने के लिये प्रयोग किया जाता है । हमें विश्वास है कि वे कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो उनके हितों के विरुद्ध हो ।

पंडित डी० एन० तिवारी : ब्रिटिश कपड़े पर आयात शुल्क किस हद तक कम किया गया है ?

श्री करमरकर : ब्रिटेन से सूती कपड़े के अयात पर मूल्यानुसार लगभग ४० प्रतिशत कमी की गई है

श्री कासलीवाल : क्या यह कमी पूरी तरह तैयार कपड़े के आयात में हुई है या आधे तैयार कपड़े में ?

श्री करमरकर : पूरी तरह तैयार कपड़े के आयात में ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि निर्यात शुल्क में वृद्धि के बाद भी मांचेस्टर में भारतीय कपड़े को बन्द करने के लिये निरन्तर आन्दोलन किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : मैं ने कल समाचार पत्र में इसके बारे में कुछ पढ़ा था, किन्तु मेरे विचार में यह कोई बड़ा आन्दोलन नहीं है ।

भारतीय समाचार पत्र की बिक्री

*१३१२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एक अमरीकी फर्म एक भारतीय समाचार पत्र का कार्यालय और मशीन आदि खरीदने का विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतला सकेंगे कि अखबारों में टाइम्स आफ़ इंडिया के सेल होने की जो खबर शाया हुई है, वह वाक़ई सही है या नहीं ?

डा० केसकर : मैं ने भी अखबार में इस तरह की अफ़वाह पढ़ी है । इसके अलावा मुझे और कोई बात मालूम नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या कोई ऐसा नियम है कि यदि कोई विदेशी किसी भारतीय समाचारपत्र में कुछ रुपया लगाना चाहे, तो उसे पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी ?

डा० केसकर : जहां तक केवल समाचार-पत्रों का सम्बन्ध है, ऐसा कोई सरकारी विनियम नहीं है; किन्तु विदेशियों द्वारा किसी भारतीय समवाय में धन लगाये जाने पर किसी रोक के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री बता सकेंगे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या न्युयार्क टाइम्स ने अपने समाचार पत्र के भारतीय संस्करणों को संपादित करने के लिये अनुमति मांगी है ?

डा० केसकर : जी हां ।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*१३१५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धर्म नगर डिवीज़न के देवछाड़ा नामक स्थान में त्रिपुरा सरकार द्वारा अधिगृहीत एक भू-खण्ड पर ६४ शरणार्थी परिवार बसाये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि इन विस्थापित व्यक्तियों में से अधिकांश को एक ज़मींदार द्वारा उनके भू-खण्डों से जबर्दस्ती बेदखल कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो जिस भू-खण्ड को सरकार द्वारा अधिगृहीत किया गया था उसी पर इन परिवारों के पुनर्वास कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) सरकार द्वारा देवछाड़ा में अधिगृहीत भू-खण्ड पर ४५ परिवारों को बसाया गया था।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बीरेन दत्त : यदि इस भूमि से व्यक्तियों का बेदखली सम्बन्धी ब्यौरा मंत्री को मिल चुका है, तो क्या वह इस सम्बन्ध में जांच करेंगे और यदि उनको बेदखल किया गया है, तो क्या सरकार उस भूमि को प्राप्त कराने में उनकी पुनः सहायता करेगी जो उन्हें पहले दी गई थी ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं ने इस सम्बन्ध में जांच कर ली है और मुझे पता लगा है कि उस भूमि खण्ड पर ४५ परिवारों को बसाया गया था। वहां से एक भी परिवार को बेदखल नहीं किया गया है। इस भूमि के पड़ोस की भूमि के मालिक ने उस भूमि का दावा करते हुए सरकार के विरुद्ध अभियोग चलाया है। यह मामला अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है, किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार इस भूमि खण्ड विशेष से किसी भी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया गया है।

शिकायतों की जांच-पड़ताल

*१३१७. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के संभरण तथा उत्सर्जन निदेशालय के पिछले निरीक्षण निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार और भाईभतीजेवाद को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कथित शिकायतों की जांच-पड़ताल १९५३ में किसी समय आरम्भ की थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि इस मामले की जांच विशेष पुलिस ने की और पदाधिकारी पर अभियोग चलाने की सिफारिश की थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह सच है कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठापन ने इस मामलें की जांच की थी। उसने सरकार से कुछ प्रतिवदन किया था। प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था और उस पर विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया था कि उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि विशेष पुलिस की जांच के बावजूद भी—वह चाहे जो कुछ भी हो—और विभागीय कार्यवाही, जिसका उल्लेख मंत्री ने किया है, के बावजूद भी यह पदाधिकारी दिल्ली में वही उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर है जिस पर वह कलकत्ता में था, और यदि है तो इस प्रकार की अनुग्रह के क्या कारण हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसमें अनुग्रह का कोई प्रश्न नहीं है। मामले की जांच की जा चुकी है और उनको कलकत्ते से स्थानान्तरि

कर के दिल्ली लाया गया है। कार्य को देखते हुए उनको मुअत्तल करने पर विचार नहीं किया गया क्योंकि जो कार्य वह यहां पर कर रहे हैं वह वहां के कार्य से भिन्न है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार निरीक्षण निदेशक, दिल्ली के पद पर—जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है—किसी ऐसे व्यक्ति को रखना वांछनीय समझती है जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफ़ारिश की जा चुकी है और जो की जाने वाली है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप इस प्रकार के हैं कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच होने तक उन्हें मुअत्तल कर देना आवश्यक नहीं समझा गया ।

जन सहयोग

*१३१८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई विचार उन विभिन्न नदी घाटी योजनाओं को जन सहयोग के द्वारा कार्यान्वित करने का है जिनसे केन्द्र का सम्बन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जहां जन सहयोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है या करने का विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). कोसी परियोजना के बांध (एम्बैंकमैंट) के निर्माण पर पिछले कार्य काल में जन-सहयोग मांगा गया था, मध्य भारत में चम्बल परियोजना के बम्बे तथा नहरों पर छोटी-छोटी पटरियां बनाने के ठेके श्रम सहकारी संस्थाओं को दिये गये थे। यह व्यवस्था अगले तथा अन्य आगामी कार्य काल में भी जारी रहेगी। राजस्थान सरकार ने भी सूचना दी है कि राजस्थान में चम्बल परियोजना सम्बन्धी कार्य के लिये आशा यह की जाती है कि जन सहयोग अगली जाड़े की ऋतु से लागू किया जायेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : नदी घाटी परियोजनाओं का कार्य जन सहयोग से करने का क्या उद्देश्य है ? क्या केवल वित्तीय लाभ की दृष्टि से ऐसा किया गया है अथवा किसी महत्वपूर्ण परिणाम के लिये, और यदि इसमें वित्तीय लाभ है तो कितना ?

श्री हाथी : केवल वित्तीय लाभ ही उद्देश्य नहीं है। हम आधिक्य जन-शक्ति का भी उपयोग करना चाहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि वे बांध आदि बनाने में रुचि दिखायें। उनके फालतू समय का उपयोग किया जा सकता है जिससे परियोजना थोड़े समय में ही पूरी की जा सकती है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि जन-सहयोग से नदी-घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है उससे पता लगता है कि भुगतान, नाप प्रणाली, चेकों पर हस्ताक्षर आदि करने के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के वर्तमान नियम नये प्रयोगों के लिये उपयुक्त नहीं हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या इन नियमों में संशोधन करने का कोई विचार है ?

श्री हाथी : कोसी परियोजना में हमें कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां हुई थीं। यह एक नया प्रयोग था इस कारण कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होना स्वाभाविक था। परन्तु ज्यों ज्यों कार्य में प्रगति होगी सरकार अपने अनुभव से इन सब चीजों पर ध्यान देगी ।

श्री हेडा: कोसी परियोजना के अन्तर्गत निर्माण में जन-सहयोग के फल स्वरूप सरकार को कितनी बचत हुई थी ?

श्री हाथी : मैं बचत के विषय में ठीक ठीक नहीं बता सकता। मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं। बचत के प्रश्न के अतिरिक्त कार्य को कम समय में पूरा करने का प्रश्न है। यदि काम करने के लिये आपको अधिक स्थानीय लोग मिल जाते हैं, तो यह स्वाभाविक ही है कि काम शीघ्र समाप्त हो जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या ये सहकारी संस्थायें राज्य विशेष में पंजीवद्ध सहकारी समितियों के नियमों के अधीन कार्य करती हैं अथवा किसी अन्य प्रकार से ?

श्री हाथी : ये राज्य के नियमों के अनुसार कार्य करती हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस साल कोसी में जो काम हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने अखबारों में देखा कि वहां पर काम करने वाले जो भारत सेवक समाज के प्रतिनिधि थे उन्होंने स्तीफ़ा दिया और यह बात अखबारों में भी निकली, तो मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का क्या अनुभव है कि पब्लिक कोआपरेशन आजकल जो आफिशल सेट अप है, उसमें फिट इन करता है या नहीं।

श्री हाथी : हमारा अनुभव यह है कि प्रयोग सफल रहा था।

तुंगभद्रा की ऊंचे तल वाली नहर

*१३२०. **डा० रामा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २७ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा की ऊंचे तल वाली नहर के निर्माण के सम्बन्ध में मैसूर और आन्ध्र राज्य के बीच के मतभेद को दूर करने के लिये किसी अन्तर्राज्यीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डा० रामा राव : मैसूर सरकार द्वारा क्या आपत्ति की गई थी ?

श्री हाथी : आपत्तियां दो प्रकार की है, पहली उपलब्ध फालतू जल के विषय में है और दूसरी लागत में हिस्सा बंटाने के विषय में। ये दो प्रमुख आपत्तियां हैं।

डा० रामा राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आन्ध्र राज्य अधिनियम की धारा ६६(५) के अधीन यह उपबन्ध किया गया है कि तुंगभद्रा बांध बनाने का उद्देश्य तुंगभद्रा नदी के पानी का ऊंचे और नीचे तल वाली नहरों के द्वारा बेलारी, अनन्तपुर, कुड्डापाह तथा कुरनूल के ज़िलों में संभरण और वितरण करना है, मैसूर सरकार ऊंचे तल वाली नहर बनाने पर किस प्रकार आपत्ति कर सकती है ?

श्री हाथी : वह नहर के बनवाने पर आपत्ति नहीं कर रहा है; प्रश्न तो यह है उपलब्ध फालतू जल का दो राज्यों में बंटवारा किस प्रकार किया जाये। एक कहता है कि उसका हिस्सा इतना है तो दूसरा कहता है कि उसका हिस्सा इतना है। नहर बनवाने पर आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं है।

डा० रामा राव : स्वयं अधिनियम में यह व्यवस्था है कि इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार को एक समिति बनानी चाहिये। मैसूर सरकार द्वारा की गई आपत्तियों और विलम्ब को ध्यान में रखते हुए इस मामले को शीघ्रता से तय करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

श्री हाथी : इन दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों से योजना आयोग कल मिल रहा है।

आयातों पर रोक

*१३२२. **सरदार अकरपुरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन पदार्थों के मूल्य और किस्म के सम्बन्ध में, जिन पर आयात सम्बन्धी प्रतिबन्ध और संरक्षण प्रशुल्क लगाये जाते हैं, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिये किन्हीं परित्राणों की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(ग) वे वस्तुयें कौन-कौन सी हैं जिनके आयात पर प्रतिबन्ध लगा देने से उनके मूल्य बढ़ गये हैं अथवा उनकी किस्म खराब हो गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी हां । मंत्रालय में उन उद्योगों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की शीघ्रतर जांच करने की विशेष व्यवस्था कर दी गई है जिनको प्रशुल्क संरक्षण अथवा आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण प्रतिस्पर्धा का भय नहीं है ।

(ग) घरेलू प्रशीतकों (डोमेस्टिक रैफ्रीजरेटर्स), रसोई घर के विद्युत्तापकरण (इलैक्ट्रिक किचिन रेंजेज़), वातावस्थापक (एयरकन्डीशनर्स), कच्चा रेशम, कास्टिक सोडा, सोडियम बाई कारबोनेट, सोडा ऐश, बड़े आकार के ट्रांसफारमर, विद्युत् मोटर, घरों में काम आने वाले मीटर, बाल बियरिंग तथा आयात किये गये टाइपराइटरों जैसी चीज़ों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भारत के बने बिजली के मोटर संतोषजनक रीति से काम नहीं कर रहे हैं और इस कारण ग्रामवासियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री कदमरकर : हमें इस प्रकार की किसी शिकायत का ज्ञान नहीं है। हमें यही पता चला है कि वे बहुत सन्तोषजनक रीति से काम कर रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : माननीय मंत्री ने बहुत सी वस्तुओं के नाम गिनाये हैं, जिनके सम्बन्ध में मूल्यों में अतिवृद्धि होने की शिकायतें आई हैं । सरकार ने इसको रोकने के लिये क्या किया है ?

श्री करमरकर : मेरे पास इस विषय के सम्बन्ध में एक तीन पृष्ठ की टिप्पणी है, इस सम्बन्ध में हमने जो अच्छी से अच्छी कार्यवाही हो सकती है वह की है । आयात किये हुए टाइपराइटरों के सम्बन्ध में हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लिया गया है परन्तु जांच करने से पता चला कि ऐसा नहीं है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस टिप्पणी को पढ़ कर सुना दूं ।

अध्यक्ष महोदय : उसे सभा पटल पर रख दिया जाये ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं केवल बाल बेयरिंग के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं ।

श्री करमरकर : बाल बेयरिंग के सम्बन्ध में, मई, १६५४ में फ़ैन मेकर्स एसोसियेशन कलकत्ता ने नेशनल बेयरिंग कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत की कि वे बाल बेयरिंग्ज का मूल्य बहुत अधिक ले रहे थे। इस विषय की जांच की गयी थी और हम इस निर्णय पर पहुचे थे कि नेशनल बेयरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा जो मूल्य लिये गये थे वे अनुचित नहीं थे ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि इस प्रश्न के भाग (ग) को इस प्रकार बदल दिया गया है

कि प्रश्न का सारा महत्व ही समाप्त हो गया है। मेरा प्रश्न इस प्रकार था :

"क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि सौराष्ट्र का कोई भी कारखाना स्टोव नहीं बना रहा है इसलिये कोई भी वास्तविक उपभोक्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का पात्र नहीं था ?"

यहां वही प्रश्न बिल्कुल भिन्न प्रकार से रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्तर नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : अन्तर है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें उत्तर सुनने दीजिये ।

स्टोव के बर्नर

*१३२३. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समवायों के नाम जिनको अप्रैल से जून १९५५ तक की अवधि में स्टोव के बर्नरों के आयात के लिये वास्तविक उपभोक्ता अनुज्ञप्तियां जारी की गई थीं और वह अनुज्ञप्तियां कितने मूल्य तक के आयात के लिये थीं;

(ख) यह अनुज्ञप्तियां किस आधार पर जारी की गई थीं; और

(ग) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र में स्टोव बनाने वाला कोई कारखाना नहीं है; और उक्त राज्य में किसी को भी वास्तविक उपभोक्ता अनुज्ञप्तियां जारी नहीं की गई हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ख) गत दो वर्षों की खपत तथा वर्तमान वार्षिक आवश्यकता को प्रमाणित करने वाले तत्सम्बन्धी राज्य के उद्योग संचालक द्वारा जारी किये गये आवश्यकता की अनिवार्यता विषयक प्रमाणपत्र के आधार पर अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं ।

(ग) सौराष्ट्र के स्टोव बनाने वाले कारखानों की स्थिति उद्योग संचालक, सौराष्ट्र से ज्ञात की जा रही है । सौराष्ट्र के छः समवायों के नाम वास्तविक उपभोक्ता अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या सौराष्ट्र के यह समवाय जिन के नाम वास्तविक उपभोक्ता अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं वास्तव में स्टोव बना रहे हैं ?

श्री करमरकर : उन के विरुद्ध शिकायत की गई है और विशेष पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बहुधा जब किसी वस्तु विशेष के बनाने वाले के नाम वास्तविक उपभोक्ता अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं तो यह लोग अनुज्ञप्तियों को अन्य व्यक्तियों के हाथ बेच देते हैं और स्वयं उनका उपयोग नहीं करते हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री करमरकर : समय समय पर हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि वास्तविक उपभोक्ता अनुज्ञप्तियों का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है जिनके नाम कि वे जारी की गई हैं । उचित मामलों में जांच की जाती है, जैसे कि इस मामले में की जा रही है ।

कुटीर उद्योग

*१३२४. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में हैदराबाद राज्य को कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा कुल राशि खर्च कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो किन उद्योगों पर ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) हैदराबाद राज्य में, १९५४–५५ में, खादी के अतिरिक्त अन्य कुटीर उद्योगों के विकास के लिये मंजूर की गई कुल धनराशि इस प्रकार है :

अनुदान रुपये में	ऋण रुपये में	योग रुपये में
७,१८,७०१	२६,२६,०७५	३६,४४,७७६

(ख) उस वर्ष कुल १,८४,४४५ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। फिर भी राज्य सरकारों को इस अवशेष को चालू वित्तीय वर्ष में हाथकरघा, रेशम कृमि पालन, ताड़ गुड़, गुड़ तथा खंडसारी उद्योगों के विकास के हेतु उपयोग में लाने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया है ।

(ग) १९५४–५५ में मंजूर की गई राशियां इन उद्योगों के विकास के लिये काम में लाई गई थीं :—

(१) हाथकरघा

(२) बीदरी

(३) चटाई बुनना

(४) हिमरू

(५) पैठन (ज़रतारी और ज़रदोज़ी)

(६) लकड़ी के खिलौने बनाना ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या गत वर्ष हैदराबाद में एक कुटीर उद्योग प्रदर्शनी हुई थी ?

श्री आर० जी० दुबे : मुझे यह तो पता नहीं है कि प्रदर्शनी वास्तव में हुई थी; परन्तु मुझे यह मालूम है कि कुटीर उद्योग प्रदर्शनी के लिये कुछ नियतन किया गया था ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या कुटीर उद्योग विकास के लिये स्वयं राज्य सरकार द्वारा कोई राशि दी गई है ?

श्री आर० जी० दुबे : प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार कुटीर उद्योगों के विकास के लिये उस राशि के अतिरिक्त, जो कि केन्द्र द्वारा दी जाती है, कोई सहायता देती है ।

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार से ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं कि राज्य सरकारें उतनी राशि का भी उपयोग नहीं कर सकीं जो कि उनको १९५४–५५ के लिये दी गई थीं । अतः मैं अनुमान करता हूं कि उन्होंने कोई और अंशदान नहीं दिया है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या राज्य सरकार से यह पूछा गया था कि कितनी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका था और क्यों ?

श्री आर० जी० दुबे : हैदराबाद के लिये १९५४–५५ में कुल अनुदान लगभग दो लाख रुपये से कुछ अधिक था, परन्तु वे केवल ८० प्रतिशत राशि का ही उपयोग कर सके ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या हिमरू और मशरू के विकास के लिये बहुत थोड़ी सी राशि मंजूर की गई है, और यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री आर० जी० दुबे : हिमरू के विकास पर वास्तव में खर्च की गई कुल राशि २४,००० रुपया है जब कि मंजूर की गई राशि लगभग ३०,००० रुपये थी । मैं समझता हूं कि अनुपात की दृष्टि से यह पर्याप्त है ।

डा० सुरेश चन्द्र : राज्य सरकार ने चालू वर्ष में वित्तीय सहायता की मांग क्यों नहीं की है ?

श्री आर० जी० दुबे : उन्होंने कुछ योजनायें तो प्रस्तुत की थीं जिनके लिये अनुदानों की प्रार्थना की गई थी । परन्तु, हाल ही में राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है कि चालू वर्ष के लिये अनुदानों की आवश्यकता नहीं है । संभवतः एक मद को छोड़ कर अर्थात् विक्रय डिपो के विकास के लिये ३,५०,००० रुपये के अतिरिक्त, उनके पास गत वर्ष के अनुदान में से कुछ अवशेष है ।

श्री राघवैया : क्या राज्य सरकार ने इन कुटीर उद्योग बोर्डों में तैयार किये गये कुछ उत्पादों को लेने का विचार प्रकट किया है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं, हां ।

पाण्डिचेरी विधान सभा

*१३२६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव निर्वाचित पाण्डिचेरी विधान सभा पर फ्रांसीसी नियम लागू होंगे; और

(ख) यदि हां, तो उन नियमों की तुलना में, जिनका उपयोग भारत के अन्य विधान सभाओं द्वारा किया जाता है, उनकी शक्तियों में मुख्य विभेद क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) पाण्डिचेरी राज्य प्रतिनिधि विधान सभा मूलतः राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक परामर्शक तथा मंत्रणा-दात्री निकाय है जिसका सम्बन्ध मुख्यतः आयव्ययक, लेखा तथा राज्य के प्रशासन की अन्य विस्तार की बातों से है । उसको विधान बनाने की शक्ति नहीं प्राप्त है परन्तु वह राज्य प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में संकल्प पारित कर सकता है जो प्रशासन के लिये अवश्य पालनीय होते हैं जब तक कि उनको भारत सरकार की स्वीकृति से राज्य के प्रमुख द्वारा रद्द न कर दिया जाये । भारत के अन्य राज्य विधान मण्डलों को केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार से पृथक राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विधान बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फ्रांसीसी शासन के समय से ही निर्वाचन-सूची सम्बन्धी नियम बदल दिये गये थे, पाण्डिचेरी विधान मण्डल को सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न अधिकारों तथा विधान बनाने की शक्तियां न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : कारण बहुत सीधा है । विधिसिद्ध हस्तान्तरण अभी तक नहीं हुआ है, तथा क़रार के अनुच्छेद २ के अनुसार हम राज्य के प्रशासन में कोई आधार-भूत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भारत सरकार तथा फ्रांस के बीच अक्तूबर १९५४ में हुए क़रार के अनुसार पाण्डिचेरी स्थित फ्रांसीसी निहित स्वार्थों को केवल एक ही परित्राण दिया गया था जो कि विधिसिद्ध हस्तान्तरण तक के लिये वैध था । इसलिये, अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न विधान मण्डल के समान पाण्डिचेरी विधान मण्डल को करारोपण के अधिकार क्यों नहीं प्राप्त हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं, माननीय सदस्या की जानकारी ठीक नहीं है । क़रार का अनुच्छेद २ कहता है :—

> "संस्थापन की कम्यूनियनों का कार्यपालिका प्रशासन तथा प्रति-निधि विधान मण्डल सम्बन्धी प्रशासन अपने वर्तमान रूप में ही रखा जायेगा"

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि फ्रांसीसी सरकार के समुपदेष्टाओं का चुनाव

फ्रांसीसी नियमों के अनुसार नहीं किया गया था, और यदि हां, तो क्या पाण्डिचेरी विधान मण्डल के विरोधी पक्ष के नेता द्वारा कोई अभ्यावेदन भेजा गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस सम्बन्ध में भी माननीय सदस्या की जानकारी ठीक नहीं है। यदि विरोधी पक्ष का नेता परिषद् में काम कर सकने के लिये अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करता है तो वह यही काम सभा में मतविभाजन की प्रक्रिया से कर सकता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मुझे पता चला है कि फ्रांसीसी नियमों के अनुसार परिषद् का निर्वाचन गुप्त शालाका पद्धति द्वारा किया जाने को है । मुझे यह भी पता चला है कि इस अवसर पर निर्वाचन हाथ उठवा कर किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि पाण्डिचेरी विधान-मण्डल को दोनों की खराब से खराब बातें ही मिली हैं । उनको न तो फ्रांसीसी नियमों की अच्छी बातें ही मिलेंगी और न भारतीय नियमों की अच्छी बातें मिलेंगी और ऐसा कहिये कि वह अधर में टंगा रहेगा ।

श्री अनिल के० चन्दा : इस सरकार के सभ्य प्रशासन का लाभ वे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :-माननीय मंत्री के उत्तरों का क्या यह तात्पर्य है कि इस विधान मण्डल की जो कि शेष विधान मण्डलों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुआ है, केवल परामर्शदात्री स्थिति ही होगी और इसके अतिरिक्त और कोई स्थिति नहीं होगी और क्या इसका तात्पर्य यह है कि विधिसिद्ध हस्तान्तरण के पश्चात् फिर से चुनाव होगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां* । विधिसिद्ध हस्तान्तरण के पश्चात् फिर से चुनाव होगा ।

अयस्क का निर्यात

*१३२७. **श्री देवगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में निर्यातकों तथा खान-स्वामियों की एक बैठक २१ जुलाई, १९५५ को संयुक्त मुख्य निर्यात नियंत्रक, कलकत्ता, के दफ्तर में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई तथा क्या निश्चय किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सीमित परिवहन उपलब्धता तथा पत्तन सुविधाओं के अधिकाधिक उपयोग के द्वारा लोहा और मैंगनीज़ अयस्कों के अधिकतम निर्यात के प्रश्न पर चर्चा हुई थी । अन्तिम रूप में कोई निश्चय नहीं किया गया था । बैठक में व्यक्त किये गये विचारों का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री देवगम : क्या रेलवे को भी इस बैठक में निमंत्रित किया गया था ?

श्री करमरकर : मुझे बैठक में भाग लेने वालों के बारे में ज्ञान नहीं है। यदि माननीय सदस्य उसे जानना चाहते हैं तो मुझे पूर्व सूचना दी जाये ।

---

*यह उत्तर वैदेशिक कार्य उपमंत्री (**श्री अनिल के० चन्दा**) द्वारा बाद में ठीक कर दिया गया था। देखिये वादविवाद भाग २, दिनांक ७ सितम्बर, १९५३, पृष्ठ संख्या ---- जो इस प्रकार है :

"मेरा विचार है कि विधिसिद्ध हस्तान्तरण के पश्चात् समग्र प्रश्न पर फिर से विचार करना पड़ेगा ।"

श्री देवगम : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि माल डिब्बों की कमी के कारण अयस्क के नवान्तरण में कठिनाई हुई थी, तो क्या कारण है कि रेलवे के किसी प्रतिनिधि को बैठक में नहीं बुलाया गया ?

श्री करमरकर : मैंने यह नहीं कहा कि रेलवे का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं था। मुझे अब तक आशा है कि वहां रेलवे का प्रतिनिधि था।

श्री के० के० बसु : आशा तो कोई उत्तर नहीं है।

कपास

*१३२८. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीन को तीस हजार कपास की गांठें भेजने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां तो किन शर्तों पर ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार ने चीन को निर्यात करने के लिये रुई की ४०,००० गांठें मुक्त की हैं।

(ख) इसके लायसेंस उन सभी श्रेणियों के निर्यातकों को दिये जायेंगे जो कपास के निर्यात लायसेंस लेते रहे हैं। इनमें से लायसेंस केवल उन्हीं को दिये जायेंगे जो मेसर्स चाइना नेशनल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, पेकिंग से किये सौदे दिखा सकें। जो पहले प्रार्थना-पत्र देगा, उसे पहले लायसेंस दिया जायेगा। इस प्रकार दिये लायसेंस के माल का लदान ३१ दिसम्बर १९५५ तक किया जा सकेगा।

श्री के० जी० देशमुख : यह जो कपास निर्यात की जा रही है इसके रेशे की लम्बाई कितनी है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में इस में से कुछ तो २६/३२ थी और कुछ इससे कम वाली थी। मुझे ज्ञात हुआ है कि लगभग ३०,००० गांठें २६/३२ की हैं।

श्री के० जी० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कपास के मौसम के आरम्भ में देश के विभिन्न भागों से कृषकों ने इसके निर्यात की मांग की थी? परन्तु अनुमति नहीं दी गई थी, और बाद में अनुमति दे दी गई जिससे व्यापारियों को तो लाभ हुआ परन्तु कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के दो पहलू हैं : पहले तो यह कि हम ने आरम्भ ही में निर्यात की आज्ञा क्यों नहीं दी। हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक हमें संतोष न हो जाये कि निर्यात के लिये उपलब्ध मात्रा कितनी है। दूसरे, चीन के साथ किया गया यह सौदा एक विशेष आधार पर आधारित था और हमने यह निर्णय इसलिये किया, क्योंकि जैसा कि सभा को ज्ञात है, इस सम्बन्ध में कई और बातों पर ध्यान देना आवश्यक था। वास्तव में इस समय हमारे पास कपास की बहुतायत है।

न्यून-आय वर्ग आवास योजना

*१३२९. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में न्यून-आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिये कुल कितनी रकम आवंटित की गई; और

(ख) अब तक कुल कितनी रकम का उपयोग किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ग सिंह) : (क) प्रथम पंचवर्षीय

योजना के अधीन, न्यून-आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिये (भूमि आदि के विकास सहित) २३ करोड़ रुपये की एक रकम पृथक् रक्षित की गई है ।

(ख) अब तक मंजूर किये गये २१·७४ करोड़ रुपये की रकम में से, राज्य सरकारों ने अब तक वास्तव में इस योजना के अन्तर्गत आ सकने वाले व्यक्तियों में बांटने के लिये कुल ३·३५ करोड़ रुपये की रक़म निकलवाई है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार को आशा है कि समस्त रक़म योजना अवधि के अन्दर ही व्यय कर दी जायेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हमें यही आशा है । अधिकतर तो यह राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में दिखाये जाने वाले उत्साह तथा कार्य पर निर्भर करता है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब और पैप्सू के लिये कितनी रक़म तजवीज़ की गई थी और कितनी उन्होंने काम में लाई ?

सरदार स्वर्ण सिंह : पंजाब के लिये तीन करोड़ और पैप्सू के लिये डेढ करोड़ सैंक्शन हुई है ।

श्री हेडा : किस साल में ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसी साल में ।

श्री के० के० बसु : क्या ऋण देने के लिये एक शर्त यह भी है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी एक भूमि-खण्ड का मालिक हो ?

सरदार स्वर्ग सिंह : यह शर्त हो सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति उस समय तक मकान नहीं बना सकता जब तक कि उसके पास कोई प्लॉट न हो । इसलिये, यदि यह शर्त थी तो मेरे विचार में यह अयुक्तियुक्त नहीं है । केवल ऋण देने से ही बिना प्लाट के मकान खड़े नहीं हो जायेंगे ।

डा० सत्यवादी : आप ने फ़रमाया है कि पंजाब के लिये तीन करोड़ और पैप्सू के लिये डेढ़ करोड़ की रक़म तजवीज़ की गई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें से कितनी रकम काम में लाई गई है ? दूसरी बात यह है कि क्या कोई ऐसी हिदायत दी गई है कि कर्ज तकसीम करने का जो मौजूदा प्रोसीडयर है उसको कुछ सादा और आसान कर दिया जाय, ताकि लोग आसानी से उसका फ़ायदा उठा सकें ?

सरदार स्वर्ण सिंह : आनरेबुल मेम्बर के द्वारा सवाल पूछने पर मैं ने फिर फ़िगर को चैक किया है । पंजाब के लिये जो तीन करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, उसमें से ९६ लाख रुपया उन्होंने ३ अगस्त तक ड्रा कर लिया है । पैप्सू के लिये दरअस्ल डेढ़ करोड़ नहीं बल्कि पन्द्रह लाख रुपये की रक़म सैंक्शन हुई है और इसमें से उन्होंने अभी तक कोई रक़म ड्रा नहीं की है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री राचय्या ।

श्री एन० राचय्या: १३

श्री तिम्मय्या : १३४१ को भी लिया जाये ।

श्री करमरकर : यह भी उसी समस्या से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

शक्ति चालित करघों पर उत्पादन शुल्क

***१३३०. श्री एन० राचय्या :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में शक्तिचालित करघों के सभी कारखाने गत तीन मास से उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण बन्द हो गये हैं;

(ख) क्या शक्ति-चालित करघा कारखाना संस्था, मैसूर से इस उत्पादन-शुल्क से विमुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार के पास कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) शक्तिचालित करघों के कारखानों के कतिपय छोटे वर्गों को कुछ रियायतें दे दी गई हैं ।

शक्ति चालित करघों पर उत्पादन शुल्क

***१३४१. श्री एन० राचय्या :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर तथा बम्बई सरकारों ने शक्तिचालित करघों को उत्पादन-शुल्क लगाये जाने से विमुक्ति दिये जाने की सिफ़ारिश की है जैसा कि रेशम के शक्तिचालित करघों के बारे में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मैसूर राज्य सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने भारत सरकार के पास विमुक्ति दिये जाने के लिये प्रार्थना की है ।

(ख) कुछ सूती शक्तिचालित करघों के कारखानों के सब से छोटे वर्ग को कुछ सुविधायें दिये जाने की घोषणा सरकार ने कर दी है ।

श्री एन० राचय्या : क्या यह सच है कि बढ़िया रेशम उद्योग के मामले में २४ करघों तक विमुक्ति दी जाती है, और यदि हां, तो वही रियायत शक्तिचालित करघा उद्योग को क्यों नहीं दी जा सकती है जो कि जनसाधारण के लिये मामूली कपड़ा तैयार करता है ?

श्री करमरकर : इस विषय पर पूर्णतया सोच विचार किया गया था और यही ठीक समझा गया कि बढ़िया रेशम के २४ शक्तिचालित करघों से कम के कारखानों को सूती शक्तिचालित करघों के समान न रखा जाये ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार को यह विदित है कि पाली के आधार पर उत्पादन-शुल्क लगाने से शक्तिचालित करघा उद्योग को रुकावट हुई है । यदि हां, तो क्या सरकार उसे मासिक आधार पर रखेगी जैसा कि रेशम उद्योग के बारे में किया गया है ?

श्री करमरकर : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार विमुक्ति सीमा को १५ शक्तिचालित करघों तक करने की प्रस्थापना करती है, ताकि इस उद्योग को जो कि मैसूर राज्य में एक संकट का सामना कर रहा है पुनर्जीवित किया जाये ?

श्री करमरकर : यह प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है तथा इसका प्रभाव समस्त उन राज्यों पर पड़ता है जिनमें शक्तिचालित करघे हैं । माननीय मित्र इस बात को समझेंगे कि हम किसी एक राज्य विशेष के लिये कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर सकते । यह एक कठिन प्रश्न था । हमें बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए

और उन पर विचार करने के उपरान्त हम इस वर्तमान आपात को निश्चय कर सके हैं जिसमें कि कुछ विमुक्तियां दी गई हैं ।

श्री बोगावत : क्या बम्बई राज्य के जुलाहों की ओर से, विशेषतया अहमदनगर से, जहां तक शक्तिचालित करघों का सम्बन्ध है विमुक्तियां दिये जाने के लिये कई अभ्यावेदन आये हैं ?

श्री करमरकर : जिन्हें विमुक्ति प्राप्त करने का हक़ होगा उन सब को विमुक्ति दी जायेगी ।

श्री के० के० बसु : किस आधार पर ।

श्री करमरकर : मुझे हमारे पास लम्बित पड़े किसी प्रार्थनापत्र विशेष का ज्ञान नहीं है ।

श्री तिम्मय्या : विमुक्ति सीमा को २४ तक निश्चित करने में किन आधारों पर विचार किया गया था ?

श्री करमरकर : मैं समझता था कि माननीय मित्र निर्णय को सरलता से समझ जायेंगे । जहां कहीं बहुत छोटे एकक हैं उन्हें ही हानि पहुंचने की संभावना है ।

श्री हेडा : क्या मैं उन शक्तिचालित करघों की जो इस कारण से बन्द हुए कि वे लाभ से काम नहीं कर सकते थे, प्रतिशतता या अनुपात प्राप्त कर सकता हूं ?

श्री करमरकर : इस विषय पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

निर्यात मंत्रणा परिषद्

*१३३१. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर यह दर्शाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ और १९५४-५५ में अब तक निर्यात मंत्रणा परिषद् की कुल कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इस अवधि में परिषद् ने किस प्रकार की सिफ़ारिशें कीं; और

(ग) उनमें से सरकार ने कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४३]

श्री रामचन्द्र रेड्डी : निर्यात पर अनुज्ञापन सम्बन्धी रुकावटों के हटाये जाने तथा परिवहन और नौवहन सुविधाओं में सुधार किये जाने के बारे में क्या स्पष्ट सिफ़ारिशें की गई थीं ?

श्री करमरकर : हां, श्रीमान् । कई बातों पर चर्चा हुई थी । जहां तक पिछली बैठक का सम्बन्ध है, उसके सुझाव यह हैं : निर्यात रेखाओं का उदारीकरण, नई वस्तुओं के निर्यात की नवीन प्रणालियों का संवर्द्धन निर्यात व्यापार के प्रसार के लिये उपाय, निर्यात शुल्कों का उत्सादन अथवा उनमें कमी, निर्यात के लिये परिवहन तथा नौवहन सुविधायें, सीमा-शुल्क औपचारिकताओं, तथा अनुज्ञापन प्रक्रिया का सरलीकरण, इन विभिन्न विषयों पर वहां पर चर्चा हुई थी और जो कुछ चर्चा हुई थी उसका एक ब्यौरेवार संक्षिप्त विवरण देना कठिन होगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं स्पष्ट सिफ़ारिशें चाहता हूं किन्तु माननीय मंत्री ने उनका केवल सामान्यीकरण दिया है । यदि वह गोपनीय न हों तो क्या माननीय मंत्री स्पष्ट सिफ़ारिशें बता सकते हैं ?

श्री करमरकर : वे बिल्कुल भी गोपनीय नहीं हैं । वास्तव में हमारी कार्यवाही सार्वजनिक प्रैस के लिये खुली हुई है और माननीय मित्र उन दिनों के पत्रों में जब कि वह बैठक हुई थी बहुत सुन्दर संक्षिप्त लेख प्रकाशित हुआ था देख सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : प्रश्न के भाग (ग) के बारे में, यह कहा गया है कि परिषद् द्वारा दिये गये सुझावों पर पूर्ण रूप से तथा तुरन्त विचार किया जाता है । मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार ने उनकी अभिपूर्ति की है ? क्या सरकार क्रियान्विति को विचार करने जैसा समझती है ?

श्री करमरकर : कभी कभी, हां श्रीमान्, यदि मामला बहुत सरल हो ।

श्री पुन्नूस उठे--

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कपड़े का उत्पादन

*१३३३. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कपड़ा उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार की इच्छा भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कपड़े की खपत की प्रति व्यक्ति मात्रा बढ़ाने की है, और यदि हां, तो उनके विचार से वह मात्रा कितनी है ?

श्री करमरक : हम ने साधारणतया ऐसा विचार किया है कि प्रति व्यक्ति खपत १८ गज़ होनी चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार ने अभी हाल ही में कुछ एक वस्त्र निर्माताओं द्वारा दिये गये इस वक्तव्य का अध्ययन किया है कि भारत में बिना किसी अधिक कठिनाई के कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत को २१ गज तक बढ़ाया जा सकता है ? क्या मंत्रालय द्वारा इस प्रस्थापना पर विचार किया गया है ?

श्री करमरकर : मेरे मित्र संभवतः उन प्रतिवेदनों की ओर निर्देश कर रहे हैं जो कि दो दिन पूर्व प्रैस में प्रकाशित हुए थे, परन्तु इसके बारे में मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है । संभव है कि किसी व्यक्ति ने यह सुझाव दिया हो कि कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत २१ गज़ होनी चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार ने मिलों तथा हथकरघा उद्योग में कपड़े की बांट के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय किया है ?

श्री करमरकर : हां, श्रीमान् । मिलों तथा हथकरघा उद्योग में कपड़े की बांट के सम्बन्ध में निर्णय करना तो प्रमुख निर्णयों में से एक होगा । एक दृढ़ मत यह है कि हमें मिलों को और अधिक आवंटन नहीं देना चाहिये ।

श्री बोगावत : क्या खादी तथा ग्राम्य उद्योग बोर्ड की ओर से कोई इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि ३२,००० लाख गज़ का लक्ष्य होना चाहिये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिलों को कोई अग्रेतर आवंटन नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री करमरकर : मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि सिफ़ारिश ठीक ठीक किन शब्दों में की गई है । इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है । यह एक महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री राघवैया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुभव बताता है कि देश में बेरोज़गारी बढ़ गयी है, क्या सरकार यह प्रस्थापना करती है अथवा यह विचार करती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उपरान्त वह लोगों के क्रय-सामर्थ्य को बढ़ा सकेगी ?

श्री करमरकर : प्रश्न के प्रथम अर्ध-भाग का सम्बन्ध रोज़गार से है, अतः मेरे मित्र इस प्रश्न को योजना आयोग से पूछें । प्रश्न के उत्तरार्ध के सम्बन्ध में . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह इसे अपनी द्वितीय प्रस्थापना के कारण के रूप में दे रहे हैं ।

श्री करमरकर : मैं उनके कारण को मानने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि कपड़े के उत्पादन के परिणामस्वरूप बेरोज़गारी नहीं हुई है ।

मिल का बना तेल

*१३३५. **श्री झूलन सिंह** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में मिलों द्वारा उत्पादित तेल पर १ रुपया ४ आने प्रति मन के हिसाब से उपकर लगाने के बारे में अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम्य उद्योग बोर्ड ने जो सिफ़ारिश की थी उसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने की प्रस्थापना है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : भारत में मिलों द्वारा उत्पादित तेल पर १ रुपया ४ आने प्रति मन के हिसाब से उपकर लगाने तथा इस प्रकार से प्राप्त होने वाली निधि को घानी-तेल उद्योग के विकास, वित्त पोषण तथा आर्थिक सहायता के लिये उपयोग में लाने के सम्बन्ध में बोर्ड ने जो सिफ़ारिश की है, उसका परीक्षण सरकार द्वारा भारत में तिलहन दलन उद्योग का एक सामान्य सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों को सामने रखते हुए किया जायेगा ।

जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सरकार ने एक अन्तरिम उपाय के रूप में, तेल पर दो रुपये आठ आने प्रति मन के हिसाब से उत्पादन-आर्थिक सहायता देने तथा सहकारी समितियों अथवा अभिज्ञात संस्थाओं द्वारा संघटित घानियों को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दिये जाने की मंजूरी दी है ।

श्री झूलन सिंह : घानी के तेल और मिल के तेल के मूल्यों के भारी अन्तर को देखते हुए, क्या सरकार, घानी के तेल को यदि सस्ता नहीं तो कम से कम मिल के तेल के मूल्य पर ही उपलब्ध कराने के लिये उसके मूल्य को स्थिर करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई कार्यवाही करना उचित समझती है ?

श्री सतीश चन्द्र : इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए ही खादी बोर्ड की सिफ़ारिशों पर घानियों द्वारा उत्पादित तेल पर दो रुपये आठ आने प्रति मन के हिसाब से आर्थिक सहायता देना मंजूर किया गया है ।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में सुविधायें

*१३३६. **श्री राधा रमण** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने दिल्ली राज्य सरकार की इस योजना को स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में रहने वालों को मूलभूत नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिये ५० लाख रुपया लगाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विशेष बातें क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). राज्य सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु वर्ष १९५५-५६ में नागरिक सुविधायें देने तथा विकास कार्य करने के लिये ४८·६ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है ।

श्री राधा रमण : मंत्री महोदय ने अभी अभी यह कहा है कि विकास कार्य के लिये लगभग ४८ लाख रुपयों की एक राशि रखी गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि इस धन से किन किन बस्तियों में विकास-कार्य किया जायेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : दिल्ली की बहुत सी बस्तियां इस योजना के अन्तर्गत आ जायेंगी। मैं उनमें से कुछ एक बस्तियों के नाम बता सकता हूं। वे हैं—सराय रुहेला, रीड्स लाइन्स मालवीय नगर, नजफ़गढ़ रोड की बस्तियां, तिहाड़, मोतीनगर, रमेशनगर, तिलक नगर, और झील खुरंजिया।

श्री राधा रमण : इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : उनको मुख्य रूप से तीन या चार भागों में बांटा जा सकता है—जैसे कि जल संभरण, विद्युतीकरण, भूगर्भ नाली प्रणाली तथा अन्य प्रकार के विकास कार्य जैसे कि सड़कें नालियां आदि।

श्री राधा रमण : यह योजना कब से प्रारम्भ की जाने को है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि इन में से कुछ एक बस्तियां, जो कि पांच या छ: वर्ष पूर्व बसायी गयी थीं, अभी भी इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण अनेक कष्ट सह रही हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं माननीय सदस्य के कथन के वास्तविक अर्थ को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। परन्तु हम इन बस्तियों को वर्तमान स्तर तक लाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, और यह योजना पहले ही से कार्यान्वित की जा रही है।

वस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में उद्योग

***१३३७. श्री गिडवानी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थी-बस्तियों में उद्योगों को स्थापित करने के लिये उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में जो मूल निर्णय किये गये थे उनमें कोई परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) क्या विभिन्न शरणार्थी बस्तियों में उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये किन्हीं उद्योगपतियों ने अपना विचार प्रकट किया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) विभिन्न शरणार्थी बस्तियों के लिये लगभग ३० औद्योगिक योजनाओं को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

श्री गिडवानी : किन किन शरणार्थी बस्तियों में ये उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : ये बस्तियां पूर्वी खण्ड तथा पश्चिमी खण्ड दोनों में स्थापित हैं। उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पूर्वी खण्ड में जिन जिन बस्तियों को चुना गया है, वे ये हैं :—हाबरा-बैगाच, गयेशपुर, खुशबाश मुहल्ला, ताहिरपुर, रिशरा, दासनगर, सूर्यनगर, तथा बेलिघा घाट। जहां तक पश्चिमी खण्ड का सम्बन्ध है इनकी संख्या १४ है; बस्तियों के नाम ये हैं :—फ़रीदाबाद (पंजाब), सरदारनगर (बम्बई), उल्हासनगर (बम्बई), पिम्परी (बम्बई), मालवीय नगर (दिल्ली), कालकाजी (दिल्ली), प्रेमनगर (उत्तर प्रदेश), नैनी (उत्तर प्रदेश), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), राजपुरा (पैप्सू), बैरागढ़ (भोपाल), बन्तवा (सौराष्ट्र), आदर्श नगर (जयपुर) और अजमेर।

श्री गिडवानी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या अभी तक कहीं कोई उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं, और यदि हां, तो किन किन बस्तियों में प्रारम्भ किये गये हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : कई उद्योग तो फ़रीदाबाद में प्रारम्भ किये जा चुके हैं और कई राजपुरा में। और बम्बई के लिये कई योजनायें मंजूर की जा चुकी हैं।

श्री गिडवानी : बम्बई के लिये कौन सी योजनायें मंजूर की गयी हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : हाल ही में दो योजनाओं की मंजूरी दी गयी है; मेरे विचारानुसार एक तो वाको रेडियो की है और दूसरी मोहता की है ।

श्री गिडवानी : किस बस्ती में ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरे विचारानुसार ये उल्हासनगर में हैं ।

श्री साधन गुप्त : क्या हाबरा–बगाच अथवा गयेशपुर में कोई उद्योग चलाये गये हैं ? यदि नहीं, तो वहां पर कौन कौन से उद्योग चलाये जायेंगे, और कब चलाये जायेंगे ? और इन उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिल जाने की संभावना है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अभी हाल ही में लगभग आठ योजनायें स्वीकार की गयी हैं । उनमें हाबरा–बैगाच को भी इनमें सम्मिलित किया गया है, और उनके कारण पांच हज़ार से लेकर छै हज़ार तक व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की संभावना होगी । जहां तक सरकारी अंश का सम्बन्ध है इस पर लगभग १ १/२ करोड़ रुपया लग जायेगा ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार इस योजना में पंजाब की बस्तियों को भी सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? अभी तक इस योजना में पंजाब की कोई भी बस्ती सम्मिलित नहीं की गयी है । क्योंकि इस कार्य के लिये एक बहुत बड़ी राशि उपलब्ध है, और पंजाब में अनेकों बस्तियों में बहुत अधिक बेरोज़गारी है, क्या सरकार इस योजना में पंजाब की किन्हीं बस्तियों को भी सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये फ़रीदाबाद पंजाब में है। परन्तु फिर भी यदि राज्य सरकार भारत सरकार को किसी ऐसी बस्ती को सम्मिलित किये जाने के बारे में कोई योजना भेजे जहां पर कि बहुत अधिक बेरोज़गारी है और जिसकी अपनी कोई भी अर्थ व्यवस्था नहीं है तो उस पर समुचित विचार किया जायेगा ।

चाय उद्योग

*१३४०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से देहरादून (उत्तर प्रदेश) के चाय उद्योग को घोर वित्तीय कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से या चाय उद्योग से कोई मैमोरेंडा प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां तो वहां पर चाय उद्योग की दशा को सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं या करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि पिछले कुछ वर्षों के अन्दर देहरादून के बहुत से चाय बग़ीचे बन्द हो गये हैं और यहां तक कि उन में खेती होने लगी है जिसकी वजह से सैकड़ों मज़दूर बेकार हो गये हैं ?

श्री करमरकर : हम को इस बात का पता नहीं है लेकिन हमें इस बात का पता है कि वहां चाय की पैदावार प्रति एकड़ कम होती है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि देहरादून के चाय बगीचों में अभी तक केवल ग्रीन टी बना करती थी लेकिन अब हरी चाय आसाम के और दूसरे बगीचों में भी होने लगी है और इसलिये उसका मार्केट घटता जा रहा है ? क्या गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी कि हरी चाय और दूसरी तरह की चाय के लिये अलग अलग क्षेत्र निर्धारित कर दिये जायें ताकि सब को बढ़ने का मौक़ा मिले ?

श्री करमरकर : यह तो बहुत बड़ा सवाल है जी । अगर माननीय सदस्य देहरादून के बारे में कोई उपयुक्त सुझाव देंगे तो उस पर हम विचार करेंगे ।

अणु शक्ति

*१३४२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ११ अप्रैल १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणुशक्ति में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कितने प्रशिक्षणार्थियों को विदेशों में भेजा गया है; और

(ख) उन्हें किन देशों में भेजा गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १८ ।

(ख) मुख्य रूप से ब्रिटेन, अमेरिका तथा फ़्रांस में ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार की इच्छा विदेशों को और अधिक प्रशिक्षणार्थी भेजने की है, और यदि हां तो किन देशों को ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब भी आवश्यक समझा जाता है उन्हें थोड़ी थोड़ी संख्या में निरन्तर विदेशों में भेजा जा रहा है । जैसा कि मैं ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया था हम उन्हें मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस को, कुछ एक को अमेरिका को, कुछ को नार्वे को, कुछ को स्वीडन को और कुछ को हॉलैंड को लगभग ६ मास अथवा तीन मास के छोटे छोटे पाठ्य-क्रमों के लिये भेजते हैं । मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि भविष्य में किस किस को भेजा जायेगा, कितनों को भेजा जायेगा और किन किन देश को भेजा जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : हाल ही में प्रैस में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि अणु शक्ति के प्रयोगों के सम्बन्ध में हमारा देश कुछ एक क्षेत्रों में अन्य देशों की अपेक्षा बढ़ चढ़ कर है । क्या सरकार की इच्छा है कि उन क्षेत्रों में प्रशिक्षिण देने के लिये अन्य देशों के प्रशिक्षणार्थियों को बुलाने की है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हमारा देश कुछ एक क्षेत्रों में अग्रणी है । क्या अन्य देशों के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का हमारा कोई विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, हां । निश्चित रूप से हमारा यह विचार है कि जब हम अपना रीएक्टर लगायेंगे तो हम अन्य देशों और मुख्य रूप से एशिया के देशों के प्रशिक्षणार्थियों को यहां प्रशिक्षण देंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल की पटरियों का आयात

*१३०४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवेज़ में प्रयुक्त किये जाने के लिये १९५४–५५ में कितनी रेल की पटरियां आयात की गईं; और

(ख) उन देशों के नाम जहां से इन को आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). ३३,०६४ टन जापान से ।

ज़िप फ़ॉस्नर उद्योग

*१३०५. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के ज़िप फ़ॉस्नर उद्योग के विकास में सरकार ने क्या अंशदान दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : ज़िप फ़ॉस्नर उद्योग के विकास को निजी उपक्रम पर छोड़ दिया गया है। देशी स्रोतों से अथवा विदेशों से उद्योग को कच्चा माल तथा संयंत्र और मशीनरी प्राप्त करने में जिस सहायता की आवश्यकता होती है वह सरकार द्वारा दी जाती है ।

खादी और ग्रामोद्योग

*१३०८. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना से अब तक उसे सरकार द्वारा कितनी राशि अनुदान के रुप में दी गई है; और

(ख) ऋण और सहायक अनुदान के रूप में अलग-अलग कितनी राशि दी गई है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४४**]

पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार

*१३१३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार सम्बन्धों को विकसित करने के हेतु क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४५**]

काफ़ी (कहवा)

*१३१४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में कहवा की कृषि के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र (राज्यवार) था; और

(ख) उसकी क़िस्म को सुधारने और क़हवा उद्योग के विस्तार के हेतु क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४६]

भारी रासायनिकों के लिये विकास परिषदें

*१३१६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारी रासायनिकों (अम्लों तथा उर्वरकों) और भारी रासायनिकों (क्षारों) सम्बन्धी विकास परिषदों की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाहियां की हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४७**]

धातु उद्योग

*१३१९. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जस्ता, चांदी तथा तांबा जैसी अलौह धातु उद्योगों को स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की गई हैं ;

(ख) कब तक उन के कुप्यक संयंत्रों के स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इन को केवल सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा निजी क्षेत्र में ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) चांदी और तांबा (अग्नि शोधित) पहले ही देश में बनाये जा रहे हैं। जहां तक जस्ते का सम्बन्ध है, इस प्रश्न की जांच करने के लिये १९५१ में प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन एक जस्ता (कुप्यक) समिति सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और वह अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में अभी कोई सूचना देना संभव नहीं है।

संयंत्र तथा मशीनरी समिति

***१३२१. श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्तियों को एक परियोजना से दूसरी परियोजना को भेजने के लिये एक केन्द्रीय प्रविधिक जनशक्ति निदेशालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में संयंत्र तथा मशीनरी समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : यद्यपि इस सिफ़ारिश के अनुसार एक केन्द्रीय प्रविधिक जनशक्ति निदेशालय अभी स्थापित नहीं किया गया है, सरकार दामोदर घाटी निगम जैसी समाप्त प्रायः परियोजनाओं से अतिरेक होने वाले प्रविधिक कर्मचारियों के ब्यौरे प्राप्त कर रही है और इन अतिरेक हुए कर्मचारियों को उपयुक्त वैकल्पिक नौकरियां प्राप्त कराने के विचार से इन ब्यौरों को अन्य योजनाओं में परिचालित कर रही है। देश के सर्वोत्कृष्ट हित में प्रशिक्षित तथा अनुभवी प्रविधिक कर्मचारियों के नियोजन का प्रश्न सरकार द्वारा जुलाई १९५५ में नियुक्त की गई नदी घाटी परियोजनायें प्रविधिक कर्मचारीवर्ग समिति को निर्दिष्ट पदों में से एक है। उस समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

चाय के मूल्य

***१३२५. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ की ऋतु में विभिन्न मंडियों में चाय के औसत मूल्य क्या रहे थे और १९५२ और १९५३ में रहे मूल्यों की तुलना में यह कैसे थे; और

(ख) उन पर घोषित किया गया औसत लाभांश कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हिसाब लगाने की मशीनें

***१३३४. श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हिसाब लगाने की कितनी मशीनों का आयात किया गया;

(ख) क्या ऐसी मशीनें भारत में भी बनाई जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष १९५४-५५ में बनाई गई मशीनें देश की पूर्ण आवश्यकता की कितने प्रतिशत होंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ब्रिटिश उद्योग मेला

*१३३८. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष ब्रिटिश उद्योग मेले में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो मेले में प्रदर्शित सामान और हस्तकला की चीजें किस प्रकार की थीं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विश्व औद्योगिक विकास को देखने के लिये इस मेले में कोई पर्यवेक्षक भेजा गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

चाय कर्मचारियों को बोनस

*१३३९. **श्री के० पो० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत के चाय के बागानों के कामकरों ने मांग की है कि उन्हें वर्ष १९५३ और १९५४ के लाभ में से बोनस दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वह इस पर विचार करने में विलम्ब करें या इसको टाल दें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ऊपरी आसाम के चाय के कामकरों ने बोनस की मांग की थी ।

(ख) जी नहीं । ऐसी किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी ।

टाइप की मशीनें

*१३४३. **श्री इब्राहीम** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के कार्यालयों में संभरण करने के लिये गत तीन वर्षों में खरीदी गयी टाइप की मशीनों पर, वर्षवार, क्या व्यय हुआ; और

(ख) उक्त समय में क्रमशः भारतीय निर्माताओं और विदेशी निर्माताओं से कितनी टाइप मशीनें खरीदी गयीं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क)

	रुपये
१९५२–५३ .	२२,०८,९०१
१९५३–५४ .	१६,०६,१४५
१९५४–५५ .	२६,९०,३४०

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४९]

खादी

*१३४४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४–५५ के दौरान ग्राम उद्योग उत्पादों और खादी का प्रचार करने के लिये विज्ञापन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और चालू वर्ष में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : १९५४–५५ के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन विभाग ने खादी तथा ग्राम उद्योग उत्पादों का प्रचार करने के लिये प्रदर्शनियों का माध्यम अपनाया । भारतीय हस्तकौशल तथा रेशम कृमि-पालन उद्योग और हथकरघे के बने कपड़ों के प्रचार के लिये पत्रिकाओं और अखबारों में डिस्प्ले विज्ञापनों, पोस्टरों, बिजली के प्रकाशमान

दीपों द्वारा प्रचार, भीड़भाड़ मेलों, सिनेमा चित्रों और बसों पर लगाये जाने वाले इश्तहारों का प्रयोग किया गया। इन आन्दोलनों में २·७८ लाख रुपये व्यय हुए। प्रकाशन विभाग, प्रलेख चित्रों और प्रेस से छपे साहित्य द्वारा भी प्रचार किया गया।

सभा-पटल पर एक विस्तृत विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५०]**

१९५५–५६ के दौरान यह आन्दोलन जारी रहेगा और बढ़ाया जायेगा।

मंत्रालय प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और देश के विभिन्न भागों में पंचवर्षीय योजना प्रचार के अंग के रूप में होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेता है और इन प्रदर्शनियों में खादी तथा ग्राम उद्योग की वस्तुओं का विशेष प्रदर्शन किया जाता है।

सीमा पर घटना

*१३४५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** पाकिस्तान पुलिस द्वारा पूर्निया (बिहार) सीमा पर नवम्बर, १९५३ में एक भारतीय राष्ट्रजन को गोली से मार डालने के विषय में १२ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने उस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है जो उसके प्रतिनिधियों ने पेश किया था;

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के प्रतिवेदनों की अदला-बदली हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निश्चय क्या हुआ ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). पाकिस्तान सरकार अपने प्रतिनिधियों के प्रतिवेदन का परीक्षण अब भी कर रही है। उन से अपना परीक्षण शीघ्र समाप्त करने की प्रार्थना कर दी गयी है।

बिजली

६८०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५३–५४ और १९५४–५५ में अलग अलग कुल कितनी बिजली पैदा की गयी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :

वर्ष	बिजली का उत्पादन
१९५३–५४	८,८५,२७,००,००० के० डब्ल्यू० एच०
१९५४–५५	९,९०,८७,००,००० के० डब्ल्यू० एच०

निष्क्रान्त सम्पत्ति

६८१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश में शहर और देहात में निष्क्रान्तों के कितने मकान और कितने एकड़ खेती की भूमि छूट गयी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : पेप्सू और हिमाचल प्रदेश राज्यों के सम्बन्ध में मांगी गयी जानकारी निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	निष्क्रान्त कृषि-भूमि का सम्पूर्ण क्षेत्रफल	गांवों के मकानों की संख्या	शहर के मकानों की संख्या
पेप्सू	४,३७,१९५ मान्य एकड़	१,००,२९५	४१,३३७ (दुकानों को मिलाकर)
हिमाचल प्रदेश	२,७५३ एकड़	१४७	५३२

पंजाब के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

मधुमक्खी पालन केन्द्र

६८२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अभी तक पंजाब में कितने मधुमक्खी पालन केन्द्र खोले जा चुके हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : एक भी नहीं।

सिंगापुर विधान मंडल

६८३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने भारतीय सिंगापुर विधान मंडल के सदस्य हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : चार।

पोत-निर्माण

६८४. **श्री इब्राहीम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विद्यार्थियों और इन्जीनियरों के क्या नाम हैं जिनको गत तीन वर्षों में भारत सरकार ने पोत-निर्माण की विशेष शिक्षा के लिये विदेशों में भेजा है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : पोत-निर्माण के प्रशिक्षण के लिये गत तीन वर्षों में विदेशों में भेजे गये प्रशिक्षुओं के नाम निम्न हैं :—

नाम	योजना	देश	वर्ष
१. श्री टी० रघुराम	कोलम्बो याजना	ब्रिटेन	१९५३
२. श्री एस० वी० कपाड़िया	संयुक्त राज्य आर्थिक विकास पारिषद्यता पुरस्कार	नेदरलैंड	१९५४
३. श्री ए० एस० रोजर्स ४. श्री बी० के० चक्रवर्ती ५. श्री माधवराव कन्नामल्ला ६. श्री एस० मजूमदार ७. श्री एस० सनिवादा ८. श्री एस० दत्त ९. श्री ए० वी० डाण्डेकर १०. श्री बी० कौलरा ११. श्री एन० वी० सूर्यनारायन	इन सभी पदाधिकारियों को हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा शिल्पिक परामर्शकों के पोत-प्रांगणों में प्रशिक्षण लेने के लिय भेजा गया है।	फ्रांस	१९५५

नोट : श्री एन० मुस्तफी, जिन्हें परिवर्द्धित समुद्र-पार छात्रवृत्ति योजना १९४९-५० के अन्तर्गत ब्रिटेन भेजा गया था, अभी विदेश में ही अध्ययन कर रहे हैं।

कागज़ उद्योग

६८५. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में भारत में कागज़ उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी (राज्यवार) लगाई गयी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर प्रश्न में पूछी गयी अवधि में उड़ीसा की एक कागज़ मिल को १,९४,७९० रुपये तक के अंश विदेशियों को दिये जाने की स्वीकृति दी गयी थी।

रुई

६८६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुई क्रेताओं को सूडान की सरकार विशेष सुविधायें देती है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खादी

६८७. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५५ से जून, १९५५ तक कितने गज़ खादी का उत्पादन हुआ और उसका मूल्य कितना था; और

(ख) १९५३, १९५४ और १९५५ में अब तक कितने मूल्य की खादी का उत्पादन हुआ ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). उत्पादन के आंकड़े और हिसाब आर्थिक वर्ष के अनुसार रखे जाते हैं। चालू वर्ष के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं और उनसे सम्बन्धित सूचना देना कठिन है । १९५३–५४ और १९५४–५५ में खादी के उत्पादन और मूल्य का विवरण निम्नलिखित है :—

आर्थिक वर्ष	उत्पादन (वर्ग गज़)	मूल्य (रु०)
१९५३-५४	१,१५,४५,१९९	२,१३,२८,४२४
१९५४-५५	१,८१,३५,१२०	३,४८,१०,१११

मोटर गाड़ियां

६८८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५४ से जून, १९५५ तक भारत में कितनी मोटर गाड़ियों का निर्माण किया गया; और

(ख) उनमें से कितनी तेल से चलती हैं और कितनी पेट्रोल से ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ९,५६० ।

(ख) देश में निर्मित होने के लिये जिन किस्मों की मोटरकारें स्वीकृत हुई हैं, वे सब पेट्रोल से चलने वाली हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

६८९. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मई, १९५५ के बाद दिल्ली राज्य में मालवीय नगर, पुराना किला तथा विस्थापित व्यक्तियों की अन्य बस्तियों में आंधी के कारण कितने मकान टूट-फूट गये या नष्ट हुए; और

(ख) इन क्षतियों के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क)

टूट-फूट गये मकान	एक भी नहीं
नष्ट मकान	. ३४ मालवीय नगर में, १७० पुराना किला में और ५ पुराने राजेन्द्र नगर में ।

(ख) २५,६५० रुपये ।

मलाया फेडरेशन कौंसिल

६९०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल के चुनाव में मलाया फेडरेशन कौंसिल (परिषद्) में भारतीय चुने गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने भारतीय चुने गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) एक ।

प्रतिकर

६९१. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के शहरों में छोड़ी गई सम्पत्तियों के प्रमाणित दावों के लिये अन्तरिम और अन्तिम प्रतिकर योजनाओं के अन्तर्गत निश्चित राशियों के तुलनात्मक आंकड़ों का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करें ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५१]**

पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा

६९२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५ में अब तक पाकिस्तान से कितने मुसलमान पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा करने के लिये भारत आये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पाकिस्तान के मुसलमान भारत में पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा करने के लिये विशेष अवसरों पर भारत में या तो एक एक कर के या तीर्थ यात्रियों के दल बना कर आते हैं । १ जनवरी से १५ अगस्त १९५५ तक भारत आने वाले ऐसे तीर्थयात्रियों के दलों के व्यक्तियों की संख्या ६३४ थी । एक एक करके आने वाले तीर्थ-यात्रियों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है ।

वालिवादे में विस्थापित व्यक्तियों के मकान

६९३. **श्री सुचेता कृपलानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वालिवादे कोल्हापुर की गांधी नगर बस्ती में (१) एक कमरे वाले (२) दो कमरे वाले मकानों की संख्या क्या है ;

(ख) उन में से कितनों में इस समय लोग रह रहे हैं ;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों से सरकार कितना मासिक किराया लेती है ;

(घ) क्या यह सच है कि अधिक किराये के विरोध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) ५१० एक कमरे वाले मकान। ८८८ दो कमरे वाले मकान ।

(ख) ४८० एक कमरे वाले मकान, ६६२ दो कमरे वाले मकान ।

(ग) ६ रुपये ४ आने प्रति एक कमरे वाले मकान पर। ११ रुपये ८ आने प्रति दो कमरे वाले मकान पर ।

(घ) और (ङ). अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उसको जांचा भी गया था । गांधी नगर बस्ती में किराया निश्चित करने का आधार वही है जो बम्बई राज्य की अन्य बस्तियों में है । चूंकि किराया निश्चित सूत्र के अनुसार निश्चित किया गया है, जो कि उचित समझा जाता है, अतः किराये में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

पक्षियों का निर्यात

६९४. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १९५२–५३ और १९५३–५४ की तुलना में १९५४–५५ के दौरान भारतीय पक्षियों का अधिक निर्यात हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९५३–५४ में हुये पक्षियों के निर्यात की तुलना में अधिक किन्तु १९५२–५३ में हुये निर्यात की तुलना में कम निर्यात १९५४–५५ में हुआ ।

रहने का स्थान

६९५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्वार्टरों के निर्माण में तथा सरकारी कर्मचारियों को उनका आवंटन करने में देर होने के कारण भावी क्वार्टर पाने वालों से किराया न मिलने तथा मकान किराया भत्ता देने के रूप में सरकार को खासी आर्थिक हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय चल रहे निर्माण को शीघ्र ही पूरा करने तथा कर्मचारियों को उनका आवंटन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) चल रहे निर्माण को पूरा करने में हमारी ओर से कोई देर नहीं की जा रही । जो क्वार्टर बनते जाते हैं, उनका साथ साथ बिना कोई देर किये आवंटन किया जाता है । जिन लोगों के पास इस समय मकान नहीं उन्हें बराबर मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ।

(ख) जहां तक भी व्यवहार्य हो सकता है, इन मकानों को शीघ्रतापूर्वक सुविधाओं सहित पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

रहने का स्थान

६९६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में (अब तक) विविध श्रेणियों के कितने निवासस्थान बिना बारी के, वर्षवार, आवंटित किये गये ;

(ख) (१) सम्बद्ध अभ्यर्थियों के लिये मान्य श्रेणी के, (२) अभ्यर्थी जिस श्रेणी के थे उससे एक दर्जा कम श्रेणी के, और (३) निचली श्रेणियों के कितने मकान आवंटित किये गये ; और

(ग) बिना बारी के स्थान चाहने वाले अभ्यर्थियों में से, जिन्हें अभी कोई मकान नहीं मिला है, प्राथमिकता क्रम से किस के अभ्यावेदन की सब से पहले की तारीख है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) नई दिल्ली के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५२]**

प्रादेशिक संस्थायें

६९७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये टेकनोलोजी (प्रौद्योगिकी) की चार प्रादेशिक संस्थायें स्थापित की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर अनुमानतः कितना वार्षिक व्यय हुआ करेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इन चार संस्थाओं पर लगभग १·३ करोड़ रुपये का पूंजी व्यय होगा । अनुमान लगाया जाता है कि इन चार प्रादेशिक संस्थाओं में संस्थापन सम्बन्धी आवर्त्तक व्यय २२ लाख रुपये प्रति वर्ष होगा ।

गृह-निर्माण संस्थाओं को ऋण

६९८. { **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वी० पी० नायर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के मलबार जिले की नागरिक गृह-निर्माण संस्थाओं को ३० जून, १९५५ तक कितना ऋण मंजूर किया गया है;

(ख) क्या मलबार जिले के नागरिक क्षेत्र में गृह-निर्माण की स्थिति में कुछ प्रगति हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जहां तक औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋणों का प्रश्न है, इस प्रकार की किसी भी संस्था ने इस योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की सहायता के लिये नहीं प्रार्थना की है। जहां तक अल्प आय वर्ग मकान योजना के अन्तर्गत ऋणों का प्रश्न है, ऐसा समझा जाता है कि मद्रास सरकार विभिन्न सहकारी आवास संस्थाओं से प्राप्त प्रार्थनाओं को जांच रही है ।

(ख) इस विशेष क्षेत्र में अपर्याप्त आवास स्थिति की कोई भी शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय बागान

६९९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ तथा १९५५ के पूर्वार्द्ध में कितने चाय बागान बेचे गये तथा प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना था;

(ख) प्रत्येक बागान में, प्रारम्भ में, कितनी पूंजी लगाई गई थी;

(ग) विक्रय मूल्य को विदेश भेजने के लिये कुल कितने पौंड की आवश्यकता थी; और

(घ) कुल कितने पौंडों को भेजने की अनुमति थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ). ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

मशीनी औज़ार बनाने के कारखाने

७००. { **श्री राम शंकर लाल :**
श्री एस० वी० रामस्वामी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २२ अगस्त १९५५ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ के रक्षा मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में अम्बरनाथ स्थित मूलरूप के मशीनी औजारों के कारखाने और जालाहाली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजारों के कारखाने की कार्य प्रगति पर कोलम्बू योजना विशेषज्ञ श्री जे० डी० स्केफ की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : इंजीनियरिंग सामर्थ्य सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के ७५–८२ पृष्ठों पर अम्बरनाथ और जालाहाली स्थित मशीनी औजार कारखानों सम्बन्धी श्री स्केफ़ की रिपोर्ट है । इस रिपोर्ट की एक प्रति, जिस के साथ श्री स्केफ़ की रिपोर्ट के सम्बन्ध में रक्षा तथा उत्पादन मंत्रालयों की टिप्पणियां भी हैं, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—२९३/५५]**

तिब्बत के साथ व्यापार

७०१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ के दौरान भारत और चीन के तिब्बती भाग में किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात हुआ और कितनी मात्रा में; और

(ख) गत वर्ष चीन और भारत के बीच हस्ताक्षरित मित्रता सन्धि का इस आयात और निर्यात पर किस हद तक प्रभाव पड़ा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य २९ अप्रैल, १९५४ को भारत गण-राज्य और चीन के लोक गण-राज्य के मध्य हस्ताक्षरित हुए उस करार का उल्लेख कर रहे हैं, जो चीन के तिब्बत प्रदेश और भारत के बीच होने वाले व्यापार और आवागमन के सम्बन्ध में हुआ था। भारत और तिब्बत में १९५३–५४ की अपेक्षा १९५४–५५ के वर्ष में हुए कुल व्यापार में अच्छी वृद्धि हुई है।

लोक-सभा

वाद-विवाद

गुरुवार,
१ सितम्बर, १९५५

18/4/73
Chamber Fumigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3-4-91
Fumigated
On 11.7.83
Parliament Library

खंड 6. दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर '१९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

स्तम्भ

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . .	१७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	१७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—	
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . .	१८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . .	१८४५–४६
(३) साइकिलें	१८४६
(४) चीनी	१८४६
काफी नियम, १९५५	१८४६
रबड़ नियम, १९५५	१८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १	१९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	१९१९–५२
खण्ड २ से १०	१९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	१९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .	
खण्ड २ से १० . . .	१९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७	२०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ .	२०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . .	२०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . .	२१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०

राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१

एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . . २१४१—४४

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४

खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५

सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९

मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०

खान नियम १९५५ . . . . २२४०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१

कशाघात उत्सादन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०

खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३

खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१

राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२, २४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुर:स्थापित २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२८

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १६५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६

खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९

खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६

समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १६५५)

अनक्रमणिका . . . .

लोक-सभा

गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, अर्थात :

(१) मशीनी पेच उद्योग को संरक्षण दिया जाना जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५);

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १८ (१)—टी० बी०/५५ दिनांक २३ अगस्त, १९५५;

(३) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या १८(१)—टी०बी०/५५ दिनांक २३ अगस्त, १९५५; और

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ (२) के परन्तुक के अन्तर्गत विवरण जिस में उपरोक्त (१) से (३) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के विदित कालावधिक भीतर वे सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस—२९०/५५**]

राज्य-सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान मुझे सभा को यह सूचना दनी है कि लोक-सभा द्वारा ९ अगस्त, १९५५ को पारित औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक, १९५५ को राज्य-सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

समवाय विधेयक (जारी)

खंड २०८ से २५०

अध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक के खंड २०८ से २५० तक पर आगे विचार करेगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : कल मैं कह रहा था कि विधेयक द्वारा निरीक्षकों को बहुत ज्यादा शक्ति दी जा रही है। विधेयक में इन निरीक्षकों की अर्हताओं के विषय में कोई उल्लेख नहीं है । इसके अतिरिक्त विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध भी नहीं है जिस के द्वारा इन निरीक्षकों द्वारा शक्ति के उपयोग पर निगररानी रखी जाये । आप उन्हें

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इतने बड़े अधिकार दे रहे हैं कि उन की रिपोर्टों पर अभियोग चलाये जा सकेंगे, समापन कार्यवाहियां प्रारम्भ की जा सकेंगी और हानि-पूर्ति वसूल की जा सकेगी। परन्तु उन की शक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं। निरीक्षक किसी ऐसे व्यक्ति से, जिस के विरुद्ध जांच का आदेश हुआ हो, शपथ दिलवा कर बयान ले सकता है और वह व्यक्ति बयान देने से इन्कार नहीं कर सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १२९, १३०, १३२ आदि में यह उपबन्ध है कि ऐसे व्यक्ति को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये विवश नहीं किया जा सकेगा और यदि उस पर दबाव डाल कर कोई बयान लिया जायेगा तो वह बयान उस के विरुद्ध नहीं समझा जायेगा। परन्तु इन खंडों में हम ने जो उपबन्ध किया है वह साक्ष्य अधिनियम की इन धाराओं की भावना के प्रतिकूल है।

खंड २३९ को पढ़ने से पता चलता है कि किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये उत्तरों का उसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जायेगा। खंड २३८ में यह उपबन्ध है कि निरीक्षक न केवल उस समवाय के कार्य की जांच करेगा जिसका कि अभियुक्त प्रबन्ध अभिकर्ता है, अपितु वह अन्य सम्बन्धित समवायों के कार्यों की भी जांच कर सकेगा। कहा गया है कि ऐसा करने के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन लिया जाना होगा। परन्तु जहां तक अनुमोदन का सम्बन्ध है, हम जानते ही हैं कि यह किस प्रकार दिया जाता है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

आयकर अधिनियम से हमें पता चलता है कि इस प्रकार का अनुमोदन लिया जाना तो एक सामान्य सी बात है। इस में कोई कठि-नाई नहीं होती। मुझे इस बात में बिल्कुल भी सन्देह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अनुमोदन तो लगभग सभी मामलों में दे दिया जायेगा। जब भी कोई निरीक्षक अन्य सम्बिन्धित समवायों के कार्य की जांच करने की इच्छा प्रकट करेगा उसे ऐसा करने की अनुमति देने से इन्कार नहीं किया जायेगा। इसके परिणाम-स्वरूप वही हालत पैदा हो जायेगी जो आयकर जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच के सम्बन्ध में निरीक्षकों द्वारा शक्ति का उपयोग किये जाने के समय उत्पन्न हो गई थी। उस में जो उपबन्ध किये गये थे—और जो इस विधेयक में किये गये उपबन्धों से मिलते-जुलते थे—बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा शक्ति परस्तात् घोषित कर दिये गये।

निरीक्षक को कुछ विशेष शक्तियां भी दी गई हैं। उदाहरणार्थ, वह किसी व्यक्ति से बही खाता आदि पेश करने के लिये कह सकता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई बही खाता आदि पेश करने से इन्कार कर दे तो निरीक्षक इसकी सूचना न्यायालय को देगा और न्यायालय के सामने वह व्यक्ति जिस ने कागजात पेश करने से इन्कार कर दिया हो, हाजिर होगा। न्यायालय एक प्रकार की संक्षेप सी कार्यवाही द्वारा ही उस व्यक्ति को इस प्रकार दंड देगा मानो वह न्यायालय अपमान का दोषी हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४८०, ४८१ और ४८२ के अनुसार किसी व्यक्ति को न्यायालय अपमान का दोषी तब तक नहीं ठह-राया जा सकता जब तक कि न्यायालय अपमान-स्वयं न्यायालय के समक्ष ही न हुआ हो। परन्तु यहां अपराध तो निरीक्षक के सामने होगा और निरीक्षक ही उस का साक्ष्य होगा। जिस समय निरीक्षक उस व्यक्ति से प्रश्न पूछेगा उस समय वहां अन्य बहुत से लोग तो मौजूद होंगे नहीं और बाद में उस के लिये सफाई में गवाह पेश करना मुश्किल हो जायेगा।

खंड २४५ के अन्तर्गत, निरीक्षक द्वारा व्यक्त की गई राय संगत समझी जायेगी।

यह उपबन्ध साक्ष्य अधिनियम के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है ।

खंड २४६ में जो उपबन्ध किया गया है वैसा उपबन्ध तो मैं ने अन्य किसी विधि में नहीं देखा ।

एक और प्रतिबन्ध भी है । मेरा निवेदन है कि उस व्यक्ति पर जो निरीक्षक को सहायता नहीं देना चाहता दबाव डालने के लिये इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना एक नई बात है जो पहले कभी नहीं देखी गई । मेरे विचार में किसी न्यायालय को इस प्रकार का दबाव डालने का अधिकार नहीं होना चाहिये । निरीक्षक की रिपोर्ट बिल्कुल स्वच्छन्द और एकपक्षीय होगी और वास्तव में इस पर कोई नियंत्रण या अधीक्षण नहीं होगा । मैं नहीं समझ सकता कि वित्त मंत्रालय किस प्रकार निरीक्षक के कार्यों का अधीक्षण कर सकेगा । विधेयक में ऐसा भी कोई उपबन्ध नहीं है कि निरीक्षक को उस व्यक्ति की उपस्थिति में बयान लेने पड़ेंगे जिस के विरुद्ध जांच हो रही है या यह व्यक्ति सफाई के गवाह पेश कर सकेगा इस विधेयक में निरीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि वह जिस व्यक्ति से चाहे बयान ले सकता है । वित्त मंत्री ने कहा है कि वह केवल डराने के लिये इन शक्तियों का उपबंध कर रहे हैं । यदि ये निरीक्षक नियुक्त न किये जायें या यदि नियुक्त किये जायें, तो उन्हें यह शक्तियां न दी जायें, तब तो कुछ हद तक काम चल सकता है अन्यथा देश में असन्तोष फैल जायेगा और फिर इन उपबन्धों को हटाना पड़ जायेगा ।

अब मैं खंड २२५ को लेता हूं । इस के बारे में श्री रामस्वामी ने जो कुछ कहा है मैं उस का समर्थन करता हूं । इस समय समवायों की संख्या २६,००० है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के पूरे होने तक २०,००० समवाय और स्थापित हो जायेंगे । लेखापरीक्षकों की संख्या २७,०० है और उन के पास अत्याधिक काम है । हम जानते हैं कि ये लेखा परीक्षक बहुत फीस लेते हैं, जो कि साधारण समवाय नहीं दे सकते । देश के हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिकृत लेखापाल (चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स) और होने चाहियें और यह तभी हो सकता है जब, जैसा कि श्री रामस्वामी ने कहा है, निगमित लेखापरीक्षक तथा लेखापाल संस्था (सोसाइटी आफ इन्कार्पोरेटेड आडीटर्स एण्ड एकाउन्टेंट्स) के सदस्यों को अधिकृत लेखा-पालों का काम करने दिया जाये । इस संस्था में बहुत से अर्हता प्राप्त व्यक्ति हैं, जो यह काम अच्छी तरह कर सकते हैं । इनके लिये सरकार एक परीक्षा रख सकती है । परीक्षा पास करने वालों को अधिकृत लेखापालों का काम करने की अनुमति दे दी जानी चाहिये ।

श्री जे० आर० मेहता (जोधपुर) : मैंने संशोधन संख्या ७०६, ७१६, ७२५, ७२७ और ७३१ रखे हैं ।

समवाय विधेयक में हम ने बहुत से उपबन्ध रखे हैं, जिन का उद्देश्य यह है कि अंशधारी समवायों के कार्यों में पहले से अधिक भाग ले सकें और यह अनुभव करने पर कि कोई चीज गलत हो रही है, हस्तक्षेप कर सकें । मेरे विचार में एक उपबन्ध ऐसा भी होना चाहिये जिस के अनुसार अंशधारी केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना कर के एक अतिरिक्त लेखापरीक्षक नियुक्त करवा सकें । यदि वे अनुभव करें कि लेखापरीक्षक पक्षपात से काम ले रहे हैं, तो उन्हें केन्द्रीय सरकार से एक अतिरिक्त लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिये प्रार्थना करनी चाहिए और यदि यह प्रार्थना अंशधारियों की निर्धारित संख्या ने की हो तो केन्द्रीय सरकार को ऐसा लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिये । इस नियुक्ति की संभावना का ही बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

संभवतः मुझ से यह कहा जायेगा कि विधेयक के खंड २३४ में यह उपबन्ध है कि

[श्री जे० आर० मेहता]

कुछ सदस्य समवाय के मामलों की जांच के लिये केन्द्रीय सरकार से निरीक्षक नियुक्त करने के लिये कह सकते हैं। मेरा निवेदन है कि यह खंड अधिक व्यापक है और स्पष्टतया चरम स्थितियों के लिये है। इसके अधीन समवाय के सारे प्रशासन की जांच हो सकती है, केवल लेखापरीक्षा ही नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि यदि हम सामान्य जांच के लिये तैयार हैं, तो अंशधारियों को एक साधारण सा अवसर न देने का कोई कारण नहीं हो सकता।

खंड २२६ के बारे में मैं अपने संशोधन संख्या ७१६ के समर्थन में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। इस की आवश्यकता स्पष्ट ही है। खंड २२६ में लेखापरीक्षकों की शक्ति तथा कर्तव्यों का वर्णन है और उपखंड (३) में वे मदें गिनाई गई हैं, जिन पर लेखापरीक्षकों को रिपोर्ट देनी होगी। मेरा सुझाव यह है कि इन मदों में एक और मद बढ़ा दी जाये और यह मद समवाय की आस्तियों के सम्बन्ध में है।

खंड २३४ के बारे में मैंने जो संशोधन दिये हैं, उन का उद्देश्य यह है कि उन शर्तों को अधिक उदार बनाया जाये, जिनके पूरा करने पर केन्द्रीय सरकार से समवाय के मामलों की जांच के लिये कहा जा सकता है। वर्तमान उपबन्ध के अनुसार अंश पूंजी वाले समवाय के २०० सदस्यों द्वारा या उस संख्या द्वारा जिन के अंश $^1/_{10}$ से कम न हों, प्रार्थना की जानी होगी। उस समवाय के मामले में जिसकी अंश पूंजी नहीं है, सदस्यों की संख्या $^1/_5$ को प्रार्थना करनी पड़ेगी। मेरे विचार में यह उपबन्ध बहुत कड़ा है और इसे अधिक उदार बनाना आवश्यक है। यदि माननीय वित्त मंत्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें, तो खंड १६८, १८७ और ४०७ को भी अधिक ढीला करना पड़ेगा।

सभा का कार्य

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"श्री वी० पी नायर ने अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद् (आल इंडिया काउन्सिल आफ स्पोर्टस्) के बारे में आधे घंटे की जिस चर्चा की सूचना दी थी, उसे किसी अगली तिथि तक उठा रखा जाये, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी की बीमारी के कारण यहां से जाना पड़ा था।"

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि इस प्रकार के प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। जब माननीय सदस्य वापस आयें, तो वह प्रभारी मंत्री से तय कर सकते हैं। इस पर आज चर्चा नहीं होगी।

समवाय विधेयक—जारी

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : खंड २०८ में उपबन्ध है कि शाखा कार्यालय के केवल संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता है और प्रधान कार्यालय के लेखों के लिये ये पर्याप्त हैं। मैंने एक संशोधन दिया है कि यह विवरण शाखा कार्यालय के एक सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जाना चाहिये। लेखापरीक्षा सम्बन्धी खंडों के सम्बन्ध में भी मैं ने बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये हैं। कुछ मामलों में समवाय का लेखापरीक्षक स्वयं जा कर शाखाओं में लेखापरीक्षा नहीं कर सकेगा। किन्तु वह किसी दूसरे सक्षम लेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र को स्वीकार करेगा कि उस ने शाखाओं की लेखापरीक्षा की है। समवाय के लेखापरीक्षक को केवल ऐसे लेखापरीक्षित लेखों को स्वीकार करना चाहिये। इस समय प्रबन्धक के

प्रमाण-पत्र को पर्याप्त समझा जाता है । मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि यदि इन लेखों की परीक्षा, समवाय का लेखापरीक्षक नहीं कर सकता, तो किसी अन्य सक्षम लेखा-परीक्षक द्वारा की जानी चाहिये । जिस समवाय की शाखायें सारे भारत में हों, उन के लिये स्थानीय लेखापरीक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं ।

खंड २२७ के बारे में, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि "unless the company in general meeting decides otherwise" [जब तक कि समवाय साधारण बैठक में कोई और निर्णय न करे) शब्द हटा दिये जायें, क्योंकि अधिकांश अंशधारियों के अंश बहुत कम होते हैं और वे समवाय के मामलों में अधिक रुचि नहीं लेते । मैं ने यह भी कहा है कि यदि शाखाओं की लेखापरीक्षा स्वतन्त्र लेखापरीक्षक ने की हो, तो उसे सामान्य बैठक में उपस्थित होना चाहिये ।

जांच के सम्बन्ध में बहुत से उपबन्ध हैं । इन के अनुसार सरकार को जांच करने का अधिकार है । और अंशधारियों में से कुछ प्रतिशत लोग प्रार्थनापत्र दे सकते हैं । एक उपबन्ध यह है कि कुछ रुपया जमा करवाना पड़ेगा और सरकार को सन्तुष्ट करना पड़ेगा कि जांच की प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता है । मैंने १० प्रतिशत या २०० अंशधारियों की शर्त को घटा कर इसे ५ प्रतिशत और १५० करने के लिये संशोधन दिया है । किन्तु सब से अधिक महत्वपूर्ण मामला कर्मचारियों को जांच शुरू करवाने का अधिकार देने का है । यदि वे सरकार को सन्तुष्ट कर सकें कि समवाय ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिस से कि वह अपने दावे पूरे नहीं कर सकेगा, तो उन्हें यह अधिकार होना चाहिये कि वे सरकार से जांच के लिये कह सकें । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाये । और वे भी जो कि मैंने शाखाओं की लेखापरीक्षा के बारे में प्रस्तुत किये हैं । हम जानते हैं कि प्रधान कार्यालय ३०० या ४०० मील की दूरी पर होते हैं और उसे यह मालूम नहीं होता कि अन्य शाखाओं में क्या हो रहा है ।

कुछ उपबन्ध सरकार की उस शक्ति के बारे में है, जिस के द्वारा वह संतुलन-पत्र के रूप में और विवरणों के रूप में परिवर्तन कर सकती है। मेरा संशोधन यह है कि परिवर्तन के प्रत्येक मामले में सरकार को ऐसा करने के कारण लिखित रूप में देने चाहियें ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : खंड २३३ के सम्बन्ध में अपने संशोधन की चर्चा करने से पहले मैं खंड २१८ की ओर निर्देश करना चाहता हूं जो कि संतुलन-पत्र और अन्य दस्तावेज़ों के भेजने के बारे में है । इसमें यह नहीं बताया गया कि इन्हें कैसे भेजा जायेगा । इन्हें साधारण डाक द्वारा भेजा जा सकता है और मुझे बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ समवाय इन्हें जानबूझ कर रोक लेते हैं ।

मैं यह नहीं समझ सका कि खंड २२३ के बारे में श्री नथवानी के संशोधन को क्यों स्वीकार नहीं किया गया । इस में केवल यह उपबन्ध था कि यदि मताधिकार रखने वाले सदस्यों का $^1/_{10}$ भाग सरकार से कहे कि अमुक समवाय का प्रबन्ध ठीक नहीं हो रहा है और लेखापरीक्षक इसके लिये उत्तरदायी है, तो सरकार को उस लेखापरीक्षक के स्थान पर जो प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने नियुक्त किया हो, एक और लेखापरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा । निरीक्षकों की नियुक्ति के लिये तो सरकार ने इतनी शक्ति ले ली है कि इस से बहुत बुराइयां और भ्रष्टाचार पैदा होने की सम्भावना है, किन्तु श्री नथवानी का संशोधन जो कि बहुत लाभप्रद है स्वीकार नहीं किया जाता । यह निरीक्षकों की नियुक्ति से अधिक प्रभावोत्पादक होगा ।

[श्री झुनझुनवाला]

अब में अपने संशोधन को लेता हूं जो कि खंड २३३ के बारे में है। इस खंड के अधीन पंजीयक (रजिस्ट्रार) को शक्ति दी गई है कि यदि वह संतुलन-पत्र में कोई आवश्यक चीज देखें, तो वह स्पष्टीकरण मांग सकता है। इस से उन्हें कोई कार्यवाही न करने का बहाना मिल जाता है। साथ ही उपखंड (७) में यह उपबन्ध है कि यदि सदस्य या ऋणदाता पंजीयक (रजिस्ट्रार) के सामने ये तथ्य रखे कि समवाय का काम उन्हें धोखा दे कर किया जा रहा है या उन के हित में नहीं किया जा रहा, तो पंजीयक (रजिस्ट्रार) स्पष्टीकरण मांगेगा। धोखेबाजी को प्रमाणित करना बहुत कठिन है इसलिये मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि निम्न शब्द भी जोड दिये जायें :

"या इस प्रकार से प्रबन्ध कर रहा हो जो कि अंशधारियों के किसी वर्ग के लिये दमनकारी हो"।

मैं यह बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई तरीका नहीं जिस से अंशधारियों को मालूम हो सके कि सम्वाय में क्या हो रहा है। एक उपबन्ध के अनुसार पंजीयक (रजिस्ट्रार) अंशधारियों के अभ्यावेदन पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि मेरे संशोधन के शब्द भी इस उपखंड में जोड़ दिये जायें तो पंजीयक (रजिस्ट्रार) को उस मामले में भी स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा जिसमें प्रबन्ध अभिकर्ता ऐसे तरीके से समवाय का प्रबन्ध कर रहे हों, जो कि अल्पसंख्यक अंशधारियों के लिये दमनकारी है। यहां धोखेबाजी का प्रश्न नहीं है, केवल इतनी बात है कि प्रबन्ध इतनी लापरवाही से किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक अंशधारियों को हानि पहुंच रही है। यदि ऐसा अधिकार दे दिया जाये, तो पंजीयक (रजिस्ट्रार) यह नहीं कह सकेगा कि संविहित रोक के कारण वह इस मामले की जांच नहीं कर सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि ये शब्द उपखण्ड (७) में रखे जायें।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) : मैं अपने संशोधन संख्या २२० के बारे में, जो कि मेरे और मेरे मित्र श्री मुरारका के नाम से हैं, बोलना चाहता हूं। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार को समवाय द्वारा नियुक्त किये गये लेखापरीक्षक के स्थान पर एक अर्हता प्राप्त लेखापरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिये। भाभा समिति ने लेखापरीक्षकों के बारे में जो सुझाव दिये हैं, वे अच्छे हैं, किन्तु मेरे विचार में वे पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि वे उतनी स्वतन्त्रता से काम नहीं कर सकेंगे जितनी स्वतन्त्रता से करना चाहिये। प्रारम्भिक अवस्था में उन की नियुक्ति निदेशक बोर्ड या प्रबन्ध अभिकर्ता जो निदेशक बोर्ड को मनोनीत करते हैं, करेंगे। अत: वे निदेशक बोर्ड के आभारी होंगे और अपना काम स्वतन्त्ररूप से और निष्पक्षता से नहीं कर सकेंगे। इसलिये हम ने यह संशोधन रखा है कि सरकार को एक अतिरिक्त लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति दी जाये।

इस पर दो आपत्तियां उठाई गई हैं। पहली यह है कि समवाय को अपने पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है और लेखापरीक्षक जो उनके अभिकर्ता हैं उन के अधीन होने चाहियें ताकि वे समवाय के प्राधिकार का उल्लंघन न कर सकें। मेरा निवेदन है कि अब इस का कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि इस विधेयक में समवाय के अभिकर्ता और पदाधिकारी चुनने की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया गया है। इसलिये यदि हम सरकार को हस्तक्षेप करने और समवाय द्वारा नियुक्त किये गये लेखापरीक्षक के स्थान पर कोई और लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति दें,

तो समवाय के पदाधिकारी नियुक्त करने के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

दूसरा तर्क यह है कि यदि किसी लेखा-परीक्षक का काम सन्तोषजनक नहीं, तो कार्यवाही प्राधिकृत लेखापाल संस्था (इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स) को करनी चाहिये, सरकार को नहीं। संस्था कार्यवाही कर सकती है और उसे करनी चाहिये किन्तु यदि किसी लेखापरीक्षक को अनुचित रूप से हटा दिया गया है तो सरकार को उसे बहाल करने का अधिकार होना चाहिये और यदि वह काम ठीक नहीं कर रहा है तो कुछ शर्तों के पूरा होने पर सरकार को उसे हटाने का भी अधिकार होना चाहिये। सरकार का लेखापरीक्षक की नियुक्ति की शक्ति लेना विधेयक के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है और जनमत भी इस के पक्ष में है। श्रेष्ठि चत्वर ने भी सुझाव दिया है कि सरकार को ऐसा करने का अधिकार होना चाहिये। मेरे संशोधन का केवल यही अभिप्राय है कि उपयुक्त मामलों के सरकार को समवाय द्वारा नियुक्त किये गये लेखापरीक्षक के स्थान पर या उसके अतिरिक्त एक लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति हो। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करें।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड-सोरठ): हम जिन खंडों पर अब विचार कर रहे हैं, उन में से दो नये हैं अर्थात् जो देश की वर्तमान विधि में नहीं हैं। एक यह है कि निजी समवायों के संतुलन-पत्र (पंजीयक) रजिस्ट्रार को भेजे जायेंगे और दूसरा यह है कि निजी समवायों के लेखों की परीक्षा अर्हता-प्राप्त लेखापरीक्षक करेंगे। इन दोनों उपबन्धों का इस आधार पर विरोध किया गया है कि जनता का निजी समवायों से कोई सम्बन्ध नहीं है और निजी समवायों के लिये अर्हताप्राप्त लेखा-परीक्षकों से अपने लेखों की परीक्षा करवाना बहुत मंहगा पड़ेगा। मेरे विचार में ये दोनों बात गलत हैं। पहली बात के बारे में मेरा निवेदन है कि निजी समवाय जनता के साथ कारबार करने के लिये ही बनाये जाते हैं। यह लाखों और करोड़ों रुपये के सौदे करते हैं। इसलिये मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं है कि जनता का इन से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह नहीं समझ सका कि उद्योगों या व्यापार के प्रतिनिधि संतुलन-पत्रों को पंजीबद्ध कराने की मांग का विरोध क्यों करते हैं। अधिकांश प्रबन्ध अभिकरण निजी उद्योग हैं, हमें उन के पारिश्रमिक और लाभों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता। यदि इन निजी समवायों के सन्तुलन-पत्र प्रस्तुत किये जायें, तो इन की स्थिति का पता चल सकता है। एक बात और भी है। निजी समवायों के कार्यों का प्रभाव न केवल जनता पर बल्कि अंशधारियों पर भी पड़ता है। इस समय स्थिति इतनी अस्पष्ट और असन्तोषजनक है कि सार्वजनिक समवायों की अपेक्षा निजी समवायों में अल्पसंख्यकों का दमन अधिक है। अंशधारी प्रबन्धकों से समवाय की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं ले सकते।

लेखापरीक्षन के सम्बन्ध में, मैं यह नहीं समझ सका कि अर्हताप्राप्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा का विरोध क्यों किया जाता है। क्या वे यह चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे वे लेखापरीक्षक कह दें, आ कर लेखापरीक्षा कर ले, ताकि उनकी पोल न खुले? मैं इस मामले पर अधिक नहीं कहना चाहता। मेरे विचार में इस के अतिरिक्त निजी समवायों के बहुत से विशेषाधिकार हैं, जो बने रहते हैं। मेरे पास सौ ऐसे खंडों की सूची है, जिन के प्रवर्तन से निजी समवाय विमुक्त हैं। इन से पता चलता है कि निजी समवायों के हितों की कितनी रक्षा की गई है। हम केवल इतना कहते हैं कि केवल संतुलन-पत्र प्रस्तुत करें

[श्री सी० सी० शाह]

लेखा नहीं, यद्यपि कोहेन समिति ने कहा है कि दोनों प्रस्तुत किये जायें ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : यह सत्य नहीं है । कोहेन समिति ने ऐसा नहीं कहा । मैं बार बार कहता रहा हूं कि इंग्लैंड की तरह यहां भी विमुक्त निजी समवायों की अलग श्रेणी बनाई जाये ।

श्री सी० सी० शाह : इस मामले पर भाभा समिति और संयुक्त समिति ने पूरा विचार किया था । और उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और अब इस की पुनरावृत्ति करने का कोई लाभ नहीं ।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कोई निजी कम्पनी अपने निदेशकों को चाहे जितना पारिश्रमिक दे, उस के अल्पसंख्यक अंशधारी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते निजी कम्पनी लाभ का ५० प्रतिशत भाग पारिश्रमिक के रूप में दे सकती है । वास्तव में बहुत सी निजी कम्पनियां कर से बचने के उद्देश्य से अपनी इच्छानुसार आय बांटने के लिये बनाई जाती हैं । कानून इस की अनुमति देता है तो मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है इन कम्पनियों को बहुत सी विमुक्तियां दी गई हैं । उन से अपने सन्तुलन-पत्र रजिस्ट्रार को देने और अपने लेखों की परीक्षा योग्य लेखा-परीक्षकों से कराने के लिये कहा जाता है तो यह मामूली सी बात है । इस पर आपत्ति करना तो पराकाष्ठा है ।

मेरे माननीय मित्र श्री एन० पी० नथवानी ने संशोधन रखा है कि सरकार को यह शक्ति मिलनी चाहिये कि वह लेखापरीक्षक नियुक्त कर सके । श्री जसवन्त राय मेहता और श्री झुनझुनवाला ने इस का समर्थन किया है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस पर विचार करें । मुझे इस सम्बन्ध में केवल यह कहना है कि लेखापरीक्षक कम्पनी का सब से महत्वपूर्ण अंग होता है । वह अंशधारियों के हितों का रक्षक है और उसे कम्पनी के लेन देन का पूरा ब्यौरा मालूम रहता है । उसका कर्तव्य है कि वह यह बताये कि कौन कौन सी अनियमित बातें हुई हैं । उसकी स्थिति भारत के महालेखापरीक्षक जैसी है । संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के अधीन होगा न कि मंत्रिमंडल या कार्यपालिका के नियंत्रण के अधीन । यह इसलिये किया गया है कि महालेखापरीक्षक स्वतन्त्र रूप से बता सके कि उस ने कौन कौन सी अनियमिततायें ढूंढ़ी हैं । जहां तक कम्पनियों का सम्बन्ध है, अंशधारियों के लिये अपने नामनिर्देशित व्यक्ति को लेखापरीक्षक बनाना यदि असम्भव नहीं तो बड़ा कठिन है । उसे नियुक्त करके बिना कारण बताये हटाया नहीं जा सकता है । मैं लेखापरीक्षकों पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं । मेरा तात्पर्य यह है कि लेखापरीक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकों पर निर्भर है। यह स्वाभाविक ही है कि वह कुछ नरमी से काम लेगा । वह विधि के शब्दों का पालन करेगा । परन्तु वह कुछ ऐसा काम भी तो कर सकता है जिस के न किये जाने पर भी कानून भंग नहीं होता । यदि १० प्रतिशत अंशधारी सरकार से प्रार्थना करें और सरकार आवश्यकता समझे तो वह लेखापरीक्षक नियुक्त कर दे तो इस में हर्ज ही क्या है ? सरकार को इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को भी नियुक्त करने की शक्ति है तो वह लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने की शक्ति अपने हाथ में लेने से क्यों डरती है ?

मुझे इस सम्बन्ध में केवल यही कहना है ।

श्री तुलसीदास : क्या अभ्यर्थियों (सालीसिटर्स) को भी सरकार ही नियुक्त करेगी ?

श्री सी० सी० शाह : सरकार उन्हें नियुक्त करने की शक्ति चाहती हो तो सब से पहले में उस का समर्थन करूंगा ।

सरकार को जांच करने के सम्बन्ध में दी गई शक्तियों के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह डर प्रकट किया है कि इन शक्तियों का दुरुपयोग होगा । ये बड़ी विस्तृत शक्तियां हैं । इन के सदुपयोग से बड़ा लाभ हो सकता है और दुरुपयोग से बड़ी हानि । सच तो यह है कि भाभा समिति की एक यह शिकायत उचित ही थी कि सरकार या कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने वर्तमान अधिनियम के अधीन मिली शक्तियों का भी उपयोग किया होता तो बहुत कुछ हो सकता था । परन्तु सरकार ने उन शक्तियों का भी उपयोग नहीं किया ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : भाभा समिति ने इस बात पर विचार नहीं किया था कि इन शक्तियों के दुरुपयोग से कितनी हानि हो सकती है ।

श्री सी० सी० शाह : यह ठीक नहीं है, कोहेन समिति ने इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया था । भा । समिति ने कोहेन समिति की ही सिफारिशें अधिकतर मान ली थीं । उस विधेयक के उपबन्ध भी ब्रिटेन के अधिनियम की धारा १६४ से १७५ की नकलमात्र हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : भारत और इंग्लैंड की परिस्थितियां भिन्न हैं ।

श्री सी० सी० शाह : वह दूसरी बात है । परन्तु हमारा समवाय विधेयक—कुछ रूपभेदों को छोड़ कर जो कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के कारण आवश्यक हो गये थे— ब्रिटेन के १९४८ के अधिनियम की नकल है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जांच दो प्रकार की होती है । एक तो कम्पनी के मामलों की और दूसरी अंशों के स्वामित्व के सम्बन्ध में । नामनिर्देशित व्यक्तियों के नाम में अंश होने की प्रथा तो इतनी व्यापक है कि कोहेन समिति भी इस से निबट नहीं सकी । लोग नामनिर्देशित व्यक्तियों के नाम में अपने अंश कर के कम्पनी पर अपना अधिकार जमाए रखते हैं और उन्हें कोई नहीं जानता । इस विधेयक में सरकार को यह पता लगाने की शक्ति पहली बार दी गई है कि अंशों के वास्तविक स्वामी कौन हैं । वर्तमान विधि में इसका उपबन्ध नहीं है । मैं आशा करता हूं कि सरकार मौका पड़ने पर इस शक्ति का प्रयोग करेगी ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं अपने माननीय मित्र श्री सी० सी० शाह का आभारी हूं कि उन्हों ने श्री तुलसीदास द्वारा उठाई गई कुछ बातों का विस्तारपूर्वक उत्तर दे कर मेरा बोझ हलका कर दिया है ।

सब से पहले मैं अपने माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर दूंगा । उन्होंने जांच सम्बन्धी कुछ खण्डों के शक्ति परस्तात होने या न होने के सम्बन्ध में कुछ शंकायें प्रकट की हैं । और कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाये हैं । मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि विधि मंत्रालय ने बड़ी सावधानी से इन खंडों का अध्ययन किया है और उसी मंत्रालय की मंत्रणा पर ये खंड इस विधेयक में शामिल किये गये हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : तो संसद् में इसे लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एम० सी० शाह : मैं यह कह रहा था कि मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने "जांच" शीर्ष के अधीन कुछ खंडों के संविधान की दृष्टि से उचित होने के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं । उन्होंने यह डर प्रकट किया

[श्री एम० सी० शाह]

है कि शायद इन में से कुछ खंड संविधान की शक्ति से परे हों । उन्हों ने यह भी कहा कि निरीक्षक की रिपोर्ट साक्ष्य के लिये संगत होगी । मैं उन्हें और सारी सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि विधि मंत्रालय ने इन सब खंडों की सावधानीपूर्वक जांच कर ली थी और हमें यह बताया था कि इस में कोई भी बात संविधान के विरुद्ध या उस की शक्ति के परे नहीं है । कानून सम्बन्धी मामलों में हमारा सलाहकार विधि मंत्रालय है और हम उसी की सलाह पर चलते हैं ।

उन्होंने इस सम्बन्ध में भी कुछ कहा है कि निरीक्षक की रिपोर्ट उस में दिये गये किसी मामले के सम्बन्ध में कानूनी सलाह के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी या नहीं । वर्तमान भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १४३ में यही उपबन्ध है और ब्रिटेन के अधिनियम की धारा १७१ भी ऐसी ही है । इतने वर्षों तक भारत या ब्रिटेन में किसी ने भी इस उपबन्ध के वैध होने या उचित होने के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं की है । और इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि उन की शंकायें गलत हैं ।

पंडित ठाकर दास भार्गव: मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार मूल-भूत अधिकारों के विरुद्ध कोई भी मामला किसी भी समय उठाया जा सकता है। यह तो कोई दलील नहीं है कि यह उपबन्ध बहुत समय से विधि में है। दलील का उत्तर दीजिये ।

श्री एम० सी० शाह : अन्ततोगत्वा हमारी राय यही है । हम ने विधि मंत्रालय से राय मांगी है । हमें यह देखना पड़ता है कि किस की राय मानी जाये और हमें विधि मंत्रालय की राय माननी पड़ती है । सम्भव है कि माननीय सदस्य की राय ठीक हो । बाद में इसकी परीक्षा हो और सम्भव है कि माननीय सदस्य की राय ही ठीक समझी जाये परन्तु जब भी विधि सम्बन्धी कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो उस समय तो हमें विधि मंत्रालय की ही राय माननी पड़ती है । इसलिये मैं कहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिये ।

उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार इन खंडों के अधीन बड़ी अधिक शक्तियां अपने हाथ में ले रही है । निश्चय ही हम बड़ी अधिक शक्तियां अपने हाथ में ले रहे हैं । इसका कारण यह है कि हमारा अनुभव यह है कि पुराने अधिनियम की धारायें उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त नहीं थीं जो कि सदा अंशधारियों और जनता को धोखा देने की चेष्टा करते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इन शक्तियों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया गया ।

श्री एम० सी० शाह : मेरे मित्र श्री झुनझुनवाला मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि एक मामले में उन्हों ने अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार लोगों का पता लगाने और उन के विरुद्ध कार्यवाही करने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु चूंकि धारा में यह दोष था कि इसके अधीन हमारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी , इसलिये हम इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सके । इसलिये हम ने जानबूझ कर ये खण्ड रखे हैं और बहुत सी शक्तियां अपने हाथ में ली हैं ।

मेरे मित्र श्री रामस्वामी ने खंड २२५ पर कुछ बातें उठाई हैं । इस में कहा गया है कि अधिकृत लेखापाल अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार जो अधिकृत लेखापाल हो उसी को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों में लेखापरीक्षक होने का पात्र समझा जा

सकता है । श्री रामस्वामी ने इस खंड में दो संशोधन रखे हैं जिन का मुख्य प्रयोजन यह मालूम होता है कि वे चाहते हैं कि दूसरों को भी लेखापरीक्षक नियुक्त किया जा सके । उन्होंने किसी संस्था—लेखापालों की संस्था आदि का उल्लेख किया था । सभा को अच्छी तरह मालम है कि अधिकृत लेखापालों की वृत्ति के विकास और अच्छे अधिकृत लेखापालों के लिये संसद् ने १९४९ में अधिकृत लेखापाल अधिनियम पास किया था जिस के अधीन अधिकृत लेखापालों के आचरण को विनियमित किया जाता है । विशेष अर्हता होने पर ही किसी को अधिकृत लेखापाल बनाया जाता है और उस के बाद भी अधिकृत लेखापाल संस्था की परिषद् उन के आचरण पर दृष्टि रखती है और यदि उन से कोई चूक हो जाये तो परिषद् को अधिकार है कि वह उस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जा कर उस अधिकृत लेखापाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है । इन सब बातों की व्यवस्था है । अब हम इन लेखापालों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अब तक अधिकृत लेखापालों की जो प्रणाली रही है उस से हमें सन्तोष नहीं है । यह मानी हुई बात है कि लेखापालों और लेखापरीक्षकों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिये हम चाहते हैं कि बड़े ऊंचे चरित्र और नैतिकता के लोग लेखापाल और लेखापरीक्षक हों । इसलिये हम ने जानबूझ कर यह उपबन्ध किया है कि उन्हीं लोगों को अर्ह समझा जायेगा जो अधिकृत लेखापालों की सस्थाओं के सदस्य हों ।

एक और प्रश्न भी है । कुछ खण्ड पारस्पारिकता के बारे में हैं । भारत से बाहर भी कुछ अर्हतायें प्राप्त की जाती हैं और हमें ऐसे लोगों को भी लेखापरीक्षक होने का पात्र मान लेना चाहिये था या नहीं—यह प्रश्न है । इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी । इस प्रश्न पर विचार किया गया था और यह उचित समझा गया था कि खण्ड २२५ के उपखण्ड (ख) में यह उपबन्ध करने की बजाय इस बात की व्यवस्था अधिकृत लेखापाल, अधिनियम में की जाये जिस के द्वारा इन लेखापालों का आचरण विनियमित होता है और जिस में कई और उपबन्ध हैं । संयुक्त समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस खंड के समवाय विधेयक में रखे जाने की बजाय अधिकृत लेखापाल अधिनियम में ही संशोधन किया जाये । इस संस्था से भी परामर्श किया गया था तथा उन्होंने कहा कि इसे अधिकृत लेखापाल अधिनियम में सम्मिलित किया जाना चाहिये । इस कारण हम ने पहले ही एक संशोधन विधेयक का प्रारूप बना रखा है तथा उसे इस विधेयक के पारित होते ही सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । अतः हमें खण्ड २२५ के उपखंड (ख) के निकालने के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत कर रखा है ।

उस सम्बन्ध में मैं अपने मित्र श्री रामचन्द्र रेड्डी का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहता हूं । उन के संशोधन के प्रथम भाग में पृष्ठ ११८ पर लिखा है कि (१) में पंक्ति ३९ में 'either' (या) शब्द निकाल दिया जाये । खंड इस प्रकार से है : 'कोई व्यक्ति कम्पनी के लेखापरीक्षक पद पर नियुक्ति के लिये अहर्ता-प्राप्त नहीं समझा जायेगा जब तक कि वह या . . . .' हम उपखंड (ख) को निकालने के सम्बन्ध में अपना संशोधन प्रस्तुत कर चुके हैं । यदि उपखंड को निकाल दिया गया तो केवल उपखंड (क) रह जायगा अर्थात्

> "जब तक कि वह अधिकृत लेखापाल अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत लेखापाल न हो ।"

यह संशोधन संख्या ३७९ है । मैं इस के प्रथम भाग को स्वीकार करता हूं । इसे प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु यह श्री रामचन्द्र

[श्री एम० सी० शाह]

रेड्डी के नाम में है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। हमारा केवल यह प्रस्ताव है कि :

पृष्ठ ११८ में

(१) पंक्ति ३९ में ' either ' (या) शब्द निकाल दिया जाय।"

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व): ३७९ तो अब समाप्त हो चुका क्योंकि दंड संहिता में यह ऐसी धारा है जो लुप्त हो रही है ?

श्री एम० सी० शाह : हमें विदित है कि उचित योग्यताओं वाले अधिकाधिक लेखापरीक्षकों की आवश्यकता है। मैं ने यह भी कहा कि हमें लेखापरीक्षकों के स्तर को उच्च करना होगा। परन्तु उपयुक्त योग्यताओं के लेखापरीक्षकों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण हमें स्तर को नीचे नहीं कर देना चाहिये। अतएव मेरे लिये श्री रामस्वामी के संशोधन संख्या ४६३ तथा ४६४ का स्वीकार करना मुश्किल है।

मेरे माननीय मित्र श्री एन० पी० नथवानी ने एक संशोधन प्रस्तुत कर रखा है। उन्होंने बड़े योग्यतापूर्ण तर्क दिये हैं तथा श्री सी० सी० शाह और कुछ दूसरे सदस्यों ने उन का जोरदार समर्थन किया है। मैं श्री एन० पी० नथवानी की कम्पनियों में अधिकाधिक योग्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी चिन्ता को भली प्रकार से समझता हूं। यदि सम्भव होता तो हम इस संशोधन को स्वीकार भी कर लेते। परन्तु हम ने इस सवाल पर बड़ी सावधानी से विचार किया है तथा हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि सरकार के लिये इन सब लेखापरीक्षकों का दूसरे के अवक्रमण से या उन के अतिरिक्त नियुक्त करना बहुत कठिन है। साथ ही हम ने जांच पड़ताल सम्बन्धी कुछ उपबन्ध रख दिये हैं। जिन के अन्तर्गत जब कभी हमें कम्पनी के २०० या कुल सदस्य संख्या के दसवें भाग से कोई अभ्यावेदन मिला तो निश्चय ही हमें निरीक्षक नियुक्त करने होंगे। सामान्यत..........

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या लेखा-परीक्षक और निरीक्षक की जांच पड़ताल एक जैसी होगी ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे विचार से १०० में से ९५ लेखापरीक्षक या अधिकृत लेखापाल निरीक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। जब कभी ऐसे दोष लगाये जाते हैं कि प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यक्तियों ने कोई दुष्कृत्य किये हैं तो स्वाभावतः लेखा-परीक्षकों को लेखाओं की जांच पड़ताल करने और आरोपों के सत्य या असत्य का पता लगाने के लिये अधिक उपयुक्त समझा जायेगा। जांच पड़ताल की इन शक्तियों की व्यवस्था से मेरे मित्र श्री एन० पी० नथवानी का उद्देश्य पूरा हो जाता है।

इस समय हमारे देश में ३०,००० के लगभग कम्पनियां हैं तथा आशा की जाती है कि अगले पांच वर्षों में १५,००० का २०,००० और कम्पनियां बन जायेंगी। इस से कुल संख्या ५०००० हो जायेगी। यदि इन सब में लेखापरीक्षक नियुक्त करने पड़ें तो इतने व्यक्तियों का मिलना कठिन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त भाईभतीजावाद प्रकार के कुछ आरोप भी लगाये जायेंगे। इसी कारण सरकार ने इस विधान के अन्तर्गत बहुत अधिक शक्तियां नहीं ली हैं। सरकार देखेगी कि यह विधेयक अधिनियम बन कर किस प्रकार से कार्यान्वित होता है। बाद में यदि दूसरे व्यक्तियों के अतिरिक्त अथवा उन के अवक्रमण से लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता समझी गई तो एक संशोधन विधेयक तुरन्त

प्रस्तुत किया जायेगा। हम नहीं चाहते कि अंशधारियों से स्वयं अपने लेखापरीक्षक नियुक्त करने के महत्वपूर्ण अधिकार को छीन लिया जाये। इसी कारण हम ने इस क्रम पर इन शक्तियों का लेना उचित नहीं समझा है। मुझे खेद है कि हम श्री एन० पी० नथवानी के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते।

मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास ने प्राइवेट कम्पनियों को सन्तुलन-पत्र के प्रस्तुत करने तथा उन के लेखों की लेखापरीक्षकों द्वारा जांच पड़ताल कराने से विमुक्त करने के बारे में कुछ बातें कही हैं। श्री सी० सी० शाह ने इनका उत्तर दे दिया है। हमारे पास ऐसी रिपोर्टें हैं जिन से पता चलता हैं कि इंग्लिस्तान में भी विमुक्त प्राइवेट कम्पनियां तथा अविमुक्त प्राइवेट कम्पनियों में किये गये विभेद से विधि के प्रशासन में जटिलता पैदा हो गई है तथा स्थिति वहां भी बहुत कठिन हो गई है जिस का परिणाम यह है कि अब जनमत दिन प्रति दिन इस पद्धति को अच्छा नहीं समझ रहा है। भारत में वर्तमान परिस्थिति के अनुसार दो प्रकार की प्राइवेट कम्पनियों का बनाना उचित नहीं है। इस बात पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है तथा जैसा कि श्री सी० सी० शाह ने कहा, इसे आवश्यक नहीं समझा गया है।

मैं नहीं समझ सकता कि आखिर प्राइवेट कम्पनियों को रजिस्ट्रार को सन्तुलन-पत्र के भेजने में हिचकचाहट क्यों है। ये अपने लेखों के परीक्षण को उचित योग्यताओं वाले लेखापरीक्षकों द्वारा कराने से क्यों कतराते हैं? इस के अतिरिक्त प्राइवेट कम्पनियों और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियां परस्पर कई बातों में सम्बद्ध हैं तथा वस्तुतः कई उत्तमर्क्ण और आम जनता के व्यक्ति जानना चाहते हैं कि कम्पनियों का काम किस प्रकार से हो रहा है वे इस से क्यों कतराते हैं? मैं इसे नहीं समझ सका।

श्री के० के० बसु ने ब्रांच कार्यालयों की लेखापरीक्षा का सवाल उठाया है। इस समय विधेयक में जो उपबन्ध है वह विभिन्न दृष्टि-कोणों में समझौता रूप में है। जहाँ कम्पनियों के लेखापरीक्षकों को ब्रांच कार्यालयों के लेखों के परीक्षण की शक्ति दी गई है, यह भी स्वीकार किया गया है कि व्यावहारिक दृष्टि से लेखापरीक्षकों के लिये पूरवर्ती ब्रांच कार्यालयों के लेखों का परीक्षण करना सम्भव नहीं है जहां कि उचित योग्यता वाले लेखापरीक्षकों का मिलना सदैव सम्भव नहीं है। इस परि-स्थिति का सामना करने के लिये कम्पनी को आवश्यकतानुसार वैकल्पिक प्रबन्ध करने के अधिकार दिये गये हैं। इस के अलावा कम्पनी के हित में यह भी जरूरी है कि लेखापरीक्षक चलते फिरते आयोग के रूप में सारे देश में न घूमते फिरें। यह जरूरी है कि कम्पनी को अपने लेखापरीक्षकों की क्रियाशीलता पर कुछ नियंत्रण हो। इन कारणों से श्री के० के० बसु के संशोधन का स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

श्री के० के० बसु : किसी राज्य के प्रधान कार्यालय से उस राज्य में स्थित किसी स्थान को दूरवर्ती कितने अन्तर से समझा जा सकता है जिसे लेखापरीक्षक को वहां जा कर ब्रांच कार्यालयों के लेखों का परीक्षण करना सम्भव नहीं है। इस में वास्तविक रुकावट क्या है।

श्री एम० सी० शाह : इसमें रूकावट है। जैसा कि मैंने कहा, ध्यान मुख्य कार्यालय पर ही दिया जाना चाहिये तथा ब्रांच कार्यालय के लेखापरीक्षण के प्रबन्ध किए जाने चाहियें। कुछ ब्रांच कार्यालय के मामलों का मुख्य कार्यालय में पता लगता

[श्री एम० सी० शाह]
रहता है इससे लेखापरीक्षण के व्यावहारिक प्रशासन कार्य में अड़चन पड़ती है ।

श्री के० के० बसु : आपकी व्यवस्था के अनुसार केवल संक्षिप्त विवरण वहां आयेंगे । क्या आप उनके लिए यह आवश्यक बना रहे हैं कि सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि ब्रांच कार्यालय, मुख्य कार्यालय में भेजेंगे !

श्री एम० सी० शाह : लेखापरीक्षक जिस भी दस्तावेज को मांगेंगे, समवाय को शाखा कार्यालयों से मंगा कर उन्हें देना होगा मेरे विचार से यही व्यवस्था है । यही मुख्य प्रश्न उत्पन्न किये गये हैं । कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं परन्तु जिन सदस्यों ने उन्हें उठाया वह सभा में उपस्थित नहीं है क्योंकि उन्होंने उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं ने खंड २१८(२) पर एक संशोधन प्रस्तुत किया था ।

श्री एम० सी० शाह : मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, शत यह कि माननीय सदस्य हमारे द्वारा तैयार किये गये प्रारूप को स्वीकार करें । यदि यह स्वीकार कर लिया जाये कि एक रुपया देने पर, यह समवाय निक्षेपकों क ये चीजें दें तो मैं संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूं ।

श्री आल्तेकर : मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री एम० सी० शाह : रूपभेद के पश्चात् खंड २१८ उपखंड (२) का संशोधन इस प्रकार होगा :

पंक्ति ११ में "furnished without charge" [बिना किसी प्रभार के प्रस्तुत] शब्दों के पश्चात् "and any person from whom the company has accepted a sum of money by way of deposit shall, on demand accompanied by the payment of a fee of one rupee, be entitled to be furnished" [तथा कोई व्यक्ति, जिस से समवाय ने निक्षेप रूप में कुछ धन राशि स्वीकार की हो, एक रुपये की फीस के साथ, मांग पर प्रस्तुत कराने का अधिकारी होगा] शब्द रख जायें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसी प्रकार का एक संशोधन खंड ५२ पर स्वीकृत हो चुका है । अब उसी प्रकार का संशोधन श्री झुनझुनवाला ने प्रस्तुत किया है तथा सभा को उसी को स्वीकार करना चाहिये ?

श्री एम० सी० शाह : क्या इस प्रकार का कोई संशोधन है ?

श्री झुनझुन वाला : माननीय मंत्री ने यह बताया था कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा सुझाव है कि सरकार स्वयं इस संशोधन को प्रस्तुत करे ।

श्री एम० सी० शाह : इस समय इस सुझाव को स्वीकार करना कठिन है ।

सभापति महोदय : अब में खण्डों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं । संशोधन संख्या ६८७ सरकारी संशोधन है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०६,

पंक्ति ७ के बाद य शब्द जोड़ दिये जायें :

"(7) If any person, not being a person referred to in sub-section, (6), having been charged by the managing agent, secretaries and treasurers or Board of directors, as the case may be, with the duty of seeing that the requirements of this section are complied with,makes default in doing so, he shall, in respect of each offence be punishable with fine which may extend to one thousand rupees."

["(७) यदि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (६) में निर्दिष्ट व्यक्ति न हों, और जिस पर प्रबन्ध एजेंट, सचिवों, कोषाध्यक्षों या निदेशक बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, यह देखने का कर्तव्य-भार डाला गया हो कि इस धारा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, ऐसा करने में कुछ चूक करता है, तो उसे प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में अर्थ दंड दिया जा सकेगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६६३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २०८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २०८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ १०७,

पंक्ति ६ के बाद, ये शब्द जोड़ दिये जाये :

"(6) If any person not being a director of the company having been charged by the Board of directors with the duty of seeing that the provisions of this section are complied with makes default in doing so, he shall, in respect of each offence, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both:

Provided that no person shall be sentenced to imprisonment for any such offence unless it was committed wilfully."

"(६) यदि कोई व्यक्ति, जो समवाय का एक निदेशक न हो और जिस पर निदेशकबोर्ड द्वारा यह देखने का कर्तव्य-भार डाला गया हो कि इस धारा के उपबन्धों की पूर्ति होती रहे, ऐसा करने में कुछ चूक करता है, तो उसे प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में छः महीने तक की जेल का या एक हजार रुपये तक के अर्थ दंड का, या दोनों का, दंड दिया जा सकेगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिये जेल का दंड न दिया जायेगा यदि वह इच्छापूर्वक न किया गया हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २०९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २०९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ १०७, पंक्ति १२ के बाद ये उपखंड (१) के परन्तुक के रूप में रखा जाये :

"Provided that nothing contained in this section shall

[सभापति महोदय]

apply to any insurance or banking company, or to any other class of company for which a form of balance sheet has been specified in or under the Act governing such class of company."

["परन्तु इस धारा में निविष्ट कोई बात किसी बीमा या बैंकिंग समवाय, या किसी समवाय के ऐसे अन्य वर्ग पर लागू नहीं होगी, जिस के लिये उस समवाय वर्ग को शासित करने वाले अधिनियम में या उसके अन्तर्गत, सन्तुलन-पत्र का एक प्रपत्र निर्दिष्ट कर दिया गया है ।"]

(२) पृष्ठ १०७, पंक्ति १६ के बाद ये उपखंड (२) के परन्तुक के रूप में रखा जाय :

"Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any insurance or bannking company, or to any other class of company for which a form of profit and loss account has been specified in or under the Act governing much class of company"

["परन्तु इस उपधारा में निविष्ट कोई बात किसी बीमा या बैंकिंग समवाय, या किसी समवाय के ऐसे अन्य वर्ग पर लागू नहीं होगी, जिसके लिये उस समवाय वर्ग को शासित करने वाले अधिनियम में, या उस के अन्तर्गत, लाभ-हानि लेखे का एक प्रपत्र निर्दिष्ट कर दिया गया है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०८, पंक्ति २२,

"this section" [इस धारा] के बाद and the other "reuirements afore said [और पूर्वोक्त अन्य आवश्यकतायें] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०८,

पंक्ति २५ के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें :

"(8) If any person not being a person referred to in sub-section (6) of section 208 having been charged by the managing agent, secretaries and treasurers, or Board of directors, as the case may be, with the duty of seeing that the provisions of this section and the other requirements aforesaid are complied with, makes default in doing so, he shall, in respect of each offence, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both:

Provided that no person shall be sentenced to imprisonment for any such offence unless it was committed wilfully."

[" (८) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा २०८ की उपधारा (६) में निर्दिष्ट व्यक्ति न हो और जिस पर प्रबन्धक एजेंट सचिवों और कोषाध्यक्षों या निदेशक-बोर्ड, द्वारा यथास्थिति, यह देखने का कर्तव्य-भार डाला गया हो कि इस धारा के उपबन्ध और पूर्वोक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, ऐसा करने में कुछ चूक करता है, तो उसे प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में छः महीने तक की जेल या एक हजार रुपये तक के अर्थ दंड, या दोनों, का दंड दिया जा सकेगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिये जेल का दंड न दिया जायेगा, यदि वह इच्छापूर्वक न किया गया हो ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६९४, ६९५, ६९६ और ६९७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१०, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११०, पंक्ति ४४ के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें :

"(10) If any person, not being a person referred to in sub-section (6) of section 208, having been charged by the managing agent, secretaries and the treasurers, or Board of directors, as the case may be, with the duty of seeing that the provisions of this section are complied with, makes default in doing so, he shall, in respect of each offence, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both :

Provided that no person shall be sentenced to imprisonment for any such offence unless it was committed wilfully.".

["(१०) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा २०८ की उपधारा (६) में निर्दिष्ट व्यक्ति न हो और जिस पर प्रबन्धक ऐजेंट, सचिवों और कोषाध्यक्षों या निदेशक बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, यह देखने का कर्तव्य-भार डाला गया हो कि इस धारा के उपबन्धों की पूर्ति होती रहे, ऐसा करने में कुछ चूक करता है, तो उसे प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में छः महीने तक की जेल या एक हजार रुपये तक के अर्थ दंड या दोनों, का दंड दिया जा सकेगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिये जेल का दंड न दिया जायेगा, यदि वह इच्छापूर्वक न किया गया हो ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६९८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि खंड २११, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

***खंड २११, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि खंड २१२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६९९ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१४ और २१५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१४ और २१५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११२, पंक्ति ३१ से ३३

उपखंड (४) के स्थान पर यह उपखंड रखा जाये :

---

*खंड २११ उपखंड (९) पृष्ट ११० पंक्ति ४० में अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में "ऐसे किसी अपराध के लिये" शब्दों के स्थान पर "कोई ऐसा अपराध" रखे गये ।

[सभापति महोदय]

"(4) The Board's report shall be signed by its Chairman if he is authorised in that behalf by the Board; and where he is not so authorised, shall be signed by such number of directors as are required to sign the balance-sheet and the profit and loss accounts of the company by virtue of sub-section (1) and (2) of section 214."

["(४) बोर्ड के प्रतिवेदन पर उस के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, यदि उसे बोर्ड द्वारा वैसा अधिकार दिया गया हो ; और यदि उसे वैसा अधिकार न दिया गया हो, तो उस पर उतने निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जितनों के द्वारा धारा २१४ की उपधारा (१) और (२) के अनुसार समवाय के सन्तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११३, पंक्ति २ के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें :

"(6) If any person not being a director, having been charged by the Board of directors with the duty of seeing that the provisions of sub sections (1) to (3) are complied with, makes default in doing so, he shall, in respect of each offence, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees or with both :

Provided that no person shall be sentenced to imprisonment for any such offence unless it was committed wilfully."

["(६) यदि कोई व्यक्ति, जो एक निदेशक न हो और जिस पर निदेशक-बोर्ड ने यह देखने का कर्तव्य-भार डाला हो कि उपधारा (१) से (३) के उपबन्धों की पूर्ति होती रहे, ऐसा करने में कुछ चूक करता है, तो उसे प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में छः महीने तक की जेल या दो हजार रुपये तक का अर्थ दंड या दोनों, का दंड दिया जा सकेगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिये जेल का दंड न दिया जायेगा, यदि वह इच्छापूर्वक न किया गया हो ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७०० और ७०१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१६, संशोधित रूप में , विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१७, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री अल्तेकर : आपकी आज्ञा से मैं संशोधन संख्या ३५५ को उस रूपभेद सहित, जिसे सरकार मानने को तैयार है, औपचारिक रूप से प्रस्तुत कर दूंगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११४, पंक्ति ११,

"furnished without charge" [बिना शुल्क दिया जायेगा] के बाद "and any person

from whom the company has accepted a sum of money by way of deposit shall, on demand accompained by the payment of a free of one rupee, be entitled to be furnished."

["और कोई व्यक्ति, जिस से समवाय ने निक्षेप के रूप में कुछ राशि ली है, एक रुपये के शुल्क के भुगतान के साथ की जाने वाली मांग पर दिये जाने का अधिकारी होगा।"] शब्द रखे जायें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११४, पंक्ति ११,

"furnished without c h a r g e" [बिना शुल्क दिया जायेगा] के बाद' and any person from whom the company has accepted a sum of money by way of deposit shall, on demand accompanied by the payment of a fee of one rupee, be entitled to be furnished"

["और कोई व्यक्ति , जिस से समवाय ने निक्षेप के रूप में कुछ राशि ली है, एक रुपये के शुल्क के भुगतान के साथ की जाने वाली मांग पर ,दिये जाने का अधिकारी होगा।"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६११, ६१२, ६१३ और ६१४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११४,

पंक्ति ५१ में "together with" [के साथ] शब्दों के स्थान पर "and of" [और का] शब्द रखे जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१७, २१८ और २१९ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय प्रश्न यह है

"कि खंड २१९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२० से २२२ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २२० से २२२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७०२, ७०३ और ७०५ मतदान के लिये रखे गरे और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२३ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २२३ विधयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

[सभापति महोदय]

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७०८, ७०९, ७११, ५९९, ७१०, ६००, ६०१ और ६०२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२४ विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २२४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११८, पंक्ति ३९ से ४४,

"unless either" [यदि या] शब्दों से आरम्भ होने वाले और "outside India" [भारत से बाहर] शब्दों में समाप्त होने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर

"unless he is a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949)" ["जब तक वह अधिकृत (चार्टर्ड) लेखापाल अधिनियम, १९४९ (१९४९ का ३८) के अर्थ में अधिकृतलेखापाल न हों।"] शब्द और अंक रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११९, उपखंड ३ (ख)

पंक्ति १७ में, "officer or servant" [पदाधिकारी या भृत्य] के स्थान पर "officer or employee" [पदाधिकारी या कर्मचारी] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७१३, ७१४ और २२१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २२५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७१५ और ६०३ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २२६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७१७, ७१८, ७१९ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २२७ विधयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२८ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २२८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६०४ मतदान के रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २२९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १२१,

पंक्ति ४१ में "be forwarded" (सम्प्रेषित की जाये) के पहले "also" (भी) शब्द रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में खंड २२५ उपखंड (२) (क) पंक्ति २ में "नियमों" शब्द से पूर्व 'कोई' कोई शब्द जोड़ा गया और उपखंड (३) पंक्ति ३७ और ३९ में 'नौकर' शब्द के स्थान पर "कर्मचारी" शब्द रखा गया।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७२० और ७२१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३१ और २३२ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३१ और २३२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १२३, उपखंड (७) पंक्ति ४ में "creditor" [ऋणदाता] शब्द के बाद "or any other person interested" [या हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७२४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १२३, पंक्ति २८,

"shares issued" [निर्गमित अंश] के स्थान पर "total voting power therein" [उसमें मतदान की कुल शक्ति] रखा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३० और ७३२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय संशोधन संख्या ७३३, ७३४ और ७३५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १२४, पंक्ति ७

"creditors" [ऋणदाता] के बाद "members" [सदस्य] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७३६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३७ और २३८ विधेयक का **अंग** बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३७ और २३८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १२६, उपखंड (६), पंक्ति २८ से ३५,—

कंडिका (क) और (ख) को क्रमश: कंडिका (ख) और (ग) अक्षर दिये जायें, और निम्नलिखित परिभाषा कंडिका (क) के रूप में रखी जाये, अर्थात्—

"(a) the expresion "officers" in relation to any company or body corporate; includes any trustee for the debenture holders of such company or body corporate."

["(क) पदावलि "पदाधिकारी" में किसी समवाय या निगम-निकाय के सम्बन्ध में, ऐसे समवाय या निगम-निकाय के ऋण-पत्रधारियों का कोई न्यासधारी भी सम्मिलित है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २४० से २५० विधेयक का अंग **बने** ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*खंड २४० से २५० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : अब सभा खंड २५१ से ३२२ लेगी, जिस के लिये सात घंटे नियत किये गये हैं । माननीय सदस्यगण, जो संशोधन रखना चाहें, १५ मिनट में सचिव को बता दें । वे संशोधन प्रस्तुत किये गये माने जायेंगे ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : इस खंड-वर्ग को दो भागों में बांटने के बारे में मेरा निवेदन है कि उन्हें २५१ से २८३ और २८४ से ३२२ दो वर्गों में बांटा जाये । पहले वर्ग को जिस में १११ संशोधन हैं, चार घंटे और दूसरे को, जिस में ९४ संशोधन हैं, तीन घंटे दिये जायें ।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर) : उलटे दूसरे ही वर्ग को मेरी समझ से अधिक समय दिया जाना चाहिये ।

श्री सी० सी० शाह : पूरा वर्ग निदेशकों से संबंधित होने के कारण अविभाज्य है । इसे साथ ही लिया जाये ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम) : सुझाव यह है कि इसे दो भागों में विभक्त कर लें परन्तु दूसरे वर्ग को अधिक समय दिया जाये ।

श्री अशोक मेहता : चार अथवा तीन घंटे के स्थान पर प्रत्येक भाग के लिये साढ़े तीन घंटे का समय रख लीजिये । यदि आप सभी खण्डों पर एक साथ चर्चा करना चाहें तो मैं सहमत हूं परन्तु हम ने पहले यह निश्चित किया था कि दोनों वर्गों को दो भागों में विभक्त कर लेना चाहिये ।

श्री सी० सी० शाह : यह वर्ग केवल निदेशकों के सम्बन्ध में है तथा यदि अन्य विषयों पर चर्चा करना चाहते हों तो इस का द्विविभक्त करना चाहिये परन्तु यह एक ही विषय है. . . . .

*अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में खंड २४३ उपखण्ड (१) (क) और (ख) के बीच संयोजक अथवा जोड़ दिया गया, और खण्ड २४४ उपखंड (५) (ग) पृष्ट १२९ पंक्ति ३२ में दूसरी बार आये शब्द "उपखंड" हटा दिये गये ।

श्री एम० सी० शाह : सभा जो कुछ निश्चित करे, मैं उस से सहमत हूं परन्तु फिर भी मैं श्री अशोक मेहता से सहमत हूं । यह एक आवश्यक विषय है यदि श्रेणीवार इस पर चर्चा होगी तो विभिन्न खण्डों पर भी चर्चा होगी । मैं श्री अशोक मेहता के इस सुझाव से भी सहमत हूं कि समय को भी दोनों वर्गों में बराबर बांट लिया जाये ।

श्री सी० सी० शाह : मेरे विचार से यह सुविधा:जनक होगा यदि हम समय का बंटवारा न कर के प्रत्येक सदस्य के लिये कुछ अधिक समम निर्धारित करें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इसीलिये हम इस को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक बार निदेशकों के सम्बन्ध में तथा दूसरी बार बोर्ड के सम्बन्ध में चर्चा होनी चाहिये ।

श्री बंसल (झज्जर---रेवाड़ी) : यदि हम इन खंडों का द्विविभाजन कर रहे हैं तब हमें उन संशोधनों को प्रस्तुत हुआ समझना चाहिये जो दूसरे भाग के सम्बन्ध में हैं तथा जिन की सूचना आज दे दी गई है । मेरे संशोधन दूसरे भाग के सम्बन्ध में हैं तथा संभव है कल मैं अनुपस्थित रहूं ।

सभापति महोदय : श्री बंसल अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने का अधिकार किसी माननीय सदस्य को दे सकते हैं । बाद में अध्यक्ष महोदय जो निश्चित करेंगे वही सामान्य नियम हो जायेगा । समय दोनों के लिये बराबर अर्थात् साढ़े तीन घंटे रहेगा । खंड २५१ से २८३ ।

श्री बंसल : जब ये सभी खंड एक वर्ग में रखे गये हैं तथा इन के लिये सात घंटे निर्धारित कर लिये गये हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किन नियमों के अधीन मुझे खंड २८४ से २९३ पर संशोधन प्रस्तुत करने से रोका जा रहा है ।

सभापति महोदय : इस समय सभा में खण्ड २५१ से २८३ प्रस्तुत हैं । इन्हीं खंडों पर पहले चर्चा होगी तथा जब तक अन्य खंड प्रस्तुत नहीं होंगे तो उन पर संशोधन किस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

खंड २५१ से २८३

श्री एम० सी० शाह : मैं समझता हूं कि प्रत्येक वर्ग के लिये साढ़े तीन घंटे निश्चित किये गये हैं तथा खंड २५१ से २८३ पर पहले विचार होगा ।

मेरे, खंड २६६, २६७, २६८, २७९ तथा २८३ पर क्रमशः संशोधन ६५६, ६५७, ६५८, ३५८ तथा ६५९ है । अन्य संशोधन मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा । इन खंडों पर पांच संशोधन हैं ।

खण्ड २६६, २६७ तथा २६८ पर संशोधनों में, मैं 'प्रबन्ध निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'प्रबन्ध अथवा पूरे समय काम करने वाला निदेशक' रखना चाहता हूं । क्योंकि जो भी प्रबन्ध निदेशक पर लागू होगा वहीं पूरे समय के निदेशक पर भी लागू होगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

खण्ड २८३ के उपखण्ड (१) के संशोधन संख्या ६५९ में 'निदेशक' शब्द के पश्चात् 'not being a director appointed by the Central Government in pursuance of Section 407' (धारा ४०७ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक न होते हुए) शब्द जोड़े जायें। यह आवश्यक है कि खण्ड ४०७ के अधीन, विशेषाधिकारों से सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक को समवाय के सामान्य सम्मेलन में संकल्प द्वारा नहीं हटाया जा सकता, यह संशोधन उस को स्पष्ट करता है । संशोधन संख्या ३५८ जो खंड २७९ के सम्बन्ध में है में 'प्राप्त किया' शब्दों के स्थान पर 'पूर्ण किया' शब्द रखे जायें। यह व्याकरण की गलती थी । यह सरकारी संशोधन है ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : इस खण्ड वर्ग पर बहुत से संशोधन हैं परन्तु मैं केवल महत्वपूर्ण संशोधनों पर कुछ कहूंगा । सब से पहले हम कर्मचारियों के निदेशक बोर्ड में भाग लेने तथा निदेशकों की संख्या सीमित करने का परिवर्तन चाहते हैं ।

निरन्तर रहने वाले तथा बारी बारी से रहने वाले निदेशकों के अनुपात के सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि $^{2}/_{3}$ तथा $^{1}/_{3}$ के स्थान पर $^{1}/_{4}$ तथा $^{3}/_{4}$ अनुपात होना चाहिये । क्योंकि हम बारी बारी से रहने वाले निदेशकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं । जिस से प्रबन्ध अभिकर्ता निश्चित संख्या में से ही निदेशकों को नामनिर्देशित करें । इस के अतिरिक्त हम अंश अर्हता ५००० रुपये के स्थान पर ५०० रुपये रखना चाहते हैं । क्योंकि निदेशक बनने के लिये केवल धन ही पर ध्यान नहीं रखना है । तथा अधिक धन की व्यवस्था के द्वारा आप विद्वान व्यक्तियों के निदेशक बनने में रुकावट डाल रहे हैं ।

हमारा सब से महत्वपूर्ण संशोधन है जिस के द्वारा हम निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के स्थान के द्वारा हम समवाय के प्रबन्ध में उन का भाग चाहते हैं तथा इसीलिये खण्ड २५४(क) हम ने प्रस्तुत किया है ।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार तथा अन्य राजनैतिक दलों ने यह स्वीकार कर ही लिया है कि कर्मचारियों का समवाय के प्रबन्ध में भाग होना चाहिये जिस से उन को समवाय के काम में प्रोत्साहन मिलेगा । मेरा यही विचार था कि उन को सभी कार्यों में हिस्सा लेने देना चाहिये । सामान्य बैठक के द्वारा उन के भाग लेने का, मेरा संशोधन स्वीकार नहीं हुआ परन्तु इस से यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि वह निदेशक बोर्ड में भाग नहीं ले सकते हैं । इसलिये मेरा विश्वास है कि इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होगी कि कर्मचारियों को निदेशक बोर्ड में २५ प्रतिशत, निदेशक चुनने का अधिकार हो । यह संख्या इस ओर लगभग सभी सदस्यों को मान्य है ।

यह योजना इसलिये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस से कर्मचारियों की बहुत भलाई होगी । वह जान सकेंगे कि उन को मजूरी अथवा उन का धन अभी तक क्यों नहीं मिला । समवाय कर्मचारियों को लेखों के सम्बन्ध में प्रायः गलत सूचना दे देता है तथा कर्मचारी उस की जांच भी नहीं कर सकते हैं । एक न्यायाधिकरण विशेष में मैं ने एक मुकद्दमा लड़ाया था जिस में एक समवाय विशेष ने कहा था कि उस में भुगतान करने की सामर्थ्य नहीं थी । खातों में इस का अकाट्य साक्ष्य था कि समवाय के प्राधिकारियों के निजी प्रयोजनों के लिये बहुत सा रुपया दिया जा रहा था । समवाय ने खाते दिखाने से इंकार कर दिया । कर्मचारियों ने गुप्त रूप से खातों की छायांकित प्रतिलिपि पेश की । इस पर समवाय ने धारा ३३ के अन्तर्गत उन के निकाले जाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया और अनुज्ञा प्राप्त कर ली और तत्संबंधी कर्मचारियों को निकाल दिया गया । यदि कर्मचारियों को भी प्रबन्ध कार्य में भाग लेने का अवसर दिया जाये तो वे अपने प्रतिनिधियों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि लेखाओं की स्थिति क्या है और वह न्यायाधिकरण को अधिक अच्छी उपलब्धियां दिलाये जाने के लिये राजी कर सकते हैं । हिसाब किताब का अच्छा ज्ञान होने से वह अपनी मजूरी के सम्बन्ध में भाव ताव भी अच्छी तरह कर सकते हैं । सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो आपका कहना है कि कर्मचारी

भी समवाय के हिस्सेदार हैं इसे व्यवहार में लाने का यही सब से अच्छा अवसर है ।

दूसरा मुख्य सिद्धान्त जिस का मैं सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि निदेशक-पदों का परिसीमन संख्या तथा परिमाण दोनों प्रकार से किया जाना चाहिये । यह विधेयक एक व्यक्ति को बीस समवायों तक का निदेशक होने की छूट देता है। एक व्यक्ति बीस समवायों का निदेशक हो कर पैसा तो अधिक कमा सकता है परन्तु निदेशक की हैसियत से वह बीस समवायों की कोई सेवा नहीं कर सकता है । जहां तक निदेशक की हैसियत से समवायों की सेवा करने का प्रश्न है एक व्यक्ति पांच या अधिक से अधिक दस समवायों का काम संभाल सकता है । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपना ध्यान केवल समवायों की संख्या तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये वरन् इस बात प रभी ध्यान देना चाहिये कि वे समवाय छोटे छोटे हैं या बहुत बड़े बड़े हैं । हमें दो बातों पर ध्यान रखना है एक तो निदेशकों की कार्यकुशलता और दूसरे आर्थिकसत्ता का केन्द्रीयकरण । यदि बीस समवाय छोटे छोटे हों तो केवल यही हानि होगी कि कार्य-कुलशता का ह्रास होगा, इस से आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कोई खतरा नहीं होगा । परन्तु यदि एक व्यक्ति तीन चार बड़े बड़े समवायों का निदेशक हो तो यह खतरा पैदा हो जाता है । इसलिये हमारा सुझाव है कि एक व्यक्ति पांच या अधिक से अधिक दस समवायों का निदेशक हो सकता है बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक समवायों का निदेशक हो तो ऐसे सब समवायों की समस्त अवरुद्ध पूंजी १० करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये क्योंकि जितनी ही अधिक अवरुद्ध पूंजी होगी उतनी अधिक आर्थिकसत्ता निदेशकों के हाथ में हो सकती है । यदि कोई समवाय विस्तार के बहाने अन्य उपक्रमों को प्रारम्भ कर दे तो उस की देख रेख की जानी चाहिये । उस की अवरुद्ध पूंजी को सीमित कर दिया जाना चाहिये । अतः हमारी योजना है कि न केवल समवायों की संख्या अपितु उन के आकार को भी सीमित किया जाना चाहिये । आशा है कि सभा इस प्रस्थापना को स्वीकार करेगी ।

मेरा एक और महत्वपूर्ण सुझाव यह कि कर अपवंचन के अपराधी पाये जाने वाले व्यक्तियों को समवायों के प्रबन्ध, तथा समवायों के प्रवर्तन और निर्माण कार्य से वंचित कर दिया जाना चाहिये । जब मैं अपने इस संशोधन पर बोल रहा था तो वित्त मंत्री ने संशोधन की संख्या पूछी थी परन्तु वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में इस के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है । यह एक ऐसी बात है जिस का तुरन्त उत्तर मिलना चाहिये । यह एक ऐसी बुराई है जो सौ बुराइयों को जन्म देती है । परन्तु समझ में नहीं आता है कि सरकार इस का कोई उत्तर क्यों नहीं देती है । क्या सरकार यह समझती है कि उपक्रम की सफलता के लिये ऐसे कर-अपवंचों का होना अनिवार्य है या सरकार इस से सहमत नहीं है कि कर अपवंचकों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार किया जाय ? यदि इन में से कोई कारण है तो मैं आशा करता हूं कि सरकार अवश्य उत्तर देगी । हां, अगर सरकार आगामी निर्वाचन की दृष्टि से कर अपवंचकों को प्रसन्न रखना चाहती है तो अवश्य मैं सरकार से उत्तर पाने की आशा न करूंगा । इस के लिये मैं ने संशोधन संख्या ७४६ रखा है और उस के द्वारा एक नये खण्ड २७२ क के बढ़ाये जाने की सिफारिश की है जिस में ऐसे व्यक्तिय वर्ग की स्पष्ट परिभाषा दी गई है और स्पष्ट शब्दों में यह बताया गया है कि उन के निदेशक नियुक्त हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौनसा न्यायाधिकरण इस का विनिश्चय करेगा, यह भी उस में स्पष्ट रूप से अताया गया है । मैं चाहता हूं कि सरकार बतावे कि वह इतन युक्तियुक्त संशोधन क्यों स्वीकार नहीं करना चाहती है ।

श्री अशोक मेहता : समवाय प्रबंध में श्रमिकों को भी भाग लेने का अवसर देने के सम्बन्ध में सदस्यों ने खंड २५१, २५४ और २६४ में बहुत से संशोधन रखे हैं। वित्त मंत्री ने भी कहा है कि वह इस सुझाव के विरोधी नहीं हैं। श्रम मंत्री ने स्वयं ही ऐसा सुझाव रखा है। प्रधान मंत्री ने भी इस विचार धारा का समर्थन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है, उस के अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री थे, कि प्रबन्ध तथा उद्योग में श्रमिकों को भाग लेने का अवसर दे कर तथा लाभ विभाजन द्वारा श्रमिकों और पूंजीपतियों में स्थायी और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जाने चाहियें। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद १९४७ में कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में संकल्प पारित किया था वह भी इसी आशय का है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब सत्तारूढ़ दल की यह स्पष्ट नीति है तो आज आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी वित्त मंत्री इस विधेयक में इसे स्थान देने से क्यों इन्कार करते हैं।

इसी नगर में दिल्ली क्लाथ मिल इसे स्वीकार कर चुका है और उसने यह नियम बनाया है कि निदेशक बोर्ड में दो प्रतिनिधि कर्मचारियों के होंगे। यह तो वास्तव में आरंभ है। श्रमिकों का उद्योग पर इस प्रकार का नियंत्रण बढ़ता ही जायेगा जैसा कि औद्योगिक प्रजातन्त्र का तात्पर्य है। यही नियंत्रण बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना हो जायेगा कि हमारे पूंजीपति मित्रों का अस्तित्व ही निरर्थक हो जायेगा।

दूसरा खंड जिस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं खण्ड २७४ है। इस खण्ड के संबंध में दो प्रकार के संशोधन रखे गये हैं। एक मेरा संशोधन है जिस के अनुसार सभी निदेशकों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाना चाहिये। दूसरे श्री मुरारका तथा श्री नथवानी के संशोधन हैं जिन के अनुसार केवल उन निदेशकों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व द्वारा होना चाहिये जो चक्रानुवर्तन से निवृत्त हों। अनुपाती प्रतिनिधित्व का जहां तक सम्बन्ध है आज से बीस वर्ष पूर्व श्री गोबिन्द वल्लभ पन्त ने जो कुछ कहा था उस से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्हों ने कहा था, "इस देश के औद्योगिक तन्त्र का सुधार करने के लिये अनुपाती प्रतिनिधित्व बहुत आवश्यक है।" निश्चय ही इस बीस वर्ष में समवाय विधि में बहुत से परिवर्तन किये गये हैं परन्तु कोई सुधार ऐसा नहीं हुआ है जिस से कि उन का तर्क कमजोर हो गया हो। मुझे खेद है कि वह आज सरकारी पक्ष में हैं इसलिये इस संशोधन को रखने का भार अल्प अनुभवी तरुणों के कंधों पर आ पड़ा है।

बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसियेशन ने मई १९४९ में सरकार के सामने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया था उस में भी अनुपाती प्रतिनिधित्व की सिफारिश की गई थी। कहा जाता है कि इस अवसर पर भी बम्बई शेयर होल्डर्स ऐसोसियेशन ने उसी सिफारिश को दुहराया था।

आज के संसार में देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में प्रबन्ध चला जाता है वे बहुत थोड़े अंशों की सहायता से ही अपना नियंत्रण बनाये रखते हैं। प्रोफेसर मुंड की हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक "गवर्नमेंट एंड बिजनेस" से पता चलता है कि अमरीका के सब से बड़े २०० निगमों में बहुत थोड़े से अंशों से प्रबन्धक अन्य अंशों पर नियंत्रण कर रहे हैं। इसी अनुभव के कारण अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अमरीका में स्वी-

कार किया गया था । वही कठिनाइयां हमारे सामने भी आने वाली हैं इसलिये अच्छा होगा कि हम अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को लागू कर दें । इस का केवल अनुज्ञेय होना पर्याप्त नहीं है, इसे अनिवार्य बनाना होगा ।

हम खण्ड ७६ को स्वीकार कर चुके हैं जिस में अंश क्रय योजना का उपबन्ध है । कर्मचारियों का अंशधारी होना तभी सार्थक हो सकता है जब उन्हें अपने निदेशक चुनने का अधिकार प्राप्त हो । उदाहरण के लिये सिंधिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी को ही लीजिये । उस के कुल अंशों की संख्या ४५ लाख है और कुल पूंजी नौ करोड़ रुपये है यह कम्पनी तीन करोड़ रुपया मजूरी और वेतन के रूप में बांटती है । मान लीजिये खण्ड ७६ से लाभ उठाने के लिये श्रमिक लगभग आठ लाख अंश क्रय कर लेते हैं, फिर भी श्री तुलसी दास और उन के साथियों के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इतने अंश रह जायेंगे कि इतने अंश क्रय करने के बाद भी कर्मचारी निदेशक बोर्ड में अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकेंगे । खंड ७६ बना कर हम ने कर्मचारियों का समवाय की गतिविधियों में भाग लेने का रास्ता खोल दिया है । क्या यह कभी संभव है इस प्रकार का बड़ा समवाय अपनी इच्छा से अनुपाती प्रतिनिधित्व लागू कर दे ? हम ने जितने भी परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं वह कोई भी अनुपाती प्रतिनिधित्व के बिना सफलीभूत नहीं हो सकते हैं ।

अब मैं खण्ड २७७ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिस के द्वारा एक निदेशक के निदेशक-पदों को सीमित करने का प्रयत्न किया गया है । अमरीका में सात निदेशक-पदों का औसत है और इंग्लैंड में इस से भी कम है जर्मनी में इस से अधिक निदेशक-पदों पर विधि द्वारा निषेध लगा हुआ है । इस देश में निदेशक-पदों का केन्द्रीयकरण इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि १९३९ में हमारे देश के ५०० प्रमुख औद्योगिक समवाय २००० निदेशकों के हाथ में थे जिन में से ७० व्यक्ति ऐसे थे जिन के पास १००० निदेशक-पद थे अर्थात् उन का औसत १४·२ था और १० व्यक्ति ऐसे थे जिन के पास ३०० निदेशक-पद थे अर्थात् उन का औसत ३० था । १९४९ में उसी समूह का जब फिर से परिमाप किया गया तो ज्ञात हुआ कि १०१३ व्यक्तियों के हाथों में ३७२८ निदेशक पद थे जिन में से २० ऐसे व्यक्ति थे जिन के पास ८०५ निदेशक पद थे अर्थात् उन का औसत १६ का था और १०, २० चोटी के निदेशक ऐसे हैं जिन के निदेशक-पदों का औसत ३० से ले कर ४० था । इसलिये मैं इस खण्ड का स्वागत करता हूं परन्तु मेरा विचार है कि २० की सीमा उचित नहीं है ।

ऐसा जान पड़ता है कि इस परिसीमन के सारे विषय के पीछे कोई निश्चित विचार धारा नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे यह एक प्रकार का तदर्थ विनिश्चय है। प्रत्येक देश की एक प्रशासी विचार धारा होती है पूंजीवादी देशों में भी संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की है। जर्मनी अभिषदीकरण के पक्ष में है और वर्त्तमान समवायों की स्वीकृति के बिना कोई भी नया व्यापार आरंभ नहीं किया जा सकता है । अमरीका में जोर अबाध प्रतियोगिता पर है परन्तु वहां भी दो अधिनियम हैं १८९० का शर्मन एक्ट और १९१४ का क्लेटन एक्ट । मेसर्स एन्शन वर्माउथ की पुस्तक 'प्राइवेट एन्टरप्राइज़ एण्ड पब्लिक पालिसी के पृष्ठ १०३ में कहा गया है :—

> "और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धारा क्लेटन एक्ट की धारा (८) किसी भी व्यक्ति के ऐसे दो या दो से अधिक निगमों का निदेशक होने पर रोक लगाती है जिन की

[श्री अशोक मेहता]

१०,००,००० डालर से अधिक हों और यदि ऐसे व्यापार परस्पर प्रतियोगी हों तो उन की पारस्परिक प्रतियोगिता को समाप्त करना न्यासविरोधी विधयों का उल्लंघन करना होगा ।"

इस के बाद वह यह बताते हैं कि क्लेटन एक्ट किस प्रकार पर्याप्त नहीं है। कहा गया है :

"धारा ८ अनुदारता से लिखी गई है और इस से प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है । इस धारा में उदग्र गठबन्धनों सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं है। अप्रत्यक्ष गठबन्धन तब होता है जब कि एक निगम में दो प्रतियोगियों का एक एक निदेशक हो और उदग्र गठ-बन्धन तब होता है जब एक निगम का निदेशक संभरण-कर्ताओं में हो ।"

श्री तुलसी दास इसे केवल एक सैद्धान्तिक बात कह कर टाल सकते हैं किन्तु मैं आप को अमरीका के फेडरल ट्रेड कमीशन के विचार बताऊंगा । उन्होंने कहा है कि :

(१) गठबन्धन वाले निदेशा-लयों के कारण प्रतियोगी संस्थाओं में प्रतियोगिता कम अथवा समाप्त हो जाती है । (२) विभिन्न उद्योगों में गठबन्धन होने से प्रतियोगिता का विकास नहीं हो पाता है जिस से उत्पादन नहा बढ़ता है । (३) एक समान हितों वाले समवाय के गठबन्धन से एक संयुक्त मोर्चा बनने का भय रहता है ।"

मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस बात की ओर विशेष ध्यान दें ।

"(४) उदग्र गठबन्धनों से सामग्री के अल्पकालीन वितरण में खराबी पैदा होने का भय रहता है । (५) उपभोक्ता उद्योगों के उदग्र गठबन्धनों से बाजार पर सामान्यता बुरा प्रभाव पड़ता है । (६) निर्माण करने वाले निगमों तथा बैंकों आदि से गठबन्धन करने से यह भय रहता है कि कहीं वे प्रतियोगियों को ऋण तथा पूंजी न दे कर हानि न पहुंचायें । (७) गठबन्धन से स्वामित्व हित उत्पन्न हो जाता है और प्रयत्न केवल विनियोजन को सुरक्षित रखने के लिये किये जाते हैं ।"

गठबन्धनों के ये सभी खतरे फैडरल ट्रेड कमीशन, अमेरिका ने बताये हैं । मुझे भय है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया है । श्रीमान्, इस देश में बड़े पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों के अपने स्वयं के बड़े बड़े बैंक तथा बीमा समवाय हैं और इस प्रकार वह हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर अधिकाधिक नियंत्रण रखते हैं । इन गठबन्धनों के कारण हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का अधिकांश नियंत्रण इन्हीं लोगों के हाथों में है । संयुक्त समिति में श्री बी० एम० बिड़ला ने अपने साक्ष्य में

कहा था कि व्यापारी इन गठबन्धनों पर अभिमान करते हैं। उन के लिये यह अभिमान करना ठीक ही है क्योंकि इस के परिणाम जनता के लिये हानिकारक जो हैं। हमें चाहिये कि इन बातों का उपचार करें।

मैं तो यही समझता हूं कि वित्त मंत्री ने इस पहलू पर गम्भीर रूप से विचार नहीं किया है। केवल निदेशक-पदों की एक सीमा निर्धारित कर दी है उस से कुछ लाभ नहीं हो सकता है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं केवल उन्हीं संशोधनों के बारे में कुछ कहूंगा जिन्हें कि मैं खंड २६५, २७३, २७६, २८० और २८२ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है।

सब से अधिक मैं अनर्हता सम्बन्धी खण्ड के बारे में कहना चाहता हूं। यह सच है कि हमें अपने व्यापारी वर्ग का स्तर ऊंचा करना है और इसी कारण से खण्ड २७३ में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को एक समवाय का निदेशक नहीं बनवाया जायेगा जिसे भारत के किसी न्यायालय ने दोष-सिद्ध कर के ६ मास का कारावास दण्ड दिया हो और तब से पांच वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल ही में पंजाब, पैप्सू तथा दिल्ली में धारा १४४ भंग की गई थी। उस का भंग भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत दण्डनीय है जो कि एक हस्तक्षेप अपराध है। उस में दण्डाविधि भी ६ महीने से अधिक की ही है। इसलिये यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध में दण्ड दिया गया हो तो वह भी अनर्ह हो जायेगा। इसलिये यहां मैं यह सुझाव देता हूं कि जो दण्ड अनर्हता के लिये रखा गया है वह नैतिक अपराध के लिये होना चाहिये। खण्ड २६६ में प्रबन्ध निदेशक की अर्हताओं में भी यही उपबन्ध है। इसलिये निदेशक की नियुक्ति के बारे में भी ठीक इसी प्रकार का उपबन्ध होना चाहिये।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा तथा विधान सभा के सदस्यों की अर्हता के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधान अधिनियम की धारा ७ में यह उपबन्ध है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विधान सभा अथवा संसद् का सदस्य नहीं बन सकेगा जिसे कि दो वर्ष का कारावास दंड किसी न्यायालय द्वारा दिया जा चुका हो और अभी उस समय से पांच वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो।

मेरा अभिप्राय यह है कि संसद् सदस्य की अर्हता के लिये तो हम ने दो वर्ष दण्ड की अवधि रखी है और प्रबन्धक निदेशक के लिये ६ मास की। हम एक निदेशक को संसद् सदस्य से वरीय कभी नहीं मान सकते। इस लिये यह उपबन्ध ठीक नहीं है। दूसरे आज कल बहुत से अपराधों में ६ मास का दण्ड दे दिया जाना एक साधारण सी बात है। हां, यदि कोई नैतिक अपराध हो तो बात दूसरी है। केवल ६ मास के कारावास दण्ड से ही एक व्यक्ति को अनर्ह न बनाया जाये। कई बार लोग वैसे ही धारा १४४ के अन्तर्गत पकड़े जा कर दंड पा जाते हैं। और फिर कई बार विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं पर धारा ३०७ के अन्तर्गत अभियोग चला दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सड़क से एक पत्थर भी उठाता है तो कह दिया जाता है कि यह पत्थर किसी का सर फोड़ने के लिये उठाया जा रहा था--इसलिये आवश्यक है कि इन सब बातों से जन साधारण की रक्षा की जाये। इसलिये मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये और शब्द "नैतिक दुराचार" जोड़ दिये जायें।

इस के बाद निदेशकों की आयु के बारे में मेरा संशोधन संख्या ५१८ है। यह खण्ड २७९ के बारे में है। खण्ड २८० पर मेरा संशोधन केवल आनुषंगिक संशोधन है।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

खण्ड २७९ के अनुसार निदेशक की आयु सीमा ६५ वर्ष रखी गई है। उसी के साथ खण्ड २८० में हम ने यह रखा है कि खण्ड २७९ का कोई भी उपबन्ध एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति में रुकावट नहीं डाल सकता जिस के सम्बन्ध में समवाय की प्रधान बैठक में यह संकल्प पारित हुआ हो कि समय-सीमा उस पर लागू नहीं होगी। एक स्थान पर तो हम एक प्रतिबन्ध लगाते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि यदि एक विशेष निर्णय किया गया तो यह निर्णय लागू नहीं होगा।

जब हम यह देखते हैं कि कोई निदेशक ६५ वर्ष की आयु के बाद निदेशक नहीं रह सकता है तो उस का तात्पर्य यह है कि हम देश में प्रचलित नियमों के अनुसार चलते हैं। अर्थात् सरकारी कर्मचारी ५५ वर्ष की आयु के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु में—यह ठीक है—न्यायाधीश का काम बहुत कठिन है; किन्तु क्या इन निदेशकों का काम भी न्यायाधीशों के समतुल्य है जो इन्हें भी ६५ वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त कर दिया जाये? हम एक निदेशक को न्यायाधीश के स्तर पर नहीं रख सकते। इंग्लिश विधि में आयु-सीमा ७० वर्ष निर्धारित की हुई है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मंत्रियों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री के० के० बसु : मंत्रियों की आयु-सीमा ६० वर्ष है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : कन्तु उन का तो प्रत्येक बार निर्वाचन होता है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यहां भी तो निर्वाचन का ही प्रश्न है, चुनाव का नहीं। निदेशक भी उन लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं जिन का हित समवाय में होता है।

इसलिये जब तक मतदाता चाहे एक निदेशक को रखे। मेरे संशोधन द्वारा आयु-सीमा को ७० वर्ष किये जाने की मांग की गई है। आयु-सीमा का प्रश्न समवायों के बारे में आना ही नहीं चाहिये। इसलिये इस खंड में किसी रुकावट रखने का कोई भी अर्थ नहीं है और यह आयु-सीमा सम्बन्धी रुकावट व्यर्थ है।

इस के बाद इस आयु-सीमा की रुकावट को दूर करने के लिये एक विशेष संल्कप पारित करने का उपबन्ध रखा गया है। इस का भी कोई अर्थ नहीं है। आयु-सीमा का ही कोई अर्थ नहीं है। यदि आयु-सीमा रखना आवश्यक ही है तो वह ७० वर्ष रखी जाये ताकि एक निदेशक अपने अनुभव से समवाय को लाभ पहुंचा सके।

श्री एन० पी० नथवानी : मैं अपने संशोधन संख्या २२७, २२८ और २२९ पर बोलूंगा जो कि खड २६४ के बारे में हैं। इस समय खंड २६४ द्वारा कोई समवाय अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर दो तिहाई निदेशकों की नियुक्ति किये जाने का उपबन्ध करता है। हमारा संशोधन यह है कि अनिवार्य रूप से दो तिहाई निदेशक आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाने चाहिये।

विचार प्रस्ताव के समय बहुत से सदस्यों ने हमारे संशोधनों का समर्थन किया है। श्री तुलसीदास, श्री बंसल तथा श्री सोमानी ने इन का विरोध किया है। उन को उत्तर देने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि आज मत शक्ति थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित है और यही कारण है कि समवाय प्रबन्ध में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन बातों पर ध्यान रखते हुए हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस रोग का उपचार अनुपाती प्रतिनिधित्व ही है। कुछ लोग यह विचार रखते हैं कि

इस का उपचार प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को सुधारने से या समाप्त करने से ही होगा, किन्तु यह भी गलत है। माननीय वित्त मंत्री ने भी इसी प्रकार का विचार प्रकट किया था। मैं इस से सहमत हूं यदि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली समाप्त भी कर दी जाये तो खराबियां दूर नहीं हो सकती हैं। यदि कोई समवाय निदेशक बोर्ड द्वारा नियंत्रित हो भी तो भी इस मतदान प्रणाली के अन्तर्गत बोर्ड में अधिकतर लोग उन के अपने ही होंगे और इस से भ्रष्टाचार ही फैलेगा—इसलिये इस खराबी को दूर करने के लिये अनुपाती प्रतिनिधित्व का तरीका बहुत ही ठीक है।

इस तरीके से अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी वहां आ सकते हैं। १९३६ में कांग्रेस ने भी, वर्तमान गृह मत्री के द्वारा एक ऐसा ही संशोधन प्रस्तुत कराया था। यदि उस समय यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता तो बहुत सी खराबियां दूर हो जातीं। हुआ यह कि धारा ८३ख में एक खण्ड जोड़ दिया गया कि जो दो तिहाई निदेशक जो सदस्य हीं होंग चक्रानुक्रम से निवृत्त होंगे और उन को दुबारा चुन लिया जायेगा। उस समय यह विचार था कि इस तरीके से स्वतन्त्र व्यक्ति बोर्ड में आ सकेंगे और बहुसंख्यक दल बोर्डों में अपने ही मनोनीत व्यक्ति भर कर अधिकार नहीं जमा सकगे—किन्तु वह आशा पूर्ण नहीं हुई। और मुझे इस समय भी भय है कि इस प्रकार भी हमारे लिये स्वतन्त्र व्यक्तियों को बोर्ड में लाना संभव नहीं होगा।

श्री बंसल ने कहा है कि वर्तमान विधेयक में कुछ पृथक बात की गई है जिस से स्वतन्त्र निदेशकों की बोर्ड में रखा जाना संभव नहीं हो सकेगा। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी हम संचयी मतदान का नया अनुभव कर रहे हैं। इसलिये इस का परीक्षण कर के देख ही लिया जाये। किन्तु मुझे डर है कि बड़े उद्योगपति इस तरीके को कार्यान्वित नहीं होने देंगे—श्री बंसल, श्री तुलसीदास आदि के भाषणों से यह बात स्पष्टतया दीख पड़ती है। श्री बंसल ने कहा है कि संचयी मतदान प्रणाली दोषपूर्ण है किन्तु उन्हों ने यह नहीं बताया कि अनुपाती प्रतिनिधित्व का तरीका उपयुक्त रहेगा अथवा नहीं।

दूसरी आपत्ति यह उठाई गई है कि ऐसा कोई उपबन्ध इग्लैंड में नहीं है। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि वहां की स्थिति बिल्कुल ही भिन्न है क्योंकि वहां अंश कुछेक व्यक्तियों या गुटों के हाथों में नहीं है। कोहेन समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख कर के मैं ने बताया था कि वहां समवायों का प्रबन्ध अधिकतर ईमानदारी से होता है। यदि ऐसी ही स्थिति यहां भी होती तो चिन्ता की क्या बात थी और ऐसे सुझाव दिये जाने की क्या आवश्यकता थी। प्रत्येक देश में स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करना पड़ता है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि संयुक्त राज्य अमरीका के बहुत से राज्यों में यह प्रणाली है कि वहां एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक गुट्ट के पास अधिकांश पूंजी होने के कारण, उन राज्यों में अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया है।

श्री बंसल ने अपने भाषण में यह पूछा है कि अंशधारियों के हितों की रक्षा करने वाली अंशधारी सन्था ने अनुपाती प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सुझाव क्यों नहीं दिया। मैं उन का ध्यान सन्था द्वारा भाभा समिति को भेजे गये उस ज्ञापन की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में कि उस ने अनुपाती प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं। इस के अतिरिक्त बम्बई अंशधारी संथा द्वारा माननीय वित्त मंत्री को लिखे गये पत्र की भी एक प्रति मेरे पास है, जिस में ऐसा लिखा हुआ है कि इस समिति का यह दृढ़ मत है कि निदेशकों का ठीक चुनाव

[श्री एन० पी० नथवानी]

ही समवाय विधि के सुधार की कूंजी है। अतः हमारा दृढ़ मत है कि अनिवार्य अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर निदेशकों का चुनाव करना अत्यावश्यक है। इस खंड को वकल्पिक नहीं, अपितु अनिवार्य बना दिया जाये, नहीं तो बहुसंख्यक निदेशक अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय करते रहेंगे। इस प्रकार यह ज्ञापन अनुपाती प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है।

फिर माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है कि प्रस्तुत विधेयक में एक ऐसा उपबन्ध रखा गया है जो कि स्वतन्त्र व्यक्तियों की उपस्थिति का समर्थन करता है। संभवतः माननीय सदस्य खण्ड २६० की ओर निर्देश कर रहे हैं। परन्तु इस में एक भयंकर त्रुटि है। इस से इस बात का भय है कि प्रबन्ध अभिकर्ता अपने ही किसी साथी को बोर्ड में निर्वाचित करा सकते हैं। अतः मैं चाहूंगा कि इस त्रुटि को दूर करने के लिये प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साथियों पर बोर्ड में निर्वाचित होने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

श्री सोमानी ने अपने भाषण के प्रारम्भ मे ही यह कहा कि अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को लागू करने से पारस्परिक झगड़े प्रारम्भ हो जायेंगे; और अपने इस कथन के समर्थन में उन्होंने एक दो समवायों के निदेशकों के परस्पर झगड़ों के उदाहरण भी दिये। परन्तु वास्तव में तो इन निदेशकों के मध्य हुए झगड़ों का कारण यह है कि वे अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं चुने गये थे। वैसे तो इस बात पर श्री मुरारका ही प्रकाश डालेंगे, परन्तु मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि निदेशकों के पारस्परिक झगड़ों का वास्तविक कारण यह था कि वे अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं चुने गये थे। अतः इन झकड़ों को दूर करने के लिये अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अपनाना ही होगा।

श्री सोमानी का यह कथन है कि यदि बोर्ड के सदस्यों में मतैक्य हो तो यह सिद्धान्त अनावश्यक है अतः इसे लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैं उसके कथन से सहमत नहीं हूं। साधारण स्थिति में तो निदेशकों के मध्य कोई झगड़ा नहीं होता है, परन्तु असाधारण स्थिति में बहुसंख्यक गुट्ट-चालें चलते हैं। गुप्त सौदे करते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं। अतः इस सिद्धान्त को लागू करने की आवश्यकता है।

फिर उन्होंने यह कहा है कि इस से समवायों का प्रबन्ध अव्यवस्थित हो जायेगा। परन्तु वास्तव में यह एक निराधार भय है क्योंकि निदेशकों का समवायों के दैनिक कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अतः इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जाना चाहिये। यदि कोई निदेशक कोई शरारत करे भी तो खण्ड २८३ के अधीन उस निदेशक को हटाया जा सकता है। अतः डरने की कोई बात नहीं है।

श्री तुलसीदास : क्या अनुपाती प्रतिनिधित्व के लागू किये जाने के उपरान्त किसी निदेशक को खण्ड २८३ के अधीन हटाया जा सकेगा?

श्री एन० पी० नथवानी : अनुपाती प्रतिनिधित्व के अधीन ऐसा कैसे किया जा सकता है? एक विशेष संकल्प के द्वारा ही ऐसा किया जा सकेगा। मैं अनुभव करता हूं कि ऐसी स्थिति में किसी विशेष संकल्प के द्वारा निदेशक का हटाया जाना उपबन्धित किया जाये। यदि अंशधारी चाहें तो वे ७५ प्रतिशत मत के द्वारा भी ऐसा कर सकते हैं अतः किसी भी निदेशक को शरारत करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वह ज्योंही शरारत करेगा, उसे ७५ प्रतिशत मतों के आधार पर हटा दिया जायेगा, अथवा उसे शरारत करने से रोक दिया जायेगा,

किसी को भी शरारत करन का साहस न होगा। वह समवाय के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तुलसीदास को अनुपातो प्रतिनिधित्व के बारे में आपत्ति इसलिये है कि खण्ड २८३ के अधीन कोई भी निदेशक हटाया नहीं जा सकेगा परन्तु वास्तव मे ऐसी बात नहीं है। वह खण्ड २८३ के अधीन हटाया जा सकेगा। अतः अनुपाती प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बना देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं समझ नहीं सका कि इसे अनिवार्य बना देने में कौन सी कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। यदि इसे वैकल्पिक बना देने से कोई कठिनाई नहीं होगी तो अनिवार्य बना देने से कोई कठिनाई कैसे हो सकती है ।

श्री तूलसी दास : मैं यह पूछना चाहता था कि यदि यह अनिवार्य बना दिया गया, तो क्या खण्ड २८३ के अधीन उसे हटाया नहीं जा सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक यह वैकपिल्क है, तब तक तो किसी न किसी कठिनाई के उत्पन्न होने का डर है, परन्तु अनिवार्य हो जाने पर ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। अतः यह कोई अकाट्य तर्क नहीं है ।

श्री एन० पी० नथवानी : श्री सोमानी ने इस के सम्बन्ध में कांग्रेस मुस्लिम लीग के संयुक्त शासन का उदाहरण दिया था और कहा था कि मुस्लिम लीग भी देश की सच्चे मन से सेवा करती रही। परन्तु वास्तव में यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसे उदाहरण पूर्णरूपेण गलत हैं। यह उदाहरण भ्रमपूर्ण है ।

अतः हम जहां बहुसंख्या के द्वारा निर्णय किये जाने का अधिकार चाहते हैं वहां हम यह भी चाहते हैं कि समस्त सम्बन्धित पार्टियों को प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिया जाये । मैं ने एक वैकल्पिक संशोधन संख्या ५५० प्रस्तुत किया है। यदि हमारा वर्तमान संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो अनुपाती प्रतिनिधित्व का यह सिद्धान्त कम से कम निजी मर्यादित समवायों पर तो अवश्य ही लागू किया जाये। ऐसे समवायों ने तो अपने काम को अपना घरेलु मामला बनाया हुआ है। अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि जहां तक निजी मर्यादित समवायों के निदेशक-बोर्डों का सम्बन्ध है, हमें अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अपनाना चाहिये। अतः यदि मेरा प्रथम संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम से कम यह तो अवश्य ही स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री मूरारका (गंगानगर---झुंझनू) : श्री नथवानी तथा मैं ने जितने भी सशोधन प्रस्तुत किये हैं उन में से अधिकतर संशोधन ऐसे हैं जिन का सम्बन्ध विधेयक के प्रारूपेण से है केवल कुछ एक ही ऐसे संशोधन हैं जिन के द्वारा सारभूत परिवर्तन अपेक्षित हैं। उदाहरणार्थ खण्ड २६० के बारे में संशोधन संख्या ४२१ है जिस के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्धियों को निदेशक नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना अपेक्षित है। परन्तु यह खण्ड पर्याप्त व्यापक नहीं है। इस में एक यह उपबन्ध रखा जाय कि यदि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का कोई साथी निदेशक बनना चाहे तो उस का केवल एक विशेष संकल्प के द्वारा ही निर्वाचन होना चाहिये। अतः मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें। निर्वाचन के लिये एक साधारण बहुसंख्यक मत तो उन व्यक्तियों के लिये पर्याप्त होगा जो कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्धी नहीं हैं, परन्तु सम्बन्धियों के लिये तो एक विशेष संकल्प की आवश्यकता है ।

अनुपाती प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में यह देख कर मुझे हर्ष हुआ है कि सभा में

[श्री मुरारका]

अधिकतर सदस्य इस के पक्ष में हैं । केवल कुछ एक ने ही इस का विरोध किया है।

इस का विरोध करते हुए श्री बंसल ने यह प्रश्न किया है कि क्या अंशधारियों ने कभी इस के बारे में मांग की है। मैं उन का ध्यान अंशधारियों द्वारा भाभा समिति को भेजे गये ज्ञापन की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में बम्बई अंशधारी संथा ने लिखा है कि भारत जैसे देश में जहां पर प्रबन्ध अभिकर्ता एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किये हुए हैं, इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि समवायों के निदेशक प्रबन्ध अभिकर्ताओं के प्रभाव से सर्वथा मुक्त हों। अतः निर्वाचन की प्रणाली का बदला जाना आवश्य है इस का अर्थ यह है कि निदेशकों को अंशधारी स्वयं निर्वाचित करें ।

समवाय विधि में सुधार करने के सम्बन्ध में उसमें तीन उपाय बताये गये हैं, और उनमें से एक अनुपाती प्रतिनिधित्व है ।

सन् १९३६ में हुए वाद-विवाद में भी जिस की ओर निर्देश किया है, यही कहा गया था कि निदेशक बोर्ड प्रबन्ध अभिकर्ताओं या बहुसंख्यक वर्ग से पूर्णतया स्वतन्त्र होना चाहिये। परन्तु इस संशोधन के १९३६ में न माने जाने का कारण यह था कि उस समय यह समझा गया था कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली एक उलझनपूर्ण प्रणाली थी । परन्तु आज ऐसी बात नहीं है। खण्ड २६४ में लिखा हुआ है कि मतदान संचयी प्रणाली से भी हो सकता है जो कि बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अमरीका के ५१ राज्यों में से ४८ में यह प्रणाली लागू है। इस प्रणाली से निदेशकों को चुनने में किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं होगी। यह एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है और यह संयुक्त राज्य अमरीका में अधिक से अधिक प्रचलित हो रही है और इस से वहां की औद्योगिक प्रगति में कोई बाधा नहीं पड़ी है ।

सन् १९३६ में भी जब कि श्री जी० बी० पन्त, श्री सत्यमूर्ति तथा बाबू बैजनाथ बजौरिया ने अनुपाती प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था तो विरोधियों ने इस के विपक्ष में बिल्कुल वैसे ही तर्क उपस्थित किये थे जैसे कि इस समय किये जा रहे हैं। उन का यह कहना था कि, "अनुपाती प्रतिनिधित्व के कारण प्रबन्ध कार्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी, इसलिये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उन के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे।" तो इस प्रकार से अनुपाती प्रतिनिधित्व का विरोध किया गया था। परन्तु इस के पक्ष में भी बड़े अच्छे अच्छे तर्क दिये गये थे। श्री सत्यमूर्ति द्वारा दिये गये भाषण के कुछ उद्धरण मैं प्रस्तुत करता हूं क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि मैं उन से अधिक इस के सम्बन्ध में नहीं कह सकता हूं ।

> "प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले अपने माननीय मित्रों से मैं यहा कहना चाहता हूं कि जब तक आप अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक बनने का अवसर नहीं देंगे, आप का यह प्रजातन्त्र असफल ही रहेगा। उन समवायों में, जिनमें प्रबन्ध अभिकर्ता एक बहुत नगण्य बहुसंख्या के कारण उस का नियंत्रण करते हैं, हमें अल्पसंख्या वालों को भी अपने प्रतिनिधि चुनने का समुचित अवसर देना ही चाहिये । ऐसा करना समवाय के सुचारु कार्यकरण में बाधक नहीं होगा क्योंकि मेरी योजना के अनुसार नगण्य बहुसंख्या को भी बोर्ड में

पर्याप्त प्रतिनिधान प्राप्त होगा । इस से कार्य सुचारू रूप से चलेगा, इसलिये मैं अपने संशोधन को सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं ।"

यह कहा था स्वर्गीय श्री सत्यमूर्ति ने । श्री एन० एम० जोशी ने इसी अवसर पर कहा था :

"मुझे इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं है कि यद्यपि अंशधारी मन्द-बुद्धि तथा असंगठित हैं तथापि ऐसे बहुत से अवसर आयेंगे जबकि वह, यदि निर्वाचन की अनुपाती प्रणाली लागू की गई तो, निदेशालय में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकेंगे ।"

इसी प्रसंग में श्री आसफ अली ने कहा था.....

उपाध्यक्ष महोदय : इन उद्धरणों को पढ़ा गया समझा जाना चाहिये । अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर हुई सामान्य चर्चा सभी को ज्ञात है, प्रश्न केवल यह है कि क्या समवाय में अन्य व्यक्तियों को भी लिया जाना चाहिये । एक दृष्टिकोण यह है कि इस से समवाय के कार्यों में गड़बड़ी पड़ जायेगी, तथा दुसरा दृष्टिकोण यह है कि केवल बहुसंख्या को ही सदैव शासन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । राजनीति में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति जानते हैं कि अनुपाती प्रतिनिधित्व क्या होता है । विश्वविद्यालयों में यही प्रणाली है और इस से उन का कोई अहित नहीं हुआ था । समवाय के सम्बन्ध में स्थिति कुछ भिन्न होती है क्योंकि वहां प्रश्न धन का आ जाता है । हम यह भी जानते हैं कि किस प्रकार अनुपाती प्रतिनिधित्व से कुछ व्यक्ति समवाय में आ सकेंगे और संचयी मतदान की अन्य प्रणाली किस प्रकार कार्य करेगी । इन सब बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : पिछली घोषणाओं को उद्धृत कर के वह यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि कांग्रेसजनों को अपनी विचारधारा बदलने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री सी० डी० पांडे : वह प्रगतिशील है, वह बदल सकते हैं ।

श्री मुरारका : श्री आसफ अली को यह सुझाव दिया गया था कि यदि एक बार हम अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपना लेंगे तो चालबाजियां खेली जायेंगी और लोग केवल वोट इकट्ठा करने की ही कोशिश करते रहेंगे और समवाय की हानि होगी । इस का उन्हों ने यह उत्तर दिया था कि जब तक मनुष्य रहेंगे चालबाजियां तो होती ही रहेंगी, जब तक चनाव होते रहेंगे इन को नहीं रोका जा सकता है । यही उस सभी आलोचना का उत्तर है ।

पंडित जी० बी० पन्त ने उस अवसर पर कहा था :

"पहली बात तो यह है कि प्रबन्धअभिकर्ताओं का समवाय की प्रबन्ध व्यवस्था पर पूर्णरूपेण अधिकार होता है । दूसरी बात यह है कि समवाय का विधिवत् स्वामित्व अंशधारियों में निहित होता है और समवाय को हुआ लाभ या हानि का परिणाम अन्ततः उन्हीं को भोगना पड़ता है । तीसरे, निदेशक बोर्ड केवल प्रबन्ध अभिकर्ताओं के मनोनीत व्यक्ति ही होते हैं । इन सभी कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाये ?"

इत्यादि

[श्री मुरारका]

आगे चल कर उन्हों ने बताया था कि अनुपाती प्रतिनिधित्व से ही इस समस्या का हल हो सकता है ।

उसी अवसर पर तत्कालीन विधि मंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक उद्धरण प्रस्तुत किया था । उन्हों ने कहा था :

> "पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, प्रस्ताव को मतदान के लिये प्रस्तुत करने से पूर्व, कहा कि यद्यपि सभा के समक्ष उपस्थित वादविषय बहुत सामान्य था परन्तु इस में एक महान सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त था ।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह किसी भी समय किसी भी सदन के सदस्य थे ?

श्री मुरारका : नहीं, श्रीमान् । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात किसी अन्य प्रसंग में कही थी और तत्कालीन विधि मंत्री ने उसे उद्धृत कर दिया था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि यदि हम अल्प संख्यकों को विद्रोह करने से रोकना चाहते हैं तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये और ऐसा केवल अनुपाती प्रतिनिधित्व के द्वारा ही किया जा सकता है ।

विचार प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि कोई जनतंत्रीय पद्धति राजनैतिक संस्थाओं के लिये उपयुक्त होती है तो वह किस तरह किसी समवाय के प्रबन्ध संचालन के लिये अनुपयुक्त हो सकती है । ऐसा ही कुछ उन्हों ने कहा था । यह सत्य है कि वह कोई भी प्रणाली जिस में पद चुनाव के द्वारा मिलते हैं एक जनतंत्रीय प्रणाली होती है, परन्तु प्रश्न यह है कि चुनाव की कौन सी पद्धति किन परिस्थितियों के लिये उपयुक्त हो सकती है । इसी सभा में लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति इत्यादि के लिये चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर किये जाते हैं । क्या यह समितियां सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही हैं । यहां तक कि जब किसी प्रवर समिति में सदस्यों को रखा जाता है तो सभा के सभी दलों को अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम लोग इस मामले पर बहुत अधिक समय ले रहे हैं । आनुपातिक प्रतिनिधित्व कोई प्रतिबन्ध नहीं है । यह एक विकल्प है समवाय, इसे या उसे, किसी को स्वीकार कर सकता है । पर अधिकांश समवाय इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करेंगे । प्रश्न यह है कि क्या इसे अनिवार्य बना दिया जाये या नहीं । यह बात उन्हीं पर छोड़ दी जानी चाहिये क्योंकि इस के समर्थक इसे तुरन्त अनिवार्य बनाने की मांग करेंगे । दूसरे लोग इस को प्रयोग के रूप में जारी करने की बात कहेंगे । दोनों प्रकार के प्रतिनिधित्व का अवसर है ।

श्री मुरारका : प्रश्न यह है कि इस प्रणाली को अनिवार्य बनाया जाय या वैकल्पिक रखा जाय । यदि इसे वैकल्पिक रखा जायेगा तो कोई भी समवाय इसे लागू नहीं करेगा । मेरा मत है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही एक ऐसा साधन है जिस के बल पर समवाय विधि और समवाय के प्रबन्ध को स्वस्थ आधार पर और ठीक रीति से चलाया जा सकता है ।

जर्मनी और आस्ट्रेलिया में यदि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह ५ प्रतिशत अंश लेता है तो स्वभावतः उसे समवाय के बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल जाता है । यदि यहां भी ऐसा ही किया जाय तो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन पूरा हो सकता है ।

मेरे मित्र श्री नथवानी ने बताया है कि यदि कोई निदेशक यह समझता है कि एक

विशेष निदेशक समवाय के निदेशक बोर्ड के काम में कठिनाई पैदा करता है तो उस से बचने के लिये खण्ड २८३ है। फिर बोर्ड की बैठक में निर्णय तो बहुमत से होता है, अतः समवाय के किसी काम में कोई बाधा नहीं होगी।

अब मैं खंड २८३ के सम्बन्ध में कुछ बताऊंगा। इस खण्ड में किसी निदेशक को उस के पद से हटाने की बात कही गई है। अभी तक किसी निदेशक को हटाने के लिये एक असाधारण या विशेष संकल्प पारित करना पड़ता था पर अब हम व्यवस्था कर रहे हैं कि एक साधारण संकल्प द्वारा भी निदेशक को निकाला जा सकेगा। पर यह उपबन्ध हमारे देश में हानिकारक सिद्ध होगा। नये निदेशक को किसी भी समय बहुमत से निकाला जा सकता है अतः उसे कोई सुरक्षा नहीं रहती। और वह स्वतन्त्रता से काम भी नहीं कर सकता। अतः हो सकता है कि यह उपबन्ध इंग्लैंड और अन्य देशों में उपयोगी सिद्ध हुआ हो, पर विद्यमान परिस्थितियों में हमें पुराना उपबन्ध ही रहने देना चाहिये, उसे बदलना नहीं चाहिये अर्थात् विशेष संकल्प द्वारा ही किसी निदेशक को हटाया जा सकता है। अन्यथा समवाय विधि में सुधार के बजाय कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।

श्री तुलसी दास : मैं ने खंड २५२ पर संशोधन संख्या ५७८ व ५७९ का सुझाव दिया था। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन संशोधनों पर सावधानी से विचार करेंगे।

खंड २५२ में यह उपबन्ध है कि निदेशक केवल व्यक्ति ही हो सकते हैं। भाभा समिति ने इस उपबन्ध को विधेयक में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के पीछे मुख्य तर्क यह है कि यदि निदेशक कोई व्यक्ति होगा तो यह अधिक अच्छा और सुविधापूर्ण होगा। मेरा तर्क यह है कि उक्त तर्क में कोई बल नहीं है। क्योंकि समवाय विधि के अनुसार प्रबन्ध-अभिकर्ता सार्थ अथवा निगम निकाय भी हो सकते हैं, उन को निदेशक चुनने का अधिकार है। निगम निकाय के द्वारा निदेशकों के नाम निर्देशन का भी प्रश्न है। माना एक व्यक्ति किसी विशेष निगम का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे अपनी बारी पर पद त्याग करना पड़ेगा और वह पुनः निर्वाचित होगा। किन्तु यदि किसी निगम निकाय को ही निदेशक की नियुक्ति का अधिकार हो अथवा वह स्वयं ही निदेशक हो तो इन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि केवल व्यक्तियों का ही निदेशक होना आवश्यक नहीं है।

अब मैं खंड २५८ पर आता हूं। मैं इस सम्पूर्ण खंड का विरोध करता हूं। खंड २५८, २६७ तथा २६८ संयुक्त समिति द्वारा जोड़े गये थे। सर्व प्रथम ये खंड भाभा समिति की सिफारिश पर १९५१ में एक अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम में जोड़े गये थे। उस समय कारणों के विवरण में यह कहा गया था कि ये खंड संक्रान्ति कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए अस्थायी रूप से स्वीकृत किये गये हैं। संयुक्त समिति ने इसे, प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को ध्यान में रख कर, स्थायी कर दिया है। यदि ये उपबन्ध प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के कारण रखे गये हैं, तो इन्हें आप बोर्डों के द्वारा नियंत्रित समवायों में क्यों प्रयुक्त कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : माननीय मंत्री अन्य सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि मंत्री जी को भाषण-कर्ता की बात ध्यान से सुननी चाहिये। आज जो आधे घंटे की चर्चा होने वाली थी वह रोक दी गई है तो क्या हम आधा घंटा और बैठ कर इस पक्ष की चर्चा जारी रखें। यदि हम साढ़े पांच बजे तक बैठेंगे तो इस पक्ष के लोगों की चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : हम ऐसा नहीं चाहते हैं ।

श्री एम० सी० शाह : माननीय मंत्री जी को इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने में ४० मिनट लगेंगे । हम ने चर्चा २ बज कर १० मिनट पर प्रारम्भ की थी । यदि हम ५ बज कर १० मिनट तक बैठें तो चर्चा समाप्त हो जायेगी और वित्त मंत्री कल उत्तर दे सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यथा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व हो या नहीं, क्या अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, क्या बहुसंख्यकों का एकाधिपत्य होगा, इत्यादि । ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं । इस सम्बध में बहुत कुछ कहा जा सकता है । मैं इस सम्बन्ध में सदस्यों को यथासम्भव अधिक-से-अधिक समय देने को प्रस्तुत हूं, जिस से सभा के समक्ष सभी प्रकार के दृष्टिकोण प्रस्तुत किये जा सकें तथा पीछे किसी को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत न रह जाये । किन्तु इस के लिये हमें कुछ अधिक समय तक बैठना होगा । इसलिये ५ सितम्बर से ९ सितम्बर तक, दोनों दिनों को मिला कर सभा का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है । इसी बीच सदस्य लोग चाय पान आदि के लिये जा सकते हैं । चर्चा जारी रहेगी । हमें आज के पूरे समय का उपयोग करना है । माननीय सदस्य इस बात का ख्याल रखें कि अन्य सदस्यों के लिये भी समय उपलब्ध हो ।

श्री तुलसीदास : मेरा प्रश्न यह है कि इन खंडों को बोर्ड-नियंत्रित समवायों में क्यों प्रयुक्त किया जा रहा है । इस विधेयक में कई उपबन्ध प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के निमित्त हैं, तब किसी अन्य प्रणाली को इस देश में कार्य करने का अवसर देना चाहिये । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि ये खंड केवल उन समवायों पर लागू हों जो कि प्रबन्धअभिकर्ता, मंत्री अथवा कोषाध्यक्ष इत्यादि के द्वारा संचालित होते हैं ।

ये अधिकार सरकार को अस्थायी रूप में दिये गये थे, लेकिन अब वह इन्हें छोड़ना नहीं चाहती है और स्थायी बनाना चाहती है । लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं । अनुच्छेद में आपने निदेशकों की संख्या निश्चित की है, किन्तु उस के लिये भी सरकार से समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है । अंशधारियों के मत का कोई मूल्य नहीं माना गया है । ये खंड केवल उन समवायों पर प्रयुक्त होने चाहियें जिन का प्रबन्ध प्रबन्ध अभिकर्ता के द्वारा होता है ।

जब भी मैं कोई बात कहता हूं मुझ से कहा जाता है कि मैं रूढ़िवादी हूं । लेकिन मैं सरकार के अधिकारों को कम करना चाहता हूं क्योंकि मेरे माननीय मित्र ने निदेशकों के सम्बन्ध में जो विश्लेषण किया है कि इंग्लैंड में निदेशकों की संख्या का औसत ७ है । मैं उन के तर्क को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि इंग्लैंड में निदेशक पूरे समय कार्य करने वाले व्यक्ति होत हैं और यहां की तरह वह केवल सलाहकार नहीं होते । इस मामले में आप सभी को दंड देना चाहते हैं । अन्ततः, कोई इन समवायों का प्रबन्ध करेगा, भी या नहीं ? यदि आप किसी विशेष प्रणाली को नहीं चाहते तो दूसरी प्रणाली विकसित कीजिये । आप सारी प्रणोलियों में कठोरता बरत रहे हैं । मैं प्रत्येक खंड के सम्बन्ध में भी यही बात कह रहा हूं कि कम-से-कम ऐसे समवाय जो कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं, मंत्रियों अथवा कोषाध्यक्षों के द्वारा प्रबन्धित न होते हों, उन्हें तो रियायत मिलनी चाहिये ।

अब हमें खंड २६० को लेना चाहिये । समवाय विधि समिति ने यह सुझाव दिया

था कि इस खंड के अनुसार निदेशकों का चुनाव ८० प्रतिशत बहुमत होने पर हो सकता है। संयुक्त समिति ने इस उपबन्ध की शब्दावली बदल दी है। क्या आप इन प्रतिबन्धों को उन समवायों पर भी लागू करना चाहते हैं जहां प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होते हैं। अनुच्छेदों में उपबन्ध होने पर भी आप ने तो निदेशकों की संख्या बढ़ा सकते हैं और न घटा ही सकते हैं। आप को हर समय सरकार का समर्थन प्राप्त करना होगा और साधारण बैठक आयोजित करनी पड़ेगी। आपको अपने वकील को सरकार का समर्थन प्राप्त करने के लिये दिल्ली भेजना पड़ेगा। इस प्रकार यदि उसे एक वर्ष में चार बार दिल्ली आना पड़ा तो कितना व्यय होगा? इस से हानि अंशधारियों की ही होगी। परिणाम यह होगा कि प्रबन्ध अभिकरणों की बुराई के साथ साथ दूसरी बुराइयां बढ़ जायेंगी। इस से न केवल हमारी प्रगति अवरुद्ध होगी अपितु हमारी कठिनाइयों में भी वृद्धि हो जायेगी। हमारी इच्छा है कि अधिक-से-अधिक समवाय प्रारम्भ हों। इस देश में किसी व्यापार या उपक्रम के प्रारम्भ करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु लोगों में उपक्रम प्रारम्भ करने की क्षमता नहीं है और जो लोग कुछ करते भी हैं, उन के विरुद्ध और लोग आलोचना करते हैं। संसार में ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने साधारण कार्य प्रारम्भ कर के बड़े बड़े कार्य कर दिये हैं और अपने देश का भी हित किया है। लेकिन यहां लोग केवल बातें ही करते हैं। मुझे तो यही अनुभव हो रहा है।

अब मैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आता हूं। वर्तमान विधेयक के अधीन हमें यह स्वतन्त्रता दी गई है कि समवाय अपने अनुच्छेदों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व रख सकते हैं। मेरे माननीय मित्रों ने यह कहा है कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा। यदि यह अच्छी चीज है तो वे लोग इसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। यदि मैं श्री अशोक मेहता से ही अपने समवाय में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रारम्भ करने को कहूं तो वे ऐसा नहीं करेंगे। वे स्वयं ऐसे समवायों में अंश नहीं लेंगे जहां समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रथा हो। क्योंकि यह प्रणाली चल ही नहीं सकती। समवाय को एक मंत्री-मंडल की तरह सर्व सम्मति से कार्य करना होता है। यदि वहां विरोधी व्यक्ति हों तो कैसे कार्य चल सकता है? सरकार के पास पर्याप्त अधिकार सुरक्षित हैं और अल्पसंख्यकों को सरकार के पास अपनी शिकायतें पहुंचाने के काफी अधिकार हैं। श्री अशोक मेहता चाहते हैं कि चारों ओर से उन का ही लाभ हो। वे समवाय के हित की कोई बात नहीं चाहते हैं। मुझे दुःख है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सफल नहीं हो सकता।

श्री अशोक मेहता : लेकिन अमेरिका में यह सफल हो रहा है।

श्री तुलसी दास : लेकिन वहां के समवायों को इस से बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं और मुकद्दमेबाजी होती रहती है। यदि माननीय मित्र को श्रमिक संघों का कुछ अनुभव हो तो मुझे भी समवायों की व्यवस्था का अनुभव है। अमेरिका के जिन राज्यों में यह विधि अनिवार्य की गई वहां बहुत गड़बड़ी हुई और मुकद्दमेबाजियां हुईं तथा उन राज्यों के समवायों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

इस के पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार २ सितम्बर १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।